C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.XV, Seventh Session, 2016/1937 (Saka)
No.4, Friday, February 26, 2016/Phalguna 7, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.41 to 45	10-47
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 46 to 60	48-99
Unstarred Question Nos.461 to 690	100-688

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	690-695
LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE	696
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE	
14th to 17th Reports	697
STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS	
(i)271st to 277th Reports	698-699
(ii)Evidence	699
BUSINESS OF THE HOUSE	700-703
MOTION RE: REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2015 -- EXTENSION OF TIME	704
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS	709-788
Shri Sultan Ahmed	709-720
Shri Bhartruhari Mahtab	721-736
Shrimati Kothapalli Geetha	737-740
Shri Rajeev Satav	741-743
Shri Naranbhai Kachhadia	744-745
Dr. Virendra Kumar	746-749
Shri Srirang Appa Barne	750-751
Shrimati Ranjanben Bhatt	752-753
Dr. Yaswant Singh	754-755
Shri B.N. Chandrappa	756-759
Shri P.K. Biju	760-764
Dr. Thokchom Meinya	765-769
Shri Anandrao Adsul	770-776
Shrimati Rama Devi	778-779

Shri Rabindra Kumar Jena 780-784

Shrimati Kavitha Kalvakuntla 785-786

Shri P.P. Chaudhary 787-788

MOTION RE: 18TH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 789

PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced

(i)Climate Change Bill, 2015 790
By Shri Kailkesh Narayan Singh Deo

(ii)Special Financial Assistance to the State of Odisha Bill, 2015 790-791
By Shri Kailkesh Narayan Singh Deo

(iii)Disclosure of Lobbying Activities Bill, 2015 791
By Shri Kailkesh Narayan Singh Deo

(iv)Hospital-Acquired Infections (Prevention, Control and Mandatory Reporting) Bill, 2015 792
By Shri Prem Das Rai

(v)Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Guntur) Bill, 2016 793
By Shri Jayadev Galla

(vi)Constitution (Amendment) Bill, 2016 793
(*Amendment of article 12*)
By Shri P.P. Chaudhary

(vii)Constitution (Amendment) Bill, 2016 794
(*Amendment of article 66*)
By Shri P.P. Chaudhary

(viii)National Commission for Sugarcane Farmers Bill, 2015 794
By Shri Rajesh Pandey

(ix)Population Control Bill, 2015 795
By Shri Rajesh Pandey

(x)Special Financial Assistance for Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains in the State of Rajasthan Bill, 2015 795-796
By Shri C.P. Joshi

(xi)Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Thiruvananthapuram) Bill, 2016 796
By Dr. A. Sampath

(xii)Sikh Marriage Bill, 2016 796
By Dr. Dharmvira Gandhi

(xiii)Nationalisation of Inter-State Rivers Bill, 2016 797
By Shri Kirti Azad

(xiv)Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Bill, 2016 797
By Shri Kirti Azad

(xv)Euryale Ferox Nut Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2016 798
By Shri Kirti Azad

(xvi)Representation of the People (Amendment) Bill, 2016 798
(Amendment of Section 33)
By Shri Ravindra Kumar Jena

(xvii)Victims of Accident (Equal Compensation) Bill, 2016 799
By Shri Gopal Shetty

(xviii)Homeless Pavement Dwellers (Welfare) Bill, 2016 799
By Shri Gopal Shetty

(xix)Special Financial Assistance to the State of Maharashtra Bill, 2016 800
By Shri Gopal Shetty

(xx)Constitution (Amendment) Bill, 2016 800
(Insertion of new Part IVB)

By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank

PRIVATE MEMBERS' BILLS -Under Consideration

(i)COMPULSORY VOTING BILL, 2014 801-833

Motion to Consider 801-803

Shri Devendra Singh 801-803

Prof. Saugata Roy 804-813

Shri Sunil Kumar Singh 814-816

Shri Jitendra Choudhary 817-818

Shri D.V. Sadananda Gowda 819-823

Shri Janardan Singh Sigriwal 824-833

Bill – withdrawn 833

(ii)RIGHTS OF TRANSGENDER PERSONS BILL, 2014 834-852

Motion for Consider 834

Shri Baijyant Jay Panda 834-848

Shri Jagdambika Pal 849-852

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 878

Member-wise Index to Unstarred Questions 879-884

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 885

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 886

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February 26, 2016/Phalguna 7, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam, I have given a notice of Adjournment Motion.

HON. SPEAKER: I will answer it after 12 o' clock, not now. Let us take up the Question Hour.

11.0 ½ hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. No.41, Shri P.K. Biju.

(Q. 41)

SHRI P.K. BIJU: Madam, last year, there was an increase in the budgetary allocation in regard to Defence sector. In that Budget itself, our Defence Minister explained that they are going in for upgradation and modernization of the Defence sector in our country and they are opening up the Defence sector to the FDI and to do something under 'Make in India' initiative.

Madam, I would like to ask the hon. Minister as to what steps they have taken to upgrade and modernize the existing institutions like the DRDO, Shipyards and Ordnance Factories in our country. Almost all the existing institutions are in a bad position. But they are going in for FDI and other things and neglecting the existing institutions.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, though his Supplementary is not directly linked with the main Question, yet I would answer it. I would like to inform the hon. Member that our existing Defence PSUs, Ordinance Factories Board and Shipyards, as of now, are loaded with orders. The total production capacity of all the four Shipyards, which was around Rs. 5,000 crore has already been increased to around Rs. 8,000 crore -- Rs 9,000 crore. They are loaded with orders worth more than Rs. 1,50,000 crore. I am talking about the exiting Shipyards.

About the Ordnance Factories, where the production had come down to around Rs. 10,000 crore, it is expected to touch around Rs. 14,000 crore this year. Similarly, our Defence PSUs also have higher order booking. For example, BDL, which was producing around Rs. 1,800 crore this year it is expected to touch Rs. 4,000 crore, which is more than double. The production in the BEL has also increased by about 20 per cent. The HAL has gone in for expansion of helicopter unit near Bangaluru. Recently, the foundation stone was laid.

So, our every Defence PSUs, be it Shipyards, be it factories like HAL or be it the Ordnance Factory Boards, have been given orders, which they cannot complete even in 10 years.

SHRI P.K. BIJU: Madam Speaker, I do not fully agree with the answer given by the hon. Minister. There are Defence contracts in the Shipyards that come from the other countries. Their requirement is more than ours.

Madam Speaker, we are still considered as the major importer of arms in the world. I would like to ask this question to the Minister. What is the present status of our country in this regard and what are the requirements that are to be done to reduce the imports of arms from abroad?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: First of all, in regard to the Defence PSUs, the export is probably Rs. 800 crore whereas the total output of OFB, DPSU and others, are about Rs. 48,000 crore. So, only two percent is exported and the rest is all Indian. For example, Mazagon Shipyard itself has orders worth around Rs. 90,000 crore and GRSE has orders worth around Rs. 30,000 crore. It is not that these are foreign orders. These are Indian orders of the Defence Ministry itself. As far as foreign component is concerned, I would like to inform the Member that during the year 2014-15, foreign vendors import orders have been reduced to 38.11 per cent from 52.47 percent in 2013-14. In terms of rupees, the imported component foreign supply has reduced from Rs. 35,082 crore to Rs. 24,992 crore. More than Rs. 10,000 crore reduction is there. Of the approval granted for Rs. 1,98,000 crore during the last one-and-a-half year for 66 cases, about 88 per cent is either buy Indian or buy 'Make in India'.

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न यह है कि चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं और जिसके कारण पठानकोट पर हमला हुआ। भारत कहीं न कहीं हमेशा वॉर में रहता है और मिलिट्री टैक्टीस और मेटीरियल्स साथ-साथ चलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बार-बार यह कहती है कि जो हमारा सैंक्शन स्ट्रैंथ है, चाहे आर्मी का है, चाहे एयरफोर्स का है या नेवी का है, उसके मुकाबले एग़ज़िस्टिंग स्ट्रैंथ में बहुत ही विरोधाभास है। चीन वॉर के बाद ब्लेकिड्स कमेटी बनी, जिसके बाद डीआरडीओ बना। डीआरडीओ के

प्रोजेक्ट बीस-बीस साल तक डीले चलते हैं। उसमें से एक एसआरएसएम-मैत्री चल रहा है, जिसमें आठ-दस साल से लगातार नेगोशिएशन हो रहा है। भारत सरकार ने धीरेन्द्र कुमार कमेटी रिपोर्ट बनायी। यह क्वेश्चन का पार्ट है कि आपने क्या कोई कमेटी बनायी है? धीरेन्द्र कुमार कमेटी बनी और उसने कई चीजें बतायी और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि भारत सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी पर जो खर्च होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। दूसरा, आप एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने की बात करते हैं या इंडीजिनाइजेश्न की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहां जो टैक्स रिजीम है, संयोग से फाइनैंस मिनिस्टर बैठे हैं। आप रिफाइनरी के लिए तो पूरा एग़ज़ेम्प्ट कर रहे हैं, पावर के लिए पूरा टैक्स एग़ज़ेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन जब डिफेंस का मामला आता है तो एग़ज़म्प्शन नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारी निर्भरता दिन-प्रतिदिन कहीं न कहीं विदेशी आर्म्स पर हो जाती है। पूरी दुनिया में जितना इम्पोर्ट होता है, उसका 15 परसेंट भारत इम्पोर्ट करता है। मेरा यह मंत्री जी से सीधा-सीधा सवाल है कि धीरेन्द्र कुमार कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और जिस तरह से आप काम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उसको इन-टोटो भारत सरकार इम्पलीमेंट कर रही है, जिससे कि दुनिया के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो?

श्री मनोहर पर्रिकर : महोदया, मुझे माननीय सदस्य को बताने में यह खुशी हो रही है कि हम पहले 15 परसेंट विदेशों से आर्म्स इम्पोर्ट करते थे, वह अब घटकर 14 परसेंट पर आ गया है। दूसरा, लेवल प्लेयिंग फील्ड के बारे में हम लोगों ने काफी मोडीफिकेशन करके भारतीय कम्पनीज़ को ग्लोबल कम्पनीज़ के साथ लाया गया है। टैक्सेशन के मामले में हम उनको एक्चुअल में एक्स्ट्रा देते हैं। हमने फॉरेन एक्सचेंज कम्पोनेंट को भी लेवल प्लेयिंग फील्ड पर लाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि पहले जो टैक्स भारतीय कम्पनीज़ को भरना पड़ता था। अब यदि वे टैक्स भरते भी हैं तो भी डिफेंस मिनिस्ट्री उसको अलग कैलकुलेट करती है और वह टैक्स उनको एट-एक्चुअल देती है। चाहे तो डिफैंस मिनिस्ट्री से थोड़ा आपका खजाना भर जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, but we are paying them extra and a level playing field has been brought.

HON. SPEAKER: Very good.

SHRI P.R. SUNDARAM : Hon. Speaker Madam, I am really concerned about the shortage of advanced equipment for soldiers working in risky areas like Siachen where the temperature is as low as minus 40 degree. We lose more number of soldiers not in war front but in braving the very harshest conditions. Our hon. Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma has announced Rs.10 lakh to the soldiers who had lost their lives from Tamil Nadu.

I would like to know from the hon. Union Minister the steps taken by the Government to procure high quality safety equipment and lifesaving gadgets to protect the lives of our soldiers who are deployed in high risk areas like Siachen glacier. Thank you, Madam.

श्री मनोहर पर्रिकर : मैडम, अगर आप इजाजत दें तो चार नम्बर का सवाल केवल सियाचिन पर ही है, उस समय I will answer your question when I answer Question No.44 which is specifically on Siachen.

COL. SONARAM CHOUDHARY: Madam Speaker, at the outset, I congratulate this NDA Government that for the last 20 they have procured armament and equipment to a great extent.

But if you go back to the last 10-15 years, whatever they have planned under capital acquisition, they were not able to do. Every year from the Defence Committee also I have seen this. For the last 20 years, whenever I am here, I have seen that there is always surrender of funds. So, what happens is that most of the surrender is from the capital head. So, my request is this. The Finance Minister is also sitting here. Whatever fund is there under the capital head, it should not be surrendered but it should be carried forward. At the same time, I want to bring to his notice, especially in Arunachal Pradesh, the assets in terms airfield and roads are not up to the mark compared to what our adversary is having. The Border Roads Organisation is there. If you see their equipment, it is totally obsolete and old. So, they should be provided with modern equipment.

Connected with this question is the Air Force Pilot training in IJT, Intermediate Jet Trainer. Kiran is outlived and it is almost 40 years old. So, HAL has tried but HAL is not able to do. So, what happens is that pilot training is being affected. China’s pilot cockpit ratio is 1:2 and our ratio is 1:1.25.

HON. SPEAKER: Please ask your question.

COL. SONARAM CHOUDHARY: I am coming to the question.

This is another reason. So, I will tell the Minister that we should acquire some trainer.

So, my first question is, will the hon. Defence Minister tell me whether the armament which has been approved in trials by three Service Headquarters will be procured so that modernization of our Armed Forces is not affected? And, secondly, would he tell the House whether the capital budget should be made non-lapsable?

HON. SPEAKER: No, Sonaram Ji, you can have only one question. I am sorry.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, I would like to inform the hon. MP that regarding training, there were three phases of training, primary, secondary and final. Kiran Intermediate Trainer training is second stage. We have adequate primary PILATUS, and Hindustan Aeronautics has been given Letter of Intent for developing indigenous primary trainer which I think should be flying somewhere during this year.

As far as second stage training is concerned, the Air Force has taken decision that there is no need in the current circumstances where lot of simulator training is also available. There is no requirement of second stage training and they are directly training on the third stage. First and third have been brought together to eliminate the second stage. Training is now adequate and the trainers available are also adequate.

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE: Thank you, hon. Madam. My question is in view of F-16 fighter plane being acquired by Pakistan. Do you have any plan to counter that?

My next point is in respect of our main battle tank Arjun, which has been commissioned in the Army. Is it up to the mark with respect to our counterpart?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I want to know whether you are talking about Arjun Mark-1 or Arjun Mark-2. … (*Interruptions*) Arjun Mark-2 is almost finalized in development. In fact, I had a very detailed discussion yesterday and we are going to conduct a meeting with the department concerned in the Armed Forces for inducting it after carrying out some additions to it.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, the future wars will be technological wars and India is falling far behind in this respect. There are three reasons for that. One, the DRDO has failed to deliver its purpose. We know how much time was taken to develop our Light Combat Aircraft (LCA) and our main battle tank. Two, the Make in India initiative has not taken off though there is a promise to have six nuclear submarines. Three, in spite of tall talk the percentage of defence expenditure in India is low. It is 4 per cent of budget in U.S.; 3.5 per cent in China; 3 per cent in Pakistan and only 1.74 per cent in India. Will the hon. Minister state what steps he is taking to overcome these three major hurdles for the modernization of Indian Armed Forces, that is, hastening of the DRDO process; hastening of the Make in India initiative and improving budgetary support to defence?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: As far as LCA is concerned, it is not DRDO which develops it, it is Aeronautical Development Agency (ADA). I am very happy to inform the hon. Members that LCA has not only been inducted in the Indian Air Force, the Indian Air Force has also shown intentions of buying it. The Letter of Intent has been issued for 120 LCA. The first aircraft was given during 2015. The next three to four, to form the squadron, will be delivered during current year. We are also in the process of approving the second line of manufacturing to the HAL so that they can produce 16 aircrafts per year. In next eight years, you will have about eight squadrons of LCA. I would also like to inform the hon. House that LCA, Tejas has proved to be quite effective and was applauded by many in the air show at Bahrain also. As far as the point regarding budget amount is concerned, we do not calculate pension component into the Defence budget. I think if the hon. Finance Minister includes the pension component also in defence budget, it becomes 2.2 per cent. Then, we have also to take into consideration how much money is available. It may be below the budget amount of China; it may be below U.S., but an attempt is there to increase it to the level where it is required.

(Q.42)

SHRIMATI R. VANAROJA: Respected Madam Speaker, our hon. Amma's Government in Tamil Nadu has been supporting the Ayurvedic medicines in a big way. These medicines are distributed free to the people like pregnant women on stage-wise basis. *Milagu Kashayam* is very famous for the treatment of fever and our hon. Amma's Government has been distributing the same to the people of the State.

I would like to request the hon. Minister to adopt such schemes for the benefit of the people of the entire country. Ayurveda requires confidence in the person who takes the medicines. This is one of the requisite ingredients for gaining better results. In view of this, I urge upon the hon. Minister to create awareness among the people about the effectiveness of Ayurveda.

HON. SPEAKER: Please tell whether you will accept it.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है कि आयुष को लोग अभी प्रीफर करने लगे हैं और इसकी डिमांड भी आ रही है कि अच्छी मेडिसिन सब लोगों की तरफ पहुँचे। इसलिए जो रिकमंडेशन पार्लियामेंट्री स्टैन्डिंग कमेटी से आई हैं, उन सबको हम इम्प्लिमेंट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कई भाग हमने इम्प्लिमेंट किया है, जो क्वालिटी कंट्रोल, जो आयुर्वेद का ड्रग है, आयुष का जो ड्रग है और होम्योपैथी का जो ड्रग है, इसमें हमने हर राज्य को, जो स्कीम्स थीं, आयुष मिशन में वे इंक्लूड हुई हैं। पहले जो हम उनको मदद करते थे, कान्ट्रिब्यूशन देते थे, उसमें अब हमने उन्हें डबल पैसा दे दिया है। जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज की स्कीम थी, उसमें 1.5 करोड़ के बजाय अब हम 4 करोड़ रूपए दे रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, फार्मास्युटिकल के ऑपरेशन के लिए के जो 2 करोड़ देते थे, उसमें अब 4 करोड़ दे रहे हैं। अच्छी मेडिसिन लोगों की तरफ पहुँचे और जिस-जिस मेडिसिन की जरूरत है, उसके लिए हम स्टेट्स को ज्यादा पैसे की मदद दे रहे हैं। हम स्टेट्स को और ज्यादा पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रो. सौगत राय : जो गल्फ में अम्मा गवर्नमेंट चालू किया है, उसके बारे में आपने क्या किया है? आप वह बताइए।

माननीय अध्यक्ष : वह उसके बाद देख लेंगे।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : हम तो फंडिंग देते हैं। यूएई फंडिंग से वे मेडिसिन तैयार करके सबको देते हैं।

SHRIMATI R. VANAROJA: Respected Madam Speaker, my second supplementary question is this. Today in the market, various kinds of ayurvedic products are available which are manufactured by various companies in the private sector. However, for the market intervention and to make available good quality ayurvedic medicines, we have no ayurvedic products produced in the government sector. The ayurvedic medicines produced by Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited are quite good, but the problem is that their medicines are not available in the market and their produce is available only through CGHS dispensaries. Therefore, I urge upon the hon .Minister to ensure that the good quality medicines produced by IDPL are made available in open market too for the purpose of market intervention as well as to make available good quality ayurvedic products for the general public. Thank you.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, माननीय सदस्या का प्रश्न सही है। अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हमें पूरे समाज को, लोगों को देनी है और इसलिए आयुष मंत्रालय का प्रयास यही है। जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके लिए अच्छा मेडिसिन बनाने के लिए हम मदद करते ही हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट कारपोरेशन जो मेडिसिन बनाते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़े और अच्छी-अच्छी मेडिसिन वे तैयार करें, ठीक तरह से pharmacopoeia तैयार करें और जिन-जिन रोगों के लिए मेडिसिन चाहिए, वह मेडिसिन उन तक पहुँचाने के लिए हम प्रयत्नरत हैं और आगे भी प्रयत्नरत रहेंगे।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा, लेकिन उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आपने अपने जवाब में कहा है कि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी परिषद विधेयक तैयार है और वह परामर्श के लिए भेजा गया है। यह जो विलम्ब है, यह सबसे बड़ा कारण है।

दूसरा, आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ होती हैं, वे प्राप्त हैं। वे देश में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका शोधन बहुत महँगा और बड़ी लम्बी प्रक्रिया वाला है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब कभी कोई आयुर्वेद के डॉक्टर्स हों या वैद्य हों, उनके लिए आज भी यह समस्या है कि वे मर्ज को जान जाते हैं, लेकिन अगर सर्टिफिकेशन करना है तो हमें दूसरी चिकित्सा पद्धति के लिए करना होगा।

मैं मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आप इसको भी पहले सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी वैद्य ने किसी रोग को आइडेन्टिफाई किया है तो फिर उसकी ही पद्धति से उसका सर्टिफिकेशन

होगा। यह सरकारों के सामने बड़ी समस्या है। मेरा यह भी कहना है कि जो शोधन होता है, क्या उसके लिए कोई अलग से प्रावधान करेंगे, क्योंकि औषधि बड़ी मुश्किल में बनती है। धन्यवाद।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, जो मेडिसिन कई लोग तैयार करते हैं और हमारा जो रिसर्च सेन्टर है, वह रिसर्च सेन्टर उस रिसर्च को आगे लाने के लिए मदद करता है। रिसर्च में बहुत खर्चा होता है। जो खर्चा होता है, यदि वह पूर्ण खर्चा, जिन्होंने औषधि तैयार की है, वह देने के लिए तैयार हैं, तो पूरी रॉयल्टी यह कनफर्म होने के बाद कि यह मैडिसिन सही है, वह पूरी रायल्टी उस इनडिविजुअल को मिलती है। हमारा रिसर्च सैन्टर तैयार है कि जो ऐसी मैडिसिन बनाते हैं, वे रिसर्च सैन्टर्स एम्स के द्वारा, अन्य संस्थाओं के द्वारा उसकी साइंटिफिक वैल्युएशन करते हैं और यह मैडिसिन बाद में कामर्शियल हो जाती है। प्रश्न इतना ही है कि रायल्टी 100 प्रतिशत चाहिए तो उनको खर्चा करना चाहिए। यदि कुछ पाट्र्स वह हमारे रिसर्च सैन्टर को दे रहा है, उसमें से 25 परसेंट हो या कुछ और हो, ऐसा हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं और इस मैडिसिन को आगे ले जाने के लिए मदद करते हैं।

SHRI M.K. RAGHAVAN: Thank you, Madam, for giving me this opportunity.

We all know that the 3rd Global Ayurveda Festival was recently held at Kozhikode, which was graced by the hon. Prime Minister and the hon. Minister for Ayush. The hon. Prime Minister had very graciously emphasized the need to promote Ayurveda and also its relevance globally because of its holistic and comprehensive approach.

Madam Speaker, Kerala is considered to be the mother of Ayurvedic form of treatment and the State has a good number of international-level Ayurvedic institutions catering to domestic as well as international clients. It is also linked to the tourism sector. Kerala is known as ‘God’s own Country’. Similarly, it is also known as the ‘State of Ayurveda’. While addressing the gathering, it was announced by the hon. Prime Minister and hon. Minister that a National Research Institute in Ayurveda is being setup to further the promotion of Ayurveda, especially, in research and quality control.

Madam Speaker, I would like to know this from the hon. Minister. Considering the potential and other favourable conditions in the requirement of Ayurvedic treatment, will the Government consider to establish this proposed

Centre in Kozhikode, Kerala where the required land and land for medicinal plant cultivations is available? Thank you, Madam.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे हैं। केरल में अभी जो वर्ल्ड कॉनफ्रैन्स हुई थी, उसमें यह विषय चर्चा में आया था। यदि उस रिसर्च सैन्टर की वहाँ ज़रूरत है तो केरल स्टेट गवर्नमैंट ने यह प्रपोज़ल हमारे आयुष मंत्रालय को भेज दिया था और इसके ऊपर हम निश्चित तौर से विचार कर सकते हैं। आज रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। हम जितना रिसर्च करेंगे, उतनी अच्छी मैडिसिन हम लोगों के लिए प्राप्त कर पाएँगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपका प्रपोज़ल है, वह आप भेज दीजिए, उसके ऊपर हम विचार करेंगे।

(Q. 43)

KUMARI SUSHMITA DEV: Madam Speaker, as per the answer of the hon. Minister, the Zika Virus has already been declared a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) by the WHO on 1 February 2016.

My question to the hon. Minister, through you, is this. It has been reported that an Indian pharmaceutical company, namely, Bharat Biotech Limited is claiming that they have developed a vaccine as much as 9 months ago and they have even filed for its patent. Clinical trials generally take a long time. In light of this fact, is the Government of India considering assisting or aiding this company to help expedite the development and commercialization of the vaccine?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA : Madam, first of all, I would like to make it very clear that Bharat Biotech International Limited, a biotech firm based at Hyderabad, has been developing a Zika vaccine for more than a year and has approached the ICMR for collaboration. At this point of time, we are having pre-clinical trials. The relevant experts, on 5 February 2016, the DDIL has two vaccine candidates, a DNA-based recommended vaccine and a more traditional one that contains an inactive strain of virus ready for pre-clinical trials. The plans for future activities as well as the areas to be supported have been discussed. It will take some time and we will go forward on this.

KUMARI SUSHMITA DEV: Madam, I have read that in Brazil, they are experimenting with gene modification in mosquitoes and they are being assisted by the International Atomic Energy Agency by using a technology called 'Sterile insect technique'. In his reply, the hon. Minister says that it is the same mosquito that transmits Dengue which also transmits Zika. So, clearly, India is vulnerable and is under future threat, although, right now, we have not detected it.

Can the Ministry consider allocation of funds towards a similar kind of research in India?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: First of all, I would like to make it clear that the Government of India and the Ministry of Health and Family Welfare are in

touch with the WHO authorities and even with CDC, Atlanta. We are also considering what modifications and changes are being done there. That is also being discussed with the research organizations.

As far as allocation of fund is concerned, there is no problem regarding funds. This is a very important issue. The Government of India has taken it very seriously.

I would like to share something about the Zika virus. On 29th of January itself, when it appeared for the first time in the newspapers that there is a virus which is really a problem, we had a meeting. I chaired that meeting and we have decided to ask the Technical Committee to go for the guidelines. On the 1st of February, the WHO declared it as a public emergency. Before that, we were ready with the guidelines. The guidelines have been circulated and all necessary steps are being taken accordingly. So, we are very serious on this issue. The IEC has also been put on the right track, and we are trying to disseminate the information accordingly to the States. In collaboration with the States and other research organizations, we are working on it.

श्रीमती संतोष अहलावत : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आपात स्थिति के रूप में घोषित किया है? क्या टीका बनने से पहले लोगों में अवेयरनैस, बचाव के उपाय, रोग के घातक परिणाम, इनके ऊपर कोई स्टडी हमारी सरकार ने की है और क्या कार्यक्रम बनाया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय सदस्य को और उनके माध्यम से सभी सदस्यों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जहां तक जीका वायरस का सवाल है, यह डिसीज़ मोस्किटो बोर्न है और मोस्किटो जो जीका वायरस रखता है, वह जब काटता है तो उससे यह डिसीज़ फैलती है। एडीज़ मोस्किटो, जो डेंगू और चिकनगुनिया, दोनों को ट्रांसमिट करता है, वही जीका वायरस को भी ट्रांसमिट करता है। 80 प्रतिशत जीका वायरस के इन्फैक्टिड व्यक्ति में ए सिम्टेमेटिक होता है, कुछ पता नहीं चलता है कि जीका वायरस से उसको इन्फैक्ट हो गया है, लेकिन 20 परसेंट में जो पता चलता है, वह यह होता है कि बॉडी एक है, रैश है, आंख आना, कंजैक्टिवाइटिस हो जाता है, दो से सात दिन तक रहता है। वैसे पोलीमराइज्ड चेन

रिएक्शन (पी.सी.आर.) टैस्ट से ही इसके बारे में पता चलता है और यह भी पता तब चलता है, जब एक से पांच दिन में यह बिल्कुल अपनी बॉडी में एक्टिवेटिड होता है, तभी इसका पता चलता है। कुल मिलाकर के हमारी कोशिश है कि हम इसकी जानकारियां सब लोगों को दें।

आपके माध्यम से मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि जो प्रेगनेंट मदर्स होती हैं, उनको अगर यह इन्फैक्ट कर जाये और फर्स्ट फेज़ में, फर्स्ट थ्री मंथ्स में कर जाये तो जो बच्चा पैदा होता है, उसका जो ब्रेन होता है, वह बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा than the real size, यह इसका इफैक्ट होता है। हमें इसमें कोशिश यह करनी है कि हम सजग रहें, डे टाइम में यह मोस्किटो काटता है। अभी तक there is no reported case in India, हमने सर्विलांस रखी हुई है और साइनेजेज़ सभी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर दिये हुए हैं। वहां हमने अभी ऑल इंडिया लेवल पर 300 डेंगी के डिजीज़ के जो लोग थे, उन्हें भी चेक किया कि क्या उनमें से किसी को ज़ीका वायरस का इंफेक्शन है, तो उसमें 'नन' पाया गया। हम मॉस्क्यूटोज़ वेक्टर्स को देश के सभी कोनों से इकट्ठा करके इसकी चेकिंग कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा एडीज़ मॉस्क्यूटो है, जो इस वायरस का कैरियर है, तो इसके बारे में भी मार्च के अन्त तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। We are on the job.

जहां तक आई.ई.सी. का सवाल है, तो राज्यों के साथ, सभी एजेंसीज के साथ, सभी रिसर्च ऑरगेनाइजेशंस के साथ हम लगातार सम्पर्क में हैं। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन, इससे एलर्ट रहने की जरूरत है। जो 36 देश हैं, उनमें से दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र से दो देश हैं - थाईलैंड और मालदीव, जहां यह रिपोर्ट हुआ है। वैसे ही जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, उनमें 36 देश हैं, जहां पर इसका प्रकोप पाया गया है। अगर हमारे लोग वहां जाते हैं, तो वे सजग रहें। अगर वहां से कोई आता है, तो वे सजग रहें। हमने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री को देख करके एयरपोर्ट पर हर तरीके से उसकी चेकिंग करने के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटीज को कहा है। हमारी यह कोशिश है। We all have to be very alert.

(Q. 44)

SHRIMATI V. SATHYABAMA: Madam Speaker, the entire country is always indebted to all those soldiers who brave very hostile conditions in the borders and in strategically important places. I wish to record in this august House that many of them are from our Tamil Nadu. In the recent glacier tragedy, out of the ten soldiers died, four were from Tamil Nadu. Our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has sanctioned financial support of Rs.10 lakhs for all the martyrs. The Union Government has to provide more compensation and job benefits to the family of the soldiers who serve in risky areas like Siachin where the temperature is as low as minus 40 degrees.

I would like to know from the hon. Union Minister whether the Government has any plans to increase the compensation packages given to army personnel and also ensure jobs for the family members of the deceased.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, regarding compensation, I think, the recommendations of the Seventh Pay Commission are there. The Defence Ministry is analyzing them. We will ensure that those who work in very difficult areas like Siachin are properly compensated. Once the analysis of the Seventh Pay Commission is available to the Ministry, which is under examination, we will be able to declare this. There will be increase. We cannot predict it now as to how much it will be.

SHRIMATI V. SATHYABAMA: Madam, I would like to know about the adequate steps taken by the Government to procure high quality safety equipment and life saving gadgets to protect the life of our soldiers who are deployed in high risk areas like Siachin Glacier.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, those who are in the Siachin Glacier are provided with special cold weather equipment. There is a constant medical support provided which is almost six times the normal support. In fact, we issue special clothing and mountaineering equipment. About 19 items of Category-I are issued to soldiers over there which are basically of personal use and under Category-II

are those items which are for the difficult areas to be used. For example, we issue thermal insoles, ice axe with shovel. Besides this, there are other general equipments including scooters. A Special Empowered Committee under MGO is formed so that no supply shortage is there. In fact, I would like to indicate to the House that during the last 33 years, we have lost totally 915 personnel. This is averaging around 28 per year. I am pleased to inform the House, it is ultimately a painful job, that the number has now come down to ten per year. This incident which happened was a misfortune. No one could have predicted a complete wall coming down. So, except that, in the last four years the number of soldiers who lost their lives in the glacier area has come down to an average of ten per year from 28.

SHRI B. SENGUTTUVAN: Madam Speaker, the Siachen glacier at an altitude of about 20,000 ft above sea level has been a hostile, inhospitable, snow-bound desert. What is the strategic advantage of our troops being stationed there? I understand that about 10,000 Indian troops are stationed there and an equal number of Pakistani troops are also stationed there. What decisive strategic advantage is being derived by stationing so many troops at such human cost and at such great expense to the exchequer? If no such decisive advantage is there, would the Ministry consider withdrawal of the troops as the same view has been expressed by the Pakistanis way back in 2012 when they lost about 157 soldiers due to an avalanche of the similar nature that took place on the 3rd of February this year?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, first of all the height of Siachen glacier on the top side, the last one, is around 23,000 ft and not 20,000 ft. We occupy heights of Saltoro Range and at the highest point. So, automatically if we vacate these positions and if the enemy occupies them, it will be almost impossible and we will have to lose many more lives to recover them back, as was the experience in 1984 when even they were not fully occupied. So, for strategic

reasons, the position of Saltoro Range and the highest position we have, strategically this area is very important for us to man.

As I told you, by using equipment and upgrading our continuous supply we have managed to get down the human loss, the number of soldiers who die in Siachen to around ten per year. The number of losses has been brought down but you cannot totally conquer the nature.

As far as Pakistan is concerned, I do not think anyone in the House would take their word for granted. So, we have to maintain our strategic advantage. I know that there is a price we are paying for it and I salute our brave soldiers. But I think we need to maintain these positions without hesitation.

श्री थुपस्तान छेवांग : महोदया, सियाचिन ग्लेशियर मेरी कांस्टीट्युएंसी में पड़ता है और मुझे जमीनी हकीकत का पता है कि वहां पर किस हालत में हमारी भारतीय सेना के जवान देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। अभी हाल ही में वहां दुर्घटना घटी है। जिन्होंने शहादत दी है, उनके प्रति हम उचित सम्मान दें या उनको रिलीफ दें, कंपंसैट करें, वह तो जरूरी है। साथ ही साथ ऐसी शहादत जहां होती है, वहां पर एक दूसरी तरह की कहानी भी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो उस कठिन परिस्थिति में रेस्क्यू या रिकवरी जैसे कामों में योगदान देते हैं। उनमें न केवल भारतीय सेना के जवान शामिल होते हैं, बल्कि जो सिविल लेबर्स हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है।

माननीय रक्षा मंत्री जी के संज्ञान में हैं कि लद्दाख में इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। खरदूंगला जो सबसे ऊंचा जीपेबल रोड संसार में माना जाता है, जहां से सियाचिन के लिए जाने का रास्ता है, वहां भी हर साल कुछ न कुछ इस तरह की घटना होती है। मैं रक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अभी जो दुर्घटना घटी है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहां से इसे हटाना चाहिए। किसी हालत में हमें उनको वहां से नहीं हटाना चाहिए। सियाचिन दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। वहां पर 17,000 फीट की ऊचाई से लेकर 23,000 फीट की ऊंचाई तक, भिन्न जगहों पर स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेस को ध्यान में रखते हुए, वहां पर चौकी बनायी गयी है। जहां दुघर्टना इस वक्त घटित हुयी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हां, यह सवाल उठाया जा सकता है कि वहां इस प्रकार की घटना बार-बार होती है तो क्या उनको वहां रखना चाहिए, या उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन उस जगह पर उनको रखना हर तरह से जरूरी है।

मैं रक्षा मंत्री जी और सरकार से यह विनती करना चाहता हूं कि हम भारतीय सेना के जवानों को सम्मान और सुरक्षा दें। इसके साथ ही साथ, वहां सिविल लेबरर्स हैं। इस दुघर्टना में भी सबसे पहले सिविल लेबरर्स दुघर्टनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने रेसक्यू का काम शुरू किया था। इसके कारण उनको उचित सम्मान देना चाहिए ताकि वे इनकरेज होते रहें और कठिन परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देते रहें।

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I would like to inform the House that मुझसे माननीय सांसद ने यह प्रश्न पूछा है। मैंने इसके बारे में सेना से रिपोर्ट मांगी है। मुझे कल्पना है कि सिविल पोर्टर्स भी वहां वही हालात में रहते हैं और उन्हें कुछ न कुछ रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे। क्या-क्या ऐक्चूअल ग्राउंड सिचुएशन है, हमने वह रिपोर्ट मंगायी है। वह रिपोर्ट आने के बाद इसके बारे में निर्णय लिया जायेगा।

DR. A. SAMPATH: Hon. Speaker Madam, even though I am from the extreme South, as a Member of the 11^{th} Lok Sabha I had an opportunity to visit the highest battlefield on earth, the Siachen glacier. In the reply given by the hon. Minister regarding the defence service personnel deployed at Siachen, the allowances and the rates have been given. I understand that there is a wide gap and vast discrepancy between the allowances which are received by the officers and junior commissioned officers and other ranks and the persons below the officer rank that is PBOR etc. During 1996-97, it was the first parliamentary delegation sent to Siachen after getting our indemnity bonds etc. as hon. Minister very well knows. At that time also, this type of vast discrepancy was existing there. I understand that it still exists there. My question to hon. Minister is that there are other nations who are also engaging their defence personnel including the officers and those below the rank of commissioned officers also at a very high altitude. Is this at par with …

HON. SPEAKER: You should ask very short questions. You are asking about discrepancy.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, please speak.

DR. A. SAMPATH: Madam, human life is very precious. Whether it is the life of the officer or the life of a Naik or sepoy, it is the life of the Indians. So, it is very precious. When officers of the rank of Lieutenant Colonel and equivalent or above, get Rs 12,600 per mensem, it is highly active field area allowance. The persons below officer rank who are equivalent to Naik or sepoy get Rs 4,860 only. My question to hon. Minister is whether he will take up any initiative to lessen the gap and make it at par with other nations who engage their defence personnel at high altitude areas?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Hon. Speaker Madam, I appreciate the hon. Member comes from extreme South where temperature or heat in the day is hot, hotter or hottest. Obviously, his concern about temperature of minus 40 or minus 60 degrees is understood. I would only inform him that the 7th Pay Commission's recommendations on this issue are under examination and I will always consider what he said before finalizing them.

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष महोदया, यहां एलाउंस की बात हो रही है। ऑफिसर्स और नायक, सिपाही में डिफरैंसेज हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि कुछ अफसर जो डिफैंस से नहीं हैं, वे जम्मू या कहीं और बैठकर एक-एक लाख रुपये का एलाउंस लेते हैं। हमारे अफसरों को एक्सट्रीम कंडीशन्स में 12 हजार रुपये एलाउंस मिलता है। ऐसी जो डिफिकल्ट सिचुएशन हैं, उनमें हमारे एलाउंस एट पार विद दी सिविल ऑफिशियल्स होने चाहिए। इस बारे में मंत्री जी को पहल करनी चाहिए।

श्री मनोहर पर्रिकर : इसमें दो एलाउंसेज हैं - सियाचीन के एलाउंस अलग हैं। Siachen also gets highly active field area allowance. ये सब मामले मेरे ध्यान में लाए गए हैं। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी गलत इन्फार्मेशन भी दी गई है। मैं सब इन्फार्मेशन को ऐनालाइज़ करके, जब सैवन्थ पे कमीशन की रिपोर्ट हमारे डिपार्टमैंट से मेरे पास आ जाएगी, उस समय ध्यान में रखकर इस बारे में जरूर विचार करूंगा।

HON. SPEAKER: SHRI Vincent H. Pala - Not Present.

(Q.45)

श्री आनंदराव अडसुल : अध्यक्ष महोदया, हम देखते हैं कि बैंक में पैसा रखने वाला आदमी साधारण या मिडिल क्लास आदमी होता है। लेकिन लोन लेने वाले लोग कारपोरेट सैक्टर, उद्योग सैक्टर, व्यापार सैक्टर के होते हैं। कहीं-कहीं लोग 1-2 नहीं, 5-6 बैंकों से कर्ज, कनसॉरशियम लेते हैं। डिफॉल्टर वही होते हैं। हमने यह कभी नहीं देखा कि कारपोरेट या इंडस्ट्रियल लोगों ने अपने 100-200 करोड़ रुपये बैंक में रखे हैं। लेकिन लोन लेने वाले वही होते हैं। हमने चार दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि 48 प्रतिशत एनपीए सैंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स हैं कि ग्रॉस एनपीए 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नैट एनपीए 4 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमैंट अंडरटेकिंग्स बैंक हैं। एक समाज में वे लोग होते हैं जिनका पैसा होता है और दूसरे वे लोग होते हैं जो डिफॉल्टर होते हैं। दूसरी तरफ हम बजट में उनके लिए प्रावधान करते हैं, जो पैसा हमारे देश के विकास में लगने वाला है। दो साइड से नुकसान कॉमन आदमी और समाज के बाकी के स्तर के लोगों का होता है। अगर इतने बड़े पैमाने पर उसका एनपीए होता है, तो यह बहुत सीरियस है। मैंने कभी नहीं देखा था कि 48 प्रतिशत तक बैंक, देना बैंक, सैंट्रल बैंक, और भी बैंक हैं। इसे बहुत गौर से और सीरियसली देखना जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में वित्त मंत्री जी की क्या राय है और इसके लिए वे क्या करने वाले हैं?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं पहले माननीय सांसद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने बात उठाई है। आपको मालूम है कि आज मीडिया और टीवी चैनल में इस विषय पर काफी चर्चा चल रही है। इसलिए मैं थोड़ा विस्तार और व्यापक रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आज के समय में एनपीएज और स्ट्रैस्ड ऐसैट्स में क्या हो रहा है। जब भी आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, तो स्ट्रैस्ड ऐसैट्स भी बढ़ते जाते हैं। हमारी सरकार बीस महीने पहले आई। उसके बाद हम आर्थिक हालात में बहुत सुधार लाए हैं। परन्तु इससे पहले जो मामला चल रहा था, आपको मालूम है कि उस समय आर्थिक हालात काफी बिगड़ गए थे, काफी स्ट्रैस आ गया था। इकोनॉमी के कई सैक्टर्स में काफी स्ट्रैस आ गया था। इस कारण बैंकिंग सैक्टर में भी स्ट्रैस आने लगा। जब हमारी सरकार आई, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ साल से हम इस बात पर पूरी तरह अध्ययन कर रहे हैं और आरबीआई और बैंकों के साथ कोलैबोरेटिव तरीके से, भागीदारी से कोशिश कर रहे हैं कि इस विषय पर सही नीतियां बनाई जाएं। इस प्रकार से बैंक के बैलेंस सीट में सुधार कर सकते हैं और इकोनॉमी के स्ट्रैस को कम कर सकते हैं। इस पर हम लोग पूरे तरीके से लगे हुए हैं और इसके लिए डेढ़ साल से कोशिश कर रहे हैं। इस

प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट नजर आया कि हमें तीन प्रमुख चीजें करनी हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहली बात यह है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है, जो इंडस्ट्री में स्ट्रैस है, उसमें हम लोगों को सुधार लाना है चाहे स्टील हो, टेक्सटाइल्स हो, शुगर हो, सीमेंट हो या रोड्स हो, अगर इंडस्ट्री वाइड और सेक्टर वाइड स्ट्रैस को कम नहीं करेंगे तो कंपनियों और बैंकों में सुधार नहीं आ पाएगा।

हम लोगों ने रोड्स में बहुत परिवर्तन किया है, स्टील के बारे में आपको मालूम है कि हम लोगों ने कितना कुछ किया है, इसमें सेफगार्ड्स ड्यूटी लाए हैं, मिनिमम इम्पोर्ट प्रोसेस लाए हैं, शुगर में हम लोगों ने काम किया है, टेक्सटाइल्स में अमेंडेड टीयूएफएस लाए हैं। प्रत्येक सेक्टर में जहां भी सुधार करना था, जैसे कोल एलोकेशन में ऑक्शन करना था, स्पेक्ट्रम में ऑक्शन करना था, इन सभी में हम लोगों ने सुधार किया है। इंडस्ट्री वाइड और सेक्टर वाइड जो नीतियां अपनानी थी उसे अपनाया है, वह एक बिन्दु है। दूसरा बिन्दु, यह है कि कुछ स्फेसिफिक सिच्यूएशन हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो थोड़ी गंभीर हालत में आ गई हैं और जो अपना लोन नहीं दे पा रही हैं, जिसे रेजोलूशन प्रोसेस कहा जाता है। उस रिजोलूशन प्रोसेस को भी हम लोगों ने दुरुस्त बनाया है, उस रेजोल्यूशन प्रोसेस में पहली बात यह है कि एक क्रिलिक है, जहां पूरा डेटा बेस हम लोगों ने तैयार किया गया है। लार्ज लोन के बारे में पूरी तरह से सिस्टम वाइज जानकारी क्रिलिक के माध्यम से हम लोगों को मिल रही है। इसके साथ-साथ बैंक का ज्वाइंट लेंडर फोरम तैयार किया है, जिसमें हम बैंक से मिलजुलकर जो बॉरोअर हैं, जो सही तरीके से बिजनेंस नहीं चला रहे हैं या गलत कम कर रहे हैं, ज्वाइंट लेंडर फोरम के द्वारा उसे ठीक करेंगे। ...(व्यवधान) तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने चाहे वह क्रेडिट डैब्ट रिस्ट्रक्चरिंग या सीडीआर या जिसे एसडीआर कहते हैं, हमने बैंकों को साधन दिए हैं कि कोई भी प्रोमोटर हो अगर वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसकी डैब्ट की रिस्ट्रक्चरिंग होगी या प्रोमोटर को रिप्लेस कर दिया जाएगा।

आज के समय सभी सांसदों को विश्वास होना चाहिए कि करीब 40 एसडीआर के प्रोसेसज चल रहे हैं और वहां प्रोमोटर को रिप्लेस किया जा रहा है, जहां हमें पता चला है कि वह ठीक तरीके से अपना बिजनेस नहीं चला रहे हैं। यह दूसरा मुद्दा है कि हम लोगों ने बैंकों को साधन दिए हैं, केस दर केस रेजोल्यूशन करना है, उसे रिजोलूशन किया जाए। तीसरा प्रमुख मुद्दा है जिसमें किसी को कोई शंका न हो कि हमारा बैकिंग सिस्टम एकदम दुरुस्त है। हम लोगों इन्द्रधनुष के माध्यम से सिस्टेमिक रिर्फाम्स लाए हैं और पूरे तरीके से हम लोगों ने कहा है कि बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन होगा।

SHRI ANIL SHIROLE: Thank you Madam Speaker. I would like to know whether the Government has considered developing sector-based lead indicators to control the problem; if so, the result thereof.

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, with respect to distress in various sectors that is monitored by a number of institutions, each bank has a lot of expertise in many of these sectors. They have made loans to many borrowers in these various sectors. So, they monitor these sectors very-very carefully. In fact, any credit policy that they have, any loans that they make, they are taking into account what is happening in those sectors as also the credit worthiness of various borrowers. Loans are obviously more expensive if they feel that the risks are high.

Secondly, the RBI also monitors each sector and tries to understand what the systematic exposure is per sector.

Finally, as far as the Government is concerned, obviously in the Steel Ministry, Textiles Ministry and so on we are monitoring and receiving representations from all stake holders about what is happening in the Ministry. As I responded to the hon. Member earlier, whenever it was necessary to take sector-wide steps we have taken those in a very-very speedy fashion as well.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: My friend Jayant Babu has answered like a '*babu*'. The basic question here is RBI has failed to give early warning to the respective banks. RBI, who is supposed to be the regulator, has failed. My pointed question is because time is short, those banks who have faulted, where NPA has led to bad debt, what action the Government has taken or is contemplating to take against those erring bank officials.

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, hon. Member is a very learned Member of this House. He has had the opportunity to serve with my father on the Committee on Finance. So, I think he is confusing who the Babu is with my father. I am actually a businessman and an investor. I understand very well what it means to lose money. So, I can assure you that we have taken whatever actions are necessary to ensure that our banking sector is robust, that we have competent,

capable and honest people in responsible positions. There is significant scrutiny from RBI and from our various investigative agencies.

Upon all of this, as you know, certain banks' Chairmen have been put under investigation. There are CBI cases against them. We have completely overhauled the process by which Managing Directors and Directors of the banks are selected.

So he can rest assured and rest of the House and the country can be assured that we have taken all actions necessary to ensure that first of all the banks are vigilant and secondly, systemically this does not happen again.

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने सदस्यों की चिंता देखी है। सबको इस बात की चिंता है।

HON. SPEAKER: Members, I have received notices of adjournment motions from Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri P. Karunakaran and Shri M.B. Rajesh on different subjects. The matters, though important enough, do not warrant interruption of business of the day. These matters can be raised through other opportunities that will be given. Therefore, I have disallowed all the notices of adjournment motions.

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table a copy (Hindi and English versions) of the Economic Survey, 2015-2016 (Volume I & II).

[Placed in Library, See No. LT 4103/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): On behalf of Shri Anant Geete, I beg to lay on the Table a copy (Hindi and English versions) of the Public Enterprises Survey, 2014-2015 (Volume I & II).

[Placed in Library, See No. LT 4104/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993:-

(1) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.37(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(2) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.38(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(3) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.39(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(4) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.40(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(5) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.41(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(6) The Debts Recovery Tribunal-I, Ahmedabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.42(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(7) The Debts Recovery Tribunal-2, Ahmedabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.43(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(8) The Debts Recovery Tribunal, Allahabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.44(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(9) The Debts Recovery Tribunal, Aurangabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.45(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(10) The Debts Recovery Tribunal, Begaluru (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.46(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(11) The Debts Recovery Tribunal-I, Chandigarh (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.47(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(12) The Debts Recovery Tribunal-2, Chandigarh (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.48(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(13) The Debts Recovery Tribunal-I, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.49(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(14) The Debts Recovery Tribunal-2, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.50(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(15) The Debts Recovery Tribunal-3, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.51(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(16) The Debts Recovery Tribunal, Coimbatore (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.52(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(17) The Debts Recovery Tribunal, Cuttack (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.53(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(18) The Debts Recovery Tribunal-I, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.54(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(19) The Debts Recovery Tribunal-2, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.55(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(20) The Debts Recovery Tribunal-3, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.56(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(21) The Debts Recovery Tribunal, Ernakulum (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.57(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(22) The Debts Recovery Tribunal, Guwahati (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.58(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(23) The Debts Recovery Tribunal, Hyderbad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.59(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(24) The Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.60(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(25) The Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.61(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(26) The Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.62(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(27) The Debts Recovery Tribunal-2, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.63(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(28) The Debts Recovery Tribunal-3, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.64(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(29) The Debts Recovery Tribunal, Lucknow (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.65(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(30) The Debts Recovery Tribunal, Madurai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.66(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(31) The Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.67(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(32) The Debts Recovery Tribunal-2, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.68(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(33) The Debts Recovery Tribunal-3, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.69(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(34) The Debts Recovery Tribunal, Nagpur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.70(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(35) The Debts Recovery Tribunal, Patna (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.71(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(36) The Debts Recovery Tribunal, Pune (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.72(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(37) The Debts Recovery Tribunal, Ranchi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.73(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(38) The Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.74(E) in Gazette of India dated 15th January, 2016.

(39) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Court Master) Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.957(E) in Gazette of India dated 11th December, 2015.

(40) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Court Master) Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.958(E) in Gazette of India dated 11th December, 2015.

(41) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Court Master) Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.959(E) in Gazette of India dated 11th December, 2015.

(42) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Court Master) Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.960(E) in Gazette of India dated 11th December, 2015.

(43) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Court Master) Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.961(E) in Gazette of India dated 11th December, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4105/16/16]

12.03 hours

LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

HON. SPEAKER: The Committee on Absence of members from the Sittings of the House in their first Report have recommended that leave of absence be granted to the following members for the periods indicated against each:

1.	Shri Vinod Khanna	21.07.2015 to 13.08.2015 } & 26.11.2015 to 23.12.2015 } granted
2.	Capt. Amarinder Singh	06.05.2015 to 13.05.2015 } 21.07.2015 to 13.08.2015 } & 26.11.2015 to 22.12.2015 } granted
3.	Shri S.P.Y. Reddy	26.11.2015 & 23.12.2015 } granted
4.	Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radadiya	08.05.2015 to 13.05.2015 } 21.07.2015 to 13.08.2015 } & 26.11.2015 to 23.12.2015 } granted
5.	Rama Chandra Hansdah	20.04.2015 to 13.05.2015 } 21.07.2015 to 13.08.2015 } 26.11.2015 to 14.12.2015 } condoned & 15.12.2015 to 23.12.2015 } granted

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: Leave is granted. The members will be informed accordingly.

12.04 hours

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
14th to 17th Reports

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :--

(1) 'सामान्य रक्षा बजट (मांग संख्या 20, 21 और 27) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में' रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21, 22 और 28) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में' रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 15वां प्रतिवेदन।

(3) 'नौसेना और वायुसेना (मांग संख्या 24 और 25) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में' रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 16वां प्रतिवेदन।

(4) 'आयुध निर्माणियां तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग संख्या 26 और 27) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में' रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन।

12.05 hours

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS
(i) 271st to 277th Reports

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests:-

(1) Two Hundred Seventy-first Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Two Hundred Fifty-sixth Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16) of the Department of Atomic Energy.

(2) Two Hundred Seventy-second Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Two Hundred Fifty-fifth Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16) of the Department of Space.

(3) Two Hundred Seventy-third Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Two Hundred Fifty-eighth Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16) of the Department of Science & Technology.

(4) Two Hundred Seventy-fourth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Two Hundred Fifty-ninth Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16) of the Department of Biotechnology.

(5) Two Hundred Seventy-fifth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Two Hundred Sixtieth Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Earth Sciences.

(6) Two Hundred Seventy-sixth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Two Hundred Fifty-seventh Report of the Committee on Demands for Grants (2015-16) of the Department of Scientific & Industrial Research.

(7) Two Hundred Seventy-seventh Report on 'The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015'.

(ii) Evidence

KUMARI SUSHMITA DEV : I beg to lay on the Table the Evidence tendered before the Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests in relation to its Two Hundred Seventy-seventh Report on 'The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015'.

12.07 hours

BUSINESS OF THE HOUSE

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, मैं 29 फरवरी, 2016 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य देता हूं।

1. आज की कार्य सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. 29.02.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वर्ष 2016-17 के लिए बजट (सामान्य) का प्रस्तुतीकरण।
3. वर्ष 2016-17 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा।
4. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :-
   (क) वर्ष 2016-17 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)
   (ख) वर्ष 2015-16 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)
5. संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Madam Speaker, I request you to include the following subjects in the agenda for next week's business in the Lok Sabha:

1. Sharp fall in price of natural rubber owing to indiscriminate import.
2. Inordinate delay and cancellation of Air India flights on account of shortage and/non-reporting of pilots and cabin crew.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष जी, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

1. प्रत्येक सांसद को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद में क्षेत्र विकास हेतु पांच करोड़ रुपए मिलते हैं लेकिन संसदीय क्षेत्र का क्षेत्रफल बड़ा होन एवं आम जनता की अपेक्षा में चलते यह रकम काफी कम पड़ती है। अतः सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु उक्त रकम को बढ़ाकर दस करोड़ करने हेतु सख्त विधि नियम बनाया जाए।

2. बिहार के सुपौल जिला में अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के हांसा, चमेलवा, मोमिन टोला, पीरगंज तेलियारी बेला, मौजहा, सुजानपुर गांव, कोशी की विभीषिका से काफी प्रभावित हैं जिसके तहत करीब हजारों लोग

प्रभवित होते हैं। इस इलाके में लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए करीब 10-15 कि.मी. सुरक्षा गाईड बांध का निर्माण आवश्यक है। अतः इस सुरक्षा गाईड बांध के अविलम्ब निर्माण हेतु सख्त विधि नियम बनाया जाए।

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित समस्याओं को जोड़ने का कष्ट करें :-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के सेवा ग्राम जहां गांधी जी की कार्यभूमि है, के लिए सरकार ने "गांधी फोर टुमारो" योजना के तहत विशेष पैकेज स्वीकृत किया है, को शीघ्र विमुक्त करने के संदर्भ में है।

2. राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज एवं महासंत गाडके जी महाराज का भारत रत्न समीक्षा कर देने की आवश्यकता है, इन्होंने अपने जीवन का पूरा समय मानव कल्याण के लिए अर्पित किया है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर जो एक औद्योगिक लौह नगरी के नाम से विख्यात है, वहां बहुत सारे माइन्स एवं उद्योग स्थापित हैं। टाटा, उषा मार्टिन जैसे बड़े उद्योग स्थापित होने के कारण वहां दूसरे राज्यों से लाखों लोग रोजगार हेतु बसे हुए हैं। जमशेदपुर में केवल एक ही केंद्रीय विद्यालय है, जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों से सीट भर जाती हैं और आम आदमी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए संबंधित मंत्रालय से मेरी मांग है कि हमारे संसदीय क्षेत्र के पटमदा एवं पोटका प्रखंड में एक केंद्रीय विद्यालय अथवा एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए।

2. टाटानगर से बादाम पहाड़ रेल लाइन को बालेश्वर से जोड़ने पर भुवनेश्वर की कनैक्टिविटी मिलेगी और यहां आयरन ओर के बड़े माइन्स होने के कारण व्यापार की दृष्टि से आम लोगों जीवनरेखा साबित होगा और लगभग टाटा भुवनेश्वर की दूरी में 100 कि.मी. की कमी आएगी। वर्षों पुरानी मांग इस लाइन को टाटा से बादाम पहाड़ तक दोहरीकरण किया जाए।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित दो विषय को सम्मिलित किया जाए:-

1. मुंबई में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक निर्माण किए जाने के बारे में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सीआरजेड नोटिफिकेशन, 2011 के अधीन विशेष छूट प्रदान करने और महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथारिटी (एमसीजेडएमए) को अधिकार प्रदत्त करते हुए

परियोजना प्रस्तावक/योजना प्राधिकरण को राज्य स्तर पर देखते हुए निर्देश प्रदान किए जाने से संबंधित विषय।

2. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जेएनएनयूआरएम मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों की मदद के उद्देश्य से शहरी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने हेतु निधि का आबंटन किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम मिशन के अंतर्गत जो प्रस्ताव प्रेषित किया है, उस पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को धन का आबंटन किए जाने से संबंधित विषय।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Madam, I would like the following items to be included in the next week's business.

1. Discussion on the need to define the term "consultation" in the Constitution to ensure that substantial questions of law do not arise, while allowing all three pillars of democracy – the Legislature, the Executive and the Judiciary – to discharge their functions without confusion and conflict.
2. Discussion on the need to empower the relevant Government to allow for the notification of reservation of backward classes if already notified by States or the Centre respectively.

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, the following item may be taken for discussion during the next week's business:

"Regarding upgradation of Neralagiri Branch Post Office into a Departmental Sub Post Office at Krishnagiri District for want of services such as NSC issue, KVP sale, receive OPA and send/receive parcel."

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय अध्यक्ष जी, आज बढ़ता हुआ वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक गैरबराबरी जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे समक्ष खड़ी हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जब सबके विकास की बात कही है तो यह न केवल भारत के विकास की बात है बल्कि उनका दृष्टिकोण सम्पूर्ण विश्व का विकास है। इसलिए हमें राष्ट्रों के वैश्विक समुदायों के समक्ष इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सम्पूर्ण मानवता को एक जागरूकता अभियान में सहभागी बनाना होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि ग्लोबल आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय असमानता जैसे मुद्दों को सदन की आगामी कार्यवाही में शामिल किया जाए।

My second submission is as follows.

I would like to request the hon. Minister for Commerce to highlight the various issues which were discussed in WTO meeting which was held in Nairobi in the Kenyan capital. I request you to include this issue in the next week proceedings of Lok Sabha. The US and EU were emphasizing to include investment on energy, security as new issues but for India labour and environment are non-trade issues but for India, labour and environment are non-trade issues. For India, there is a need to rework the formula to calculate permissible level of domestic procurements as the current one may restrict ability to procure grains for PDS. Although the Government is committed to the cause of farmers and has taken a consistent stand at WTO to protect their interest, the nation would like to know the current outcome of WTO meeting in Nairobi.

I request you to include all these issues in the next week's proceedings.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा जनपद में बांदा -विसंडा मार्ग अति जर्जर स्थिति में है जिससे रोज गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए इस विषय पर चर्चा कराकर इसके निर्माण हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

इसी तरह से मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में पहाड़ी से लेकर राजापुर तक सड़क बहुत ही खराब है। आए दिन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसलिए इस विषय पर चर्चा कराकर इसके शीघ्र निर्माण हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : माननीय अध्यक्ष जी, रांची से पुरोलिया रेलवे लाईन पर टाटी सिलवे के पास एक ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 2014 के रेल बजट में स्वीकृत हुआ था परंतु 23 महीने बीत जाने के बाद भी उपरोक्त ओवर ब्रिज पर कार्य शुरु नहीं किया गया है जिससे टाटी सिलवे रोड पर घंटों जाम बना रहता है। अत: टाटी सिलवे पर तत्काल ओवर ब्रिज निर्माण करने का कार्य कराया जाए।

माननीय रेल मंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में रांची से यरनाकुलम-केरल-वाया बैल्लोर रेल सेवा शुरु करने की घोषणा की थी और इसके चलने की तारीख एवं दिन की भी घोषणा की गई परंतु अभी तक इसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। वर्तमान समय में हजारों की संख्या में लोग रांची से यरनाकुलम उपचार के लिए आ जा रहे हैं। जनहित में उपरोक्त रेल सेवा को शुरु करवाने का कार्य कराया जाए।

12.14 hours

*MOTION RE: REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2015 – EXTENSION OF TIME

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

कि यह सभा दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय को बजट सत्र, 2016 के दूसरे भाग के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाए।

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2015 upto the last day of the first week of second part of the Budget Session, 2016."

The motion was adopted.

---

* *Memorandum giving reasons for extension of time circulated separately.*

माननीय अध्यक्ष : आज शून्यकाल शाम को लिया जाएगा।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Respected Speaker, I would like to bring to your kind notice that some derogatory remarks made against respected leaders of Congress Party, Shrimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi were not expunged from the records. The references to the RSS, Shri O.P. Sharma and Nathuram Godse were deleted from the Shri Jyotiraditya Scindia's speech in the Lok Sabha on 'situation arising out of recent incidents in the institutions of higher education in reference to Jawaharlal Nehru and Hyderabad Universities and other universities'. However, the names of Shrimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi still persist on the records as part of Shri Anurag Singh Thakur's speech, which alleged that Shri Rahul Gandhi was supporting the anti-national activity. I am also submitting the text of the speech.

Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha states:

> "No allegations of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply.
>
> Provided that the Speaker may at any time prohibit any Member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

You have removed those names. He has made derogatory remarks. I am going to hand over the debates to you later on. This should be expunged. Otherwise, what will happen is everybody will criticize and everybody will give his or her opinion about the individuals as to who is a nationalist or who is an anti-nationalist, etc.

Therefore, you have, under Rule 353, deleted other names. You could not have deleted that. Still that is your discretion. You have done that. On the same parameter, I request you to delete these two names from the reference which I am going to hand over to you and accordingly correct the proceedings.

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, खड़गे जी का अधिकार है कि जिस विषय पर उनकी आपत्ति है, उस विषय पर अपनी टिप्पणी करके आपके समक्ष रखें कि इन नामों को भी सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। अंततोगत्वा धारा 353 के अंतर्गत यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस विषय में अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष का होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई विषय रखा गया है तो इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम है। चूंकि श्री अनुराग ठाकुर सदन में उपस्थित हैं, उनका नाम भी लिया गया है इसलिए वे भी स्वाभाविक रूप से इस विषय को रखेंगे। जिस तरह से यह विषय खड़गे जी द्वारा आपके संज्ञान में लाया गया है, उसी तरह से आप श्री अनुराग ठाकुर को भी एक विषय सदन के सामने रखने की अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे तो मुझे ही देखना है। It is my prerogative. I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this?

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: How can an hon. Member become anti-national? Has he become anti-national just because he is saying?

HON. SPEAKER: I will have to see all these things.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं सारी बातों को देखूंगी। आप ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। आपने आज यह विषय उठाया है, मैं पहले इसे देखूंगी।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैडम स्पीकर, आज दो बड़े स्टेटमेंट्स पेपर में छपे हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूर्व गृह सचिव ने कहा है कि . Pillai distances himself

from Ishrat's affidavit. और पूर्व गृह मंत्री ने अफज़ल गुरु की फांसी पर भी प्रश्न खड़े किये हैं। आपके माध्यम से मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार जो एफिडेविट की बात कही गयी, वह एफिडेविट 6 अगस्त, 2009 को दायर किया गया था और उसे वापस...(व्यवधान) मैंने सुबह में नोटिस दिया है। ...(व्यवधान) कई वर्षों तक लगातार इशरत जहाँ के केस में पूरा देश देख रहा था, ...(व्यवधान) इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, को फंसाने का जिस तरह से प्रयास किया गया, उसे देश जानना चाहता है। जिस तरह से पूर्व गृह सचिव ने कहा कि किस तरह से एफिडेविट को बदला गया। ...(व्यवधान) पूर्व सरकार के समय 6 अगस्त, 2009 को ऐफिडेविट दायर किया गया और सितम्बर महीने में उसे बदल दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : एनकाउंटर वर्ष 2004 में हुआ। यह प्रश्नचिह्न खड़ा किया जाता था कि यह फेक एनकाउंटर है। लेकिन ऐसा नहीं था। यह एक सोची-समझी साज़िश थी। ..(व्यवधान) जिसे पूर्व सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए की थी। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : It is okay.

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ..(व्यवधान) इस साज़िश के पीछे कौन थे? उन्होंने कहा कि एफिडेविट को पोलिटिकल लेवल पर बदला गया था। पोलिटिकल लेवल पर वे कौन लोग थे, इसे देश जानना चाहता है। ..(व्यवधान) किन लोगों ने उस एफिडेविट को पोलिटिकल लेवल पर बदला, यह देश जानना चाहता है।..(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, we take up the debate on the Motion of Thanks on the President's Address.

Shri Sultan Ahmed.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Sultan Ahmed.

… (*Interruptions*)… *

---

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Yes, I know. I have seen it. Please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You give notices on different rules. You give notice under relevant rule. It is not an adjournment motion. मुझे मालूम है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Sultan Ahmed.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : आपने एडज़र्नमेंट नोटिस दिया था, उस पर मैंने आपको बता दिया है। Not now. आप दूसरी नोटिस दे दें। I am sorry.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

..(व्यवधान)

* Not recorded.

<u>12.24 hours</u>

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS-Contd.

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया) : मैडम स्पीकर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कुछ टिप्पणी करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी पार्टी की तरफ से मुझे यह कहा गया है कि यह एक सरकारी दस्तावेज़ है। इससे हक़ीकत का, सच्चाई का कोई ताल्लुक नहीं है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय जी से की, जिनका सपना था गरीबों की उन्नति देखना, गरीबों की गरीबी दूर करना, गरीबों के चेहरे पर हंसी देखना।

किसानों की समृद्धि, किसानों की तरक्की की बात उन्होंने कही, लेकिन आज इस देश में गरीबों की उन्नति सरकार ने इस तरह से की है कि फूड सिक्योरिटी के नाम से एक बिल वर्ष 2013 में आया था, उसे सरकार ने अब तक लागू नहीं कर पाई है। सरकार के जो सोशल वेंचर्स थे, सोशल प्रोजेक्ट्स थे, मनरेगा से लेकर आंगनवाड़ी तक सभी प्रोग्राम्स में रुपयों में कटौती की गयी। इनका बजट जो इन्हें खर्च करना चाहिए थ, इस सरकार ने पिछले वर्षों में नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय जी युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे कि उन्हें रोजी-रोटी से जोड़ा जाए। आज यह सरकार बताए कि पिछले 19 महीनों में देश के कितने नौजवानों को नौकरी मिली? यह सरकार बताए कि देश के बेकार नौजवान इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाकर इंतजार करते हैं कि सरकारी दफ्तरों से उन्हें कोई सूचना मिलेगी, इस सरकार इसके लिए अब तक क्या कर पाई है? इसका कोई जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है, उल्टे हम यह देख रहे हैं कि...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I want to draw your attention that the debate on the Motion of Thanks on the President's Address is going on in the House and only one Minister is present in the Treasury Benches. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Two Ministers are there. One Minister is sitting here and another is sitting there.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Only two Ministers! … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: In fact, three Ministers are present in the House. Manekaji is also there. How can you say like this? Please take your seat.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आप बिना देखे कैसे बोलते हैं, मेरा भी ध्यान है इन चीजों पर। हर चीज में नहीं बोलते हैं। मंत्री सदन में हैं। केवल विषय उठाने के लिए मत बोलिए, सौगत राय जी, आप सीनियर मेंबर हैं।

…(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, कल जब आप यहां नहीं थीं, कल इसी विषय पर चर्चा शुरू हुई, खड़गे जी बोल रहे थे, राजीव प्रताप जी जाकर प्रधानमंत्री जी को लेकर आए और उनके पीछे-पीछे चार-पांच कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पहुंचे।

12.28 hours (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

कल श्री एम. वैंकैय्या नायडू जी ने एक घण्टे दस मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी की ... * के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह कसीदा पढ़ रहे थे। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Unparliamentary words will be removed.

श्री सुल्तान अहमद : कविता पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री जी की शान में कि देश से सब गरीबी दूर हो गयी, किसान हंस रहे हैं, नौजवान स्टार्ट अप को लेकर अपनी रोजी बनाएंगे, लेकिन इसी देश में गुज़श्ता साल 1100 किसानों ने आत्महत्या की है, सिर्फ महाराष्ट्र में की है, मैं अन्य किसी जगह के बारे में नहीं कह रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के सदस्यगण बैठे हैं।…(व्यवधान) महाराष्ट्र में पिछले दो महीनों में 200 लोगों ने किसानों ने आत्महत्या की है। अरूण जेटली जी यहां बैठे थे, जयंत सिन्हा जी ने एलान किया कि जो एनपीए हुआ है बैंको में, आज जो रुपया लोगों ने डुबाया है, सुप्रीम कोर्ट ने तालिका मांगी है, हमें लिस्ट दो किन लोगों ने किया है। ये सब बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, पूंजीपति हैं, लेकिन इस देश में जब किसान आत्महत्या करता है तो उसके सात दिनों के अंदर बैंक मैनेजर किसान के घर जाकर कहता है कि हमने तुमको लोन दिया था। उस किसान की बीवी और बेटा कहता है कि हमने लोन नहीं लिया था, मेरे पिताजी ने लोन काश्तकारी के लिए लोन लिया था, तो बैंक कहता है कि नहीं, तुम्हारे नाम में है, तुम्हारे पिता के नाम में है, तुम्हारे शौहर के नाम मे हैं।

तुम्हारे पिता के नाम पर, तुम्हारे शौहर के नाम पर यह रुपया लिया गया था, अब हमें वापस दो। यह बैंकों का हाल है और हमारी सरकार इस साल 1 लाख 4 करोड़ रुपए जो बैंकों से लूटे गए हैं, उन्हें माफ कर रही है। यह पैसा लोन के रूप में बड़े लोगों ने लिया था, जिनका महाराष्ट्र में कारोबार फेल हो

* Not recorded.

गया, लेकिन यू.पी. में जमा हुआ है। इसी तरह ये लोग दिल्ली में फेल होते हैं, लेकिन हैदराबाद में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। हर तीन महीने में रजिस्ट्रार आफ कम्पनी का एकाउंट जाता है, तो उससे पता लगता है कि किसी को 25 फीसदी और किसी को 30 फीसदी फायदा हुआ है। यह सब रिकार्ड में है। सरकार ने किस सोच के तहत यह फैसला किया है कि 1 लाख 4 करोड़ रुपए वह माफ करेगी। टोटल देखा जाए तो 6 लाख करोड़ रुपए हैं, उसमें से 1 लाख 4 करोड़ रुपए माफ करने की बात है।

देश के बड़े लोगों में से 50 फीसदी ने यह रुपया बैंकों का मारा है, घोटाला किया है। क्या सरकार ने कभी छोटे कारोबारी से पूछा है कि आपका कारोबार कैसे बंद हो गया? आप देखें बिजली के दामों में दिनों-दिन इजाफा होता जा रहा है और सरकार कहती है कि we are self-sufficient in energy. लेकिन हमारे छोटे कारोबारियों को, छोटे उद्योगपतियों को, एम.एस.ई. को बिजली नहीं मिल रही है, रॉ-मेटिरियल नहीं मिलता है। चीन का माल यहां आ रहा है और वे उससे कम्पीटिशन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण उनकी कम्पनीज और कारखानों में ताला लग रहा है। सरकार उसे नहीं देख रही है। केवल एंटी डम्पिंग कानून बनाकर रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि चीन का माल दूसरे मुल्कों के रास्ते हमारे देश में आ रहा है। इस तरह सरकार इस मामले में नाकाम हुई है और हमारे छोटे उद्योगपति बड़ी तादाद में दम तोड़ रहे हैं, एम.एस.ई. और एम.एस.एम.ई. दम तोड़ रही है। लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं कहती है कि हम छोटे कारोबारियों के साथ, छोटे उद्योगपतियों के साथ हैं।

इसी तरह किसानों की फसल के दाम तय करने के लिए एम.एम.पी. दिया जाता है, लेकिन वह वास्तव में मिलता नहीं है। जब किसान अपना उत्पाद लेकर बाजार में जाता है तो उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है। सरकार भी इस बात को जानती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा नहीं, हम तमाम सेक्टर्स को अलग-अलग देख रहे हैं, लेकिन वह केवल बड़े लोगों को देख रही है, छोटों को नहीं देख रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण की शुरूआत दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम से शुरू की और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जी के नाम पर, उनके राष्ट्रवाद को लेकर और उनकी जो इस बारे में धारणा थी, उसे लेकर अपनी बात समाप्त की। हमारे देश में राष्ट्रवाद इन दो सालों में कमजोर हुआ है, यह बात सुल्तान अहमद या तृण मूल कांग्रेस नहीं कह रही है। अभी नेशनल माइनोरिटी कमीशन ने राज्यों के माइनोरिटी कमीशन की कांफ्रेंस ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित की थी। उसमें हमारी मंत्री नजमा हेपतुल्ला और नकवी साहब भी थे। नेशनल माइनोरटी कमीशन के एडीशनल सेक्रेटरी ... * कहा, यह 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार की रिपोर्ट है:- "Minister watching, Minority panel official says:

* Not recorded.

Can’t sleep at night, mahaul worrying” वह कह रहे हैं, सरकारी आदमी एडीशनल सेक्रेटरी... * कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है। अक्लियत के लिए माहौल अच्छा नहीं है। जहां एक बड़ा अधिकारी यह कहे कि मुझे रात को नींद नहीं आती, वहां पर 15-20 करोड़ हम लोगों का क्या हाल होगा, प्रधान मंत्री जी को तो विदेश जाने-आने से ही फुर्सत नहीं है।

HON. DEPUTY SPEAKER: The officer’s name does not go on record.

श्री सुल्तान अहमद : माइनोरिटी कमीशन के एडीशनल सेक्रेटरी ने कहा है, I will place the paper cutting before you, Deputy Speaker, Sir. आज यह हालत है और यहां राष्ट्रवाद की दुहाई दी जाती है।

नेता जी की जो आइडियोलॉजी थी, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए आजाद हिन्द फौज बनायी थी। दाहिने तरफ जनरल शाहनवाज हुआ करते थे और बायीं तरफ प्रेम सहगल हुआ करते थे। यह नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की विचारधारा थी। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने इनक्लुसिव नेशनलिज्म के बारे में कहा था। उनका नेशनलिज्म सिर्फ भारत नहीं था। उन्होंने एक बंगाली होने के बावजूद आजाद हिन्द फौज की बुनियाद अफगानिस्तान की सरज़मी पर डाली थी। सिंगापुर में उन्होंने बुनियाद डाली थी। नेशनलिज्म सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं, उसे यूनिवर्सलनिज्म के साथ जोड़ा था। यह नेशनलिज्म का सपना नेता जी ने दिया था। आज आप बात नहीं कर सकते हैं, बयान नहीं दे सकते हैं। आप क्या खाएंगे, उसका फैसला भी आरएसएस करेगी, उसके लोग घर-घर जाकर करेंगे। यह नेशनलिज्म नेता जी का सपना नहीं था, यह नेशनलिज्म जवाहर लाल नेहरू का सपना नहीं था, यह नेशनलिज्म महात्मा गांधी का सपना नहीं था, यह नेशनलिज्म रवीन्द्र टैगोर का सपना नहीं था। उन्होंने जापान में जाकर नेशनलिज्म की बात की थी। उन्होंने पूरी दुनिया में भाईचारा फैलाया था। आप जब पार्लियामेंट एंटर करते हैं तो पार्लियामेंट की दीवार पर चस्पा है। पत्थर काटकर लिखा गया है- वसुधैव कुटुम्बकम। The whole universe is for human being. There are no geographical boundaries of humanity. मैं आरएसएस के भाइयों से कहूंगा, आरएसएस के प्रचारक से कहूंगा कि वह दीवार में जाकर काला रंग लगा दें कि नहीं, यह हम नहीं चाहते हैं। तुलसीदास ने कहा था कि मांग के खाइबो, मस्जिद में सोइबो। हम मांग के खा लेंगे और मस्जिद में सो लेंगे। तुलसीदास ने कहा था और रामायण में यह लिखा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था-

> “Patriotism cannot be our final spiritual shelter; my refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live.”

---

* Not recorded.

यह कहा कि हम इंसानियत पर किसी को तरजीह नहीं देना चाहते हैं। आज देश में मामूली अकीलियती फिरका के लोग, चाहे वह अब्दुल खालिक हो दादरी का, चाहे पूंजीपति हो, चाहे कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, अख्लाक की क्या गलती थी? अख्लाक का क्या कुसूर था? होम मिनिस्टर साहब यह कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम सम्प्रदाय को बुलाकर समझाया जाए, लेकिन दिल जीतने का काम यह सरकार नहीं कर रही है। वह कोई कोशिश करते हैं तो हमारे लोग कहते हैं कि मुसलमान को आराम की नींद सोना है तो पाकिस्तान चले जाओ। यहीं से कहा जाता है। यह अफसोस की बात है। देश को बनाने में, देश की अर्थनीति में क्या 15-20 परसेंट अखलियतों का रोल नहीं है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के गिरजों पर हमले हो रहे हैं। आज उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज क्रिश्चियन परेशान हैं। ईसाई सोचने पर मजबूर हैं कि हमने क्या गलती की थी? अखलियत के लोग यह समझते थे, मैं खुद यह समझता था कि मोदी जी बहुत स्ट्रांग निकलेंगे। मोदी जी देश की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। प्रधानमंत्री कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे। लोगों को उस पर भरोसा था। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है कि दो साल में जो हाल इस सरकार का हो गया है।

हम किसी जमाने में कहा करते थे कि यूपीए की सरकार पालिसी पैरालिसिस पर चल रही है, उसकी पालिसी को लकवा मार गया है। यह इसलिए हुआ क्योकि यूपीए-1 और यूपीए-2 का पावर सैंटर 10 जनपथ हो गया था और दूसरा प्रधान मंत्री, डा.मनमोहन सिंह हो गया था। हम लोगों ने जनता को सुना है, लोग कहते थे, वह बात नहीं करते। लेकिन देखने में सिर्फ यह फर्क सामने आया कि हमारे आज के प्रधान मंत्री बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, यह जनता कह रही है। 2012-13 में कांग्रेस के दो पावर सैंटर थे और उसे लकवा मार गया था और आज जो दो पावर सैंटर्स हैं, वह प्रधान मंत्री का पावर सैंटर है और दूसरा नागपुर का पावर सैंटर है। इस तरह से देश नहीं चलेगा।

प्रो. सौगत राय : नागपुर में किसका हैडक्वार्टर है?

श्री सुल्तान अहमद : नागपुर में हमारे दोस्तों का हैडक्वार्टर है, जो संसद में बैठे हैं। आज वे उनका इशारा सुनते हैं, कितनी दूर तक प्रधान मंत्री के पीछे जाना है, कितनी दूर तक प्रधान मंत्री की पालिसी को समर्थन करना है, देश ऐसे नहीं चलेगा। हमारे देश में कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ, हम यह समझते थे कि मोदी जी बड़े ताकतवर हैं, मोदी जी का 56 इंच का सीना है। ...(व्यवधान) मैं तारीफ कर रहा हूं, मैंने 56 से 36 इंच हो गया, ऐसा तो नहीं बोला, मैं 56 इंच ही कह रहा हूं, 36 नहीं कह रहा हूं। आज से दस दिन पहले हरियाणा में क्या हुआ? वहां किसकी सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार है। वहां क्या हुआ, जाट नौजवानों

ने रिजर्वेशन् की डिमांड पर 34 हजार करोड़ रुपये का देश का नुकसान कर दिया। मोदी जी और हमारे राजनाथ सिंह जी करीब थे। वैसे मोदी जी बोलते बहुत हैं, जैसे गुजरात में हार्दिक पटेल का आंदोलन होता है, लेकिन जाट आंदोलन में मोदी जी की जुबान नहीं खुली, लेकिन राजनाथ सिंह जी सामने आए कि मैं देखता हूं। आज क्या हो रहा है, कैसे देश चल रहा है, सैकड़ों लोग मारे गये हैं और समाज में जबरदस्त सोशल टेंशन और एक दरार पैदा हो गई है। लोगों ने वहां रेप किये, ये सब रिपोर्ट राजनाथ सिंह जी के पास है, वह सब जानते हैं, मैं डराना नहीं चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डा.मनमोहन सिंह जी ने अपनी चुप साधने वाली कमजोरी मोदी जी को दे दी है कि चुपचाप रहो। इन हालात में देश को आगे कैसे ले जायेंगे। मैं कह रहा था कि राजनाथ सिंह जी के दफ्तर की रिपोर्ट है, पूरे देश में 2011 से 2015 तक 3365 फिर्कवाराना फसादात हुए। अगर पचास साल का इतिहास देखेंगे तो पचास हजार से ऊपर फिर्कवाराना फसादात इस देश में हुए हैं। लेकिन आज हर महीने तकरीबन 58 से 60 कम्युनल इंसिडेन्ट्स हो रहे हैं। वहीं आप बंगाल में चले जाएं, आज हमारे गवर्नर साहब ने विधान सभा में कहा है - "Bengal is free from all communal riots." बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इंसाफ करना जानती है। वह नौजवानों को नौकरी दे रही है, मुस्लिम नौजवान, जो पूरे देश में दो परसैन्ट के करीब सरकारी नौकरियों में हाशिये पर आ गये हैं। आप जाटों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी इस देश में हर तबके के लोगों के लिए, चाहे वह ब्राहमण हो, चाहे वह खत्री हो, सबके लिए सोच रही है। आप गरीबी की सतह पर आरक्षण दीजिए, कौन पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उन्हें आरक्षण दीजिए। आज आपने जात-पात के नाम पर आरक्षण दिया है। लेकिन जब अक्लियत मुसलमान, अक्लियत क्रिश्चियन को आरक्षण देने की बात आती है तो आप मुंह मोड़ लेते हैं। यह कैसे होगा? आपने बिहार में देखा, वहां की जनता ने, बिहार के किसानों और गरीबों ने किस तरह इस सरकार के खिलाफ वोट दिया। क्योंकि प्रदेश में निर्वाचन होने से ऐसा वातावरण पैदा होता है कि मोदी जी का मुकाबला उस सूबे के होने वाले मुख्य मंत्री से हो रहा है।

आज क्या हो रहा है? हमने कभी नहीं देखा कि इंदिरा जी तमाम सूबों में जा कर मीटिंग कर रही हों। हमने कभी नहीं देखा कि राजीव जी स्टेट का इलैक्शन लड़ रहे हों, हमने कभी नहीं देखा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरे सूबे में जाकर कौन चीफ मिनिस्टर होगा, … (*Interruptions*)… * मोदी जी जब जाते हैं, मोदी जी निर्वाचन के समय में जाते हैं, … (*Interruptions*)… *

* Not recorded.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Allegations cannot go on record.

… (*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के मामले में भी यदि हमने हस्तक्षेप किया था, यदि वहां के जनप्रतिनिधियों से हमने बातचीत की थी, तो अपने प्रधान मंत्री जी से राय परामर्श करने के बाद और उनकी सहमति के आधार पर ही मैंने बातचीत की थी। मैं समझता हूँ कि इतने बेबुनियाद और निराधार आरोप किसी देश के प्रधान मंत्री के ऊपर लगाना कि वे रूपये ले कर साथ जाते हैं, यह ठीक नहीं है, मैं इसे कंडम करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे कार्यवाही से बाहर किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will expunge those words. Those words, which he said, cannot go on record.

… (*Interruptions*)

श्री सुल्तान अहमद : डिप्टी स्पीकर सर, राजनाथ सिंह जी का मैं आदर करता हूँ। …(व्यवधान) लेकिन लोग कह रहे हैं, देश कह रहा है, अगर वे विदेश में रहते, जब हरियाणा का वाक्या हो रहा था, मैं कुछ नहीं कहता, हरियाणा से तीस किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली नगरी में वे बैठे थे, हरियाणा जल रहा था, लोगों की तबाहियां हो रही थी। …(व्यवधान) आज देश का नुकसान हो रहा है। …(व्यवधान) देश सुनना चाहता है। …(व्यवधान) मोदी जी क्या निर्णय ले रहे हैं। …(व्यवधान) जो प्रधान मंत्री हर 15 दिन में मन की बात कहें, मैं सन् 2014-15 की बात कर रहा हूँ, तब मैं भी मन की बात सुना करता था। पूरा देश सुनता था। …(व्यवधान) * आज इस सरकार ने मोदी जी को किस जगह ला खड़ा किया है। …(व्यवधान) *

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sultan Ahmed, you address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री सुल्तान अहमद : 19 महीने पहले, जब वे प्रधान मंत्री बने थे। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Do not write.

… (*Interruptions*)… *

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sultan Ahmed, I am requesting you to address the Chair, first. Second, do not create an atmosphere which raises emotions. Try to be on the point. You have the right to criticise but at the same time, the decorum should be maintained.

---

* Not recorded.

श्री सुल्तान अहमद: डिप्टी स्पीकर सर, कल आप यहां बैठे थे, आपने श्री वैंकैय्या नायडू जी के कसीदे सुने हैं। ...(व्यवधान) रमेश बिधुड़ी जी नहीं हैं, वे नायडू जी के पीछे बैठे थे, रमेश बिधुड़ी जी ने विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया। ...(व्यवधान) मैं कहुंगा कि रमेश बिधुड़ी जी को बुला लीजिए, मैं वैलकम करूंगा।

HON. DEPUTY-SPEAKER: You please address the Chair.

श्री सुल्तान अहमद : डिप्टी सर, वे बैठे थे, आपने कल देखा है तो आज अगर इस भाषण मे मोदी जी का ज़िक्र हो, हमारे कैबिनेट मंत्री एक घंटा दस मिनिट तक बोलते रहे और प्रधान मंत्री को उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है, मेरे ख्याल में यह सर्टिफिकेट अगर छापने जाए तो सन् 2019 आ जाएगा।

देश की जनता की जो बदहाली है, जो दीवारों पर हम देख रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि वर्ष 2019 में इनका क्या हाल होगा।...(व्यवधान) अवाम और जनता जो चाहती थी।...(व्यवधान) हमारा प्रधानमंत्री महापुरूष है।...(व्यवधान) इससे आप खुश हैं।...(व्यवधान) उस महापुरूष ने गरीबों के लिए क्या कहा था, कहा था कि काला धन हम वापस लाएंगे।...(व्यवधान) भारतवर्ष की जनता को इन्तजार था, गरीब किसान, गरीब मजदूर रोजाना बैंक मैनेजर से जाकर पूछा करता था कि मैनेजर साहब हमने जन-धन योजना के तहत मोदी जी के कहने पर अकाउन्ट खोला है। आज 19 महीने हो गए हैं, 19 महीने में उस गरीब किसान के हित में, उस गरीब मजदूर के बैंक अकाउन्ट में 15 रूपए भी नहीं आए हैं।...(व्यवधान) 15 रूपया भी नहीं आया है।...(व्यवधान) क्या आप लोगों को मिला है?...(व्यवधान) हमारे सज्जन स्वामी जी बैठे हैं। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि आपके अकाउन्ट का क्या हाल है?...(व्यवधान) मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा।...(व्यवधान) सदन को बता दें कि आपके अकाउन्ट का हाल क्या है?...(व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): बोलिए, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुल्तान अहमद : क्या 15 लाख रूपए में से कुछ आपके अकाउन्ट में आया?...(व्यवधान) ब्लैक मनी, काला धन जो विदेश में था।...(व्यवधान) विदेश में जो काला धन जमा था।...(व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: आप यह बताओ कि बीमा किसलिए किया जाता है?...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद: बीमा मरने के बाद होता है स्वामी जी, जिन्दा रहने के लिए, रोटी खाने के लिए हमें पैसा चाहिए, बीमा नहीं चाहिए।...(व्यवधान) बीमा मरने के बाद होता है।...(व्यवधान) बीमा जिन्दा रहने के लिए नहीं है।...(व्यवधान) खाते में आज तक कुछ नहीं आया है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

… (*Interruptions*)

SHRI SULTAN AHMED: I have time. अभी तो मेरा समय बचा हुआ है।...(व्यवधान) अभी समय नहीं हुआ है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Majority or minority is not involved in speeches.

श्री सुल्तान अहमद: महोदय, अगर मोदी जी को कुछ कहें तो इन्हें बुरा लगता है तो क्या मैं राजनाथ सिंह जी के बारे में कुछ कहूँ। राजनाथ सिंह जी जिस क्षेत्र से संसद के सदस्य हैं, वे लखनऊ से हैं। वहाँ के मुसलमान, दो लाख की आबादी है, वे हमारे होम मिनिस्टर की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन वहाँ के बेकार नौजवानों की दशा आप देखें। वहाँ की औरतों और बस्तियों की दशा आप देखें। तमाम काम बनारस में होता है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री का क्षेत्र है।...(व्यवधान) तमाम काम होता है अहमदाबाद में, गुजरात में।...(व्यवधान) प्रधानमंत्री, देश की जनता ने यह नहीं चाहा था।...(व्यवधान) महोदय, उन्हें चुप कराइए।...(व्यवधान) देश की जनता चाहती थी, मैं चाहता था, मेरी पार्टी चाहती थी।...(व्यवधान) आज ममता बनर्जी का काम, उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट में 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ा है, दस करोड़ की आबादी है। 7.5 करोड़ लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया है, दो रूपए किलो चावल और दो रूपए किलो गेहूँ।...(व्यवधान) अल्पसंख्यकों के लिए ममता बनर्जी ने ओबीसी का ऐम्बिट बढ़ाया है।...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहूँगा कि ओबीसी का ऐम्बिट बढ़ा दिया जाए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except his speech.

… (*Interruptions*)… *

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि एक तो सदस्य आपको देखकर बोलें, He should address you and speak instead of addressing the Members because consistently he has been addressing the Members instead of addressing the Chair, और इतनी नफ़रत के साथ देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ जुबान चला रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश भी देख रहा है कि इनकी ज़ुबान से एक व्यक्ति जो देश का प्रधान मंत्री है और उनको पूरा देश मानता है, कितनी नफ़रत की ज़ुबान से हमारे माननीय सदस्य उनके बारे में बोल रहे हैं, हमारा पूरा देश देख रहा है। ...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद: मैं राजीव प्रताप रूडी जी के बारे में भी कुछ कह दूँ। ...(व्यवधान) उनके बारे में नहीं, उनके डिपार्टमैंट के बारे में। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा दफ्तर कामकाज करने का रूडी जी को दिया - स्किल डैवलपमैंट। ...(व्यवधान) कल मैं उनसे सुन रहा था कि ...(व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी सुनिए, अब मैं प्रधान मंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पूरे देश में स्किल डैवलपमैंट के नाम पर एक ढोंग शुरू हो गया है। स्किल डैवलपमैंट देखेंगे तो वह ढोंग हो गया है। ...(व्यवधान) नहीं, नौटंकी नहीं बोलेंगे, नहीं तो रूडी जी नाराज़ हो जाएँगे। पूरा ढोंग शुरू हो गया है कि पूरे देश के नौजवानों को हम बारोज़गार करेंगे, रोज़गार से जोड़ेंगे। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : बेरोज़गार नहीं...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : बारोज़गार। अरे भाई, हिन्दी समझो। बिहार से ताल्लुक है, हिन्दी-उर्दू तो समझनी चाहिए। बारोज़गार - कि रोज़गार से हम जोड़ेंगे। लेकिन हाल क्या है इनके डिपार्टमैंट का, 19 महीने हो गए हैं। ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): आपने तो कुछ किया ही नहीं। ...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : आप बंगाल आइए। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप बंगाल आइए और देखिये। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। मुझे मत कहिए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। मुझे मत जोड़िये। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Next is Mr. Mahtab. Mr. Mahtab, you speak.

… (*Interruptions*)

SHRI SULTAN AHMED: Do you want to say something?

Sir, please give me five minutes more time

HON. DEPUTY SPEAKER: All right. You address the Chair. Do not waste your time. Instead of unnecessarily provoking others, you try to address the Chair.

श्री सुल्तान अहमद : डिप्टी स्पीकर सर, 2014-15 में रूडी जी के दफ्तर ने टार्गैट किया था कि 2,10,000 नौजवानों को हम स्किल ट्रेन्ड करेंगे। कुल कितने हुए एक साल में? शर्म आएगी लोगों को कि कुल 86 हजार ट्रेन किये। पूरे देश में कुल 86 हज़ार ट्रेन किए और प्लेसमैंट कितने लोगों को दिया है? जहाँ करोड़ों की तादाद में बेकार नौजवान नज़र आ रहे हैं, इंप्लॉयमैंट एक्सचेन्ज में लाइन लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, इतने बड़े देश में जहाँ करोड़ों-करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, 58 हज़ार नौजवानों को उन्होंने प्लेसमैंट दिया है, नौकरी नहीं दी है। 2015-16 में पौने दो लाख का टार्गैट है और 2015-16 में इनका सवा लाख लोगों को ट्रेन करने का इरादा है। तो यह मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कहाँ गया? मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? आज आप देखेंगे दो-चार या छः महीने में, स्किल डैवलपमैंट एस.डी.एस. हो जाएगा - स्किल डैवलपमैंट स्कैम। रूडी जी अपने डिपार्टमैंट की खबर लें, एक

स्कैम शुरू हो जाएगा। कारखाने के मज़दूरों को पकड़कर कारखाने की एजेन्सी कह रही है कि हम ट्रेन करेंगे। उसके एवज में केन्द्र सरकार पैसा दे रही है। आज क्या हो रहा है? आज इस सरकार से एक निवेदन मैं कर रहा हूँ। सरकार को सबको लेकर चलना चाहिए। आज देश का मुसलमान, देश का दलित, देश का क्रिश्चियन बेचैन हो जाता है जब वह देश का गरीब देखता है कि बड़े लोगों के लिए काम हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, मोबाइल बिक्री हो रही है। लेकिन किसी गाँव में यदि किसी की हत्या होती है तो वह रोता है चाहे वह दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। सबको लेकर आप चलें, इंसाफ करें। मोदी जी से हम इंसाफ चाहते हैं।

<u>13.00 hours</u>

मोदी जी से हम चाहते हैं कि वे जब मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिन्दुस्तानी मुसलमान दाईस नहीं हो सकता। हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, मैं उनका अभिनन्दन करता हूं, लेकिन उनके लोग, जब नागपुर से आदेश आता है कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है तो मुसलमानों पर आफतें आ जाती हैं, जाट अटैक होता है।...(व्यवधान) चलिये, मालदा ले जाइये, अर्जुन जी, हम आपको दिखाएंगे। कितने अच्छे तरीके से मालदा की मिट्टी में हिन्दू-मुसलमान एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यह ममता बनर्जी का कमाल है, ममता बनर्जी ने बीइंग चीफ मिनिस्टर यह कर दिखाया है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी मालदा जाने वाले थे, जब उन्हें रिपोर्ट मिल गई, मालदा में सब ठीक है तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। आज देश को कैसे चलाना है, उसका एक नमूना बंगाल से लीजिए, पश्चिम बंगाल से नमूना लीजिए, मुसलमान, क्रिश्चियन और दलितों के साथ कैसे इन्साफ किया जाता है। बंगाल को एक एग्जाम्पल बनायें, बंगाल को सैम्पल करें।

मैं अपने तमाम भाईयों, उसमें आर.एस.एस. के भाई भी हैं, बी.जे.पी. के सांसद हैं, सब हैं, सबों को मैं कहना चाहता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Sultan ji, please conclude.

Hon. Members, who want to submit their written speeches, can submit them at the Table of the House.

Shri Bhartruhari Mahtab.

… (*Interruptions*)

श्री सुल्तान अहमद : मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सपने को पूरा करें, आज पश्चिम बंगाल काजी नसरुल इस्लाम के सपने को पूरा कर रहा है। मैंने कवि गुरू रविन्द्र नाथ टैगोर के बारे में कहा, कवि इकबाल ने कहा है, 'सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।' इस पर भरोसा करो, इसी तरह काम करो, मोदी जी, अपनी सरकार को, राजनाथ जी, अपनी सरकार को इस रास्ते पर ले जायें। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Deputy Speaker, Sir, I stand here today to participate in the Motion of Thanks on the President's Address. The speech of the hon. President is of 19 and a half pages, covering 81 paragraphs, starts with a quotation of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi and ends with a quotation of Netaji Subhas Chandra Bose.

There are many issues that have been flagged by the hon. President. But, at the outset, I would say when the President addresses the Parliament at the beginning of Budget Session his speech, is generally supposed to serve as a rough draft of the Government's agenda for the coming Financial Year. Hon. President's Speech dwelt more on what the Government claims to have achieved. However, the listing also reveals the Centre's policy, focus and priorities. It has moved in a different direction from what was signaled by the Government in its initial months.

Hon. President has in the speech focused mainly on rural and agriculture sectors and fertilizer sector initiatives. Various agriculture schemes, MGNREGA and infrastructure building were given a pride of place. The non-farm agenda like job creation, revival of growth fiscal consolidation, bringing inflation under control, etc. were all part of the speech, no doubt, but they were not its Central focus.

The Ruling dispensation has paid a price in Bihar for the neglect of the countryside. The *Jat* unrest turning violent in Haryana; *Kapu* agitation in Andhra Pradesh; continued suicide of farmers point to agrarian distress. Two consecutive years of deficient monsoon rains, low farm commodity prices have forced this Government to pay attention to rural India where 70 per cent of 120 crore people reside.

Hon. President has expounded in his speech about the philosophy of development that this Government understands and that is – I quote - 'सबका साथ, सबका विकास'। The guiding force is empowering the last person, the talisman that Mahatma Gandhi had said in the event of Independence and to explain that, three

focal points have been narrated. They are - 'गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि, युवाओं को रोज़गार'। I will dwell on these three aspects. Subsequently, I will go to other aspects that have been mentioned in his speech.

Gandhiji's name has been mentioned relating to poverty eradication. A number of programmes have been mentioned and starting from Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to Jeevan Jyoti Bima Yojana to Atal Pension Yojana have been mentioned.

We are also told that the Direct Benefit Transfer has been extended to 42 schemes, though the last word is yet to be pronounced by the Apex Court relating to transfer through Aadhaar. It is a continuous programme of the previous Government. Since June, 2014, the food security coverage is being implemented. In the speech, we are told that it is covering 68 crore people and more. We also know that only five kilograms of rice is being provided to a person per month. Think for a moment, think for a minute of a tribal woman, who was getting much more previously, to sustain herself and her family and to fight against malnutrition, that was quite sufficient. But today, if the family is of two, they get only 10 kilograms and both of them hardly get 16 grams of rice per day which means eight grams of rice per meal. What type of food security is being provided by this Food Security Act? This is a question which a tribal woman is asking us. She was getting 25 kilograms per month. We are fighting against malnutrition. We are fighting against maternity mortality that is happening. But to bring it down to five kilograms per person - and especially in tribal areas, the family is not very big as they migrate and stay outside the family and they are getting only 10 kilograms for a family of two persons - this is not only impoverishment, but you are also malnourishing that family. Yet the President says 'we are ….' and subsequently 'we have provided food security'. Speeches after speeches from that side are eulogising that this is the security which has been provided, this is the security which has been ensured! What type of ensurement is this? The respective State Governments, like Telangana, Odisha and others, are providing other support

in terms of quantities of rice and wheat. But here is an issue which the nation, as a country as a whole, has to ponder and think over.

I am happy that the Minister for Social Justice and Empowerment is also present here. She has been fighting a lone battle. Though she hardly comes out in the open, in the media, but the little that has trickled out, and the information that we have, is that she is fighting a lone battle.

On किसानों की समृद्धि, the major programme that has been launched is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. With back to back drought and unseasonal rain and hail, it has become clear that the risks in farming are on the rise and the existing system of crop insurance was nowhere near meeting the needs of the peasantry. The assessment of crop damage lacked transparency and did not use technology, and compensation took unduly long, even beyond a year which was also reported to be ridden with corrupt practices.

Given this backdrop, the new Scheme is surely a step in the right direction. The new Scheme is estimated to cost the Government around Rs. 8,000-9,000 crore annually. On Monday, when the Budget will be placed, we will get a rough idea of how much is actually being given, but this is my information that around Rs. 8,000-9,000 crore annually will be spent on *Fasal Bima Yojana*. Given that the Government is already shelling out around Rs. 5,000 crore annually through its clumsy mechanism for disaster relief. The Home Minister was here and I would have been happy if he would have heard it directly from this House. The additional cost of the scheme is not much. 5 हजार करोड़ रूपए हर साल डिजास्टर मिटिगेशन के लिए खर्च किए जाते हैं, अब 8 से 9 हजार करोड़ रूपए फसल बीमा योजना में खर्च किए जाएंगे।

Crop assessment should be done within specified period of time with Automatic Weather Stations, drones, Low Earth Orbits and satellites. This is what is being said. These are the technologies that will be utilised, but is this technology in place? I do not know. The Agriculture Minister is very close to me. We have been interacting on this subject a number of times though I am not in the Consultative Committee of Agriculture. But is this infrastructure in place?

I will give you one example. We have only two installed Doppler Weather Radar Stations in Odisha. The Odisha Government had asked for four – one in Paradeep, which has been installed; one in Gopalpur, which is being installed; one of them we wanted in Sambhalpur in the western part of the State; and another in Balasore, which is another coastal area nearer to Midnapur District of Bengal. Only two have been installed and we do not know the future of the other two. But unless and until we have the Doppler Weather Radar Stations, the success of this *Fasal Bima Yojana* will not be successful. There is no clarity on this issue. How much time it will take? We do not know about it. Can you fix a time period within which crop damage assessment must be done, say within two weeks time in extreme weather event?

Secondly, compensation must be paid to the farmers account directly, say within a week of assessment of crop damage. Can you ensure it? This has not been ensured in the *Fasal Bima Yojana*. Looking down the 2 per cent to 1.5 per cent in Rabi and the 2 per cent share of the farmer is a good thing, and this has been possible because of the initiative of the Prime Minister, but the farmer will get it if you have these time-bound provisions that within two weeks' time assessment will be done and within one weeks time after the assessment the money will flow to his account. Until and unless this happens, the farmer will still doubt about this *Bima Yojana* because today the *Bima* is for the crop and *Bima* is for a village or Gram Panchayat, which was not earlier.

I would just like to remind the Government here that in Kenya it is done in only 2-4 days. In 2-4 days the compensation flows. Perhaps, the Prime Minister is aware about it and the Agriculture Minister is also aware about it, but we are unable to do it here. Why is it so? If somebody is going to respond from the Government side, then we would like to get an answer on this issue.

The third and most important issue that the hon. President mentioned in his speech is relating to *Yuvaon ka rozgar*.

In the Address, there is a mention about "massive employment generation". Today there is tremendous unrest amongst youth. अगर हरियाणा में जाटों का इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, उसके पीछे एक ही कारण है कि लोगों में निराशा छायी हुयी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। The agricultural field does not give you that much of yield to sustain yourself, and also you are unable to get engaged or get employment. That is the major reason. The Government is thinking in terms of dividend, but the vast mass of youth is staring at this Government for the last two years. बार-बार हमारे वक्ता 19 महीने, 19 महीने कहते गये, मैंने समझा कि इस सरकार को आये 21 महीने या 22 महीने हो चुके हैं। It is more than 22 months now. They had high hope. The ruling Party had raised their hope before the election. They voted this Government to power thinking that a great change will come, if Narendra Modi Ji becomes the Prime Minister. But within the last 22 months, the hope has turned into despair.

A very interesting review has been published with all facts and figures. I am not going to give you the full details of that. The manufacturing sector is not picking up, which could have generated massive employment. Despite all odds, the services sector is maintaining its position. Rural economy is going down or is weak. During this age of weak economy and inflation, 25 lakh motor vehicles are being sold in this country. Twenty-five lakh four wheelers are being sold in this country in this weak economic situation! Out of these 25 lakhs, जो हिसाब निकला है, जो स्टैटिस्टिक्स निकला है कि हर तीन व्हीकल्स में से एक व्हीकल में एक आदमी को नियुक्ति मिलती है। It means one-third or eight lakh people are engaged, and the remaining two vehicles are self-driven. You have a driver for one vehicle out of every three vehicles that are being purchased. उनमें अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, it engages around three to four persons. These are the statistics which have been given. Within the last two years or annually, how much of employment has this created? This happens to be the only or the most employable sector where people are getting engaged. No other sector has provided employment during the last 22 months.

How much employment has been created for those who have passed out from Class VIII, or Plus 2? Even those who are graduates are getting themselves engaged to drive another person's vehicle. The maximum number would be around 15 lakhs. That is where the frustration is building up against this Government and against the system. This needs to be addressed. This is not happening because of political reasons. This is happening because the Government or the system is unable to meet the expectation that had risen before the election. The people voted out the Congress Government because it was not delivering. Now, a talk is going around or a joke is going around, "Will this Government be UPA-III or NDA-II?" You have to answer that question. Is it just a continuation of the previous Government, or is it a continuation of the Government that Atal Ji had led?

I would come to the MGNREGA part. A lot of things were being said from the Congress side and also from the BJP side. A report has been published which says, "NREGA falters as rural jobs dwindle". What was the idea? The idea basically was to provide 100 days of work on demand. Those who are conversant with the Rural Development Ministry and the Report, they know it. At least all Members in Lok Sabha are aware about it because they chair the Vigilance and Monitoring Committee. Invariably, every year – at least I do and all our Members from Biju Janata Dal also do that – we have actually provided engagement through this. Repeatedly during the UPA time, we were always insisting that tangible assets should be created by this money. That has been added, no doubt, by this Government that we have to create assets. You have a third party auditing. That is also being done. But actually the basic idea that we had was that migration of labour will not take place. People will confine themselves and earn their livelihood in their own village. They will demand for job. That will be provided by the Government. That was the basic idea. And it was decided that during the lean period in a year, for hundred days, work will be provided. How many families have actually got engagement for hundred days? The Government can tell this.

HON. DEPUTY SPEAKER: How much time will you take? You try to finish by 1.30 p.m.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I may need some more time. I will continue till 1.30 p.m. … (*Interruptions*) The average employment days for a household has only been half in the first four months of 2016. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can continue your speech after lunch.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Thank you, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13.22 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

<u>14.34 hours</u>

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Mahtab, please continue and please be brief because other Members are also waiting to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I was talking about the joblessness or the employment about which the hon. President mentioned citing Yuvaon Ka Rozgar, and I was mentioning about MGNREGA. A report has been published in the *Hindustan Times* very recently on the 24^{th}, that is two days before. The report says that after three bad farming seasons rural India is battling a high level of joblessness. Shrinking employment generation under the National Rural Employment Guarantee Scheme has only added to the crisis, data accessed by HT showed.

Further, it has also elaborated on it. The average employment days per household has only halved in the first four months of 2016. About 23 million households received work during this period compared to nearly 50 million households a year ago, hinting that the Scheme has not worked well as a drought relief. What does this signify? It signifies that MGNREGA is not doing well but when in the hon. President's speech it is mentioned that it has been revamped to ensure speedy, efficient disbursement, actually providing employment is becoming an issue and that what is actually not creating productive assets and not providing that much employment.

Another issue which I would like to mention here is that though transparency and productive assets are being created, the Congress is claiming that

this programme has revolutionised rural wage structure and BJP Government says it has stopped corruption and it is creating assets, it is stated after completion of ten years of this Scheme less than five per cent households complete one hundred days of work provided in 2015-16. That is the position of NREGA. The major reason is delayed payment. Nearly half of NREGA transactions worth Rs. 7,200 crore until November were delayed. Now, an attempt is being made to turnaround the NREGA Scheme by linking it to skilled work. When there is extreme distress in rural areas, the Government should focus on long term plans; higher social sector spending is the need of the hour.

The third point on which I would like to delve upon is the visible sign of change in the nature of policy-making bodies by this Government seen on 1st January when Planning Commission was replaced with National Institution for Transforming India, that is, NITI. On this, I would like to mention here that it is a non-starter. What progress has been achieved since January, 2015? NITI can best be described as a poor relation to the Planning Commission than a brave new initiative. No significant policy prescriptions have emerged; office-bearers' responsibility is yet to be defined. Are they supposed to be policy advisers or quasi-political liaisons with State Governments? During UPA time, the then CM of Gujarat was vocal in his objections relating to Plannning Commission's activity but now the resource allocation has shifted to Finance Ministry. What alternative role has NITI carved for itself? It suffers the lack of sound advisory establishment. There is still time. Why can it not be freshly empowered to serve as an advocate for progressive, market-friendly reform and emerge from the traditional bureaucracy?

In para 65, hon. President has mentioned about efforts being made to tackle the menace of black money. India's black economy has grown from 4.4 per cent to five per cent of GDP in 1995-96 to the present over 60 per cent. Government has been dragging its feet on banking secrecy. The skeletons are coming out now. Around four lakh crores of rupees have become NPA. If stressed money is added

to it, it would become Rs. 8 lakh crore, which is more than the market value of these banks. Is anyone being held accountable? The Government should answer this. In the morning, during the Question Hour, I had put a Question in a different way. The regulatory mechanism that is in place in our country, the Reserve Bank of India did not give the alarm that these banks are going on NPA but here the demand is to name and shame them. Those who have indulged in this are called wilful defaulters but I would allege that they are skilful defaulters. They skilfully have taken away the money from the banks. They are not wilful defaulters but skilful defaulters.

With utmost responsibility, Sir, I would like to mention here about the challenges concerning the security of our country. The bungled response to the Pathankot attack underscores the need for a three-pronged revamp. We are yet to discuss that topic. We have been discussing about what happened in JNU and also in Hyderabad Central University but more alarming situation is that of Pathankot attack. Not only the border was breached but also the airbase was breached for which the Government has to answer. We may discuss that issue separately for which notices have been given but I would suggest that a three-pronged strategy should be borne by the Government now.

There is a need to have a parliamentary oversight. There is a need for a well defined National Security Doctrine and there is a need for an independent Federal Commission of Accountability. I hope the Government will respond to this issue.

Long back, Sir, Kautilya had propounded about governance. In his Arthashastra he has categorically stated that the most important role of the State is to avoid '*Matsya nyaya*' the law of the fish. What does that signify? The bigger fish will eat away the small fish. What is the role of the Government, the role of the State? Kautilya states that the State must ensure defence, internal security, rule of law and most importantly have complete monopoly over violence within its territory. Kautilya advocated a Government that actively provided public goods,

regulated market and encourage public sector undertakings in sectors like mining. The text repeatedly states that self-restraint is the single most important attribute in a King. In other words, the Kautilya's ideal is a 'strong and limited State'. The State should not indulge itself in everything.

I am of the opinion, Sir, that the first thing to be done in our country would be to fix the judicial system. Nobody is talking about it. This is the forum where we should deliberate and discuss. We have to fix the judicial system. There are about 32 million pending cases as the epitome of '*Matsya nyaya*'. Kautilya would have thought that the delivery of justice is more important for the welfare of the poor than any subsidy scheme.

Second, invest heavily in the internal security to sternly put down violence from terrorists, Maoists, criminals and mobs of various shades.

Thirdly, attempt a dramatic simplification of taxes, regulations and the administrative structure.

These three major administrative changes were effected by Kautilya when the empire was in the making under Chandragupta Maurya. Two generations later, I was never a student of History, Sir, but while understanding the State-craft of that era, I think it is now necessary to repeat what had happened during that time. During Chandragupta Maurya's time Kautilya had given that treaty of Arthashastra. But after two generations, Emperor Ashoka says in his inscriptions that he considers his subjects as his children and explicitly states that his officials, his bureaucracy is like *Nanis,* nurses, *Daais* meant to look after them. There was a transformation. Here you see the transformation. No wonder over-extended Ashokan State caused the Mauryan empire to disintegrate from rebellion and fiscal stress while the emperor was still alive. We do not read this in history books why during Ashoka's period the empire shrunk. We read about the expeditions that were made by Buddhist Monks, and expansion of Buddhism to other far flung areas. But what was the State craft? The State craft that was envisioned by Kautilya had made a turn around during Ashoka's time. That is why, there were

rebellions all around. It was very difficult for him to have a control over his empire and to bring in normalcy.

In the 20th century, Nehruvian thinking led the Indian Republic to follow the Ashokan model for 66 years. The result is, a weak and all pervasive State. Wherever we go, the people will tell us that they need a tube well, they need a road, they need a doctor, etc. We always say that the Government will provide it. Everything and anything the Government will provide. That is what happened in the last 66 years and that is what Ashoka had said in his inscription.

The States will be nannies, officers will be nannies and they will be *daees* and they will look after everything. That was not the case of Kautilya's treaty in Arthshastra. A State should be restraint. It should not over-impose. What will happen in a University, State will interfere? What will happen in another University, State will interfere? Can the State not be restraint? Can you not allow the Vice Chancellor to take a decision? Why should the State always interfere? This is a recent incident that comes to my mind. But in every aspect, the State has to interfere. Why? The expectation of the people is that the State has to do everything which is actually weakening the State craft of our country.

Coming to disbursement of funds to States to handle disaster, I would like to mention here that we were told that Rs.13,000 crore have been released.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have said that the State must not interfere. It is a good thing and I can accept it. But at the same time, courts are interfering. They are giving directions to all the Governments. The State Governments are facing the same problem. Anybody is going to court for anything.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Sir, I am on a point of order. There is no quorum in the House. We must have quorum in the House for the House to run. Please ask the Government. There is no quorum in the House. सर, हाउस में कोरम नहीं है। आप गिन लीजिए। जब कोरम नहीं है तो हाउस कैसे चलेगा?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. The bell is being rung-

Now, there is quorum. The hon. Member, Shri Mahtab may continue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, after having a *Malvi* lunch, I think Shri Scindia is energetic today and that too sitting in a different seat he is making us accountable that the House should have a quorum. It should have a quorum and it is only with quorum that the House functions and it should happen accordingly.

Sir, I was mentioning what the hon. President had mentioned when he recognized the disaster that is striking our country relating to floods and cyclones and droughts. But in his speech a very alarming information has been provided. It has been mentioned a sum of Rs. 13000 crore has been released under State and National Disaster Respond Fund. I am not challenging this. But the information that I have in my hand is that is different. During the Winter Session the hon. Home Minister had declared that the State of West Bengal will get this much of money under this Fund and the State of Odisha will get a sum of Rs. 815 crore. This was a decision taken by a High Level Committee which was headed by the hon. Home Minister where the hon. Finance Minister also was present. But subsequently a meeting took place on 21st December and there they had cut down the allocation. Though a sum of Rs. 815 was allocated under this Fund to the State of Odisha and a letter to this effect also was sent to the State Government, yet we received another letter that a sum of Rs. 215 crore will be deducted and the State

will be allocated a sum of Rs. 600 crore. I was told by my friends from West Bengal that even their allocation has been cut down.

Sir, the Government wishes to cultivate cooperative federalism. Is this the way? The Government wants us to do *kadamtal* in Odisha and forward march is in the Western parts of the country. This cannot happen and this should not happen. We want this House to function – to discuss, debate, deliberate and legislate. I remember in the college where I did my degree, the motto was enshrined in the gate and I used to learn it by heart everyday whenever I passed through that gate. It is the Bhadrak college in Odisha. It was a famous line from the Rig Veda and it is still enshrined and I am happy that this Government through the speech of the hon. President has also repeated that. The line that is enshrined meant `Let noble thoughts come to us from all sides, all directions'. The hon. President has said that this should be the spirit behind the debate in this temple of democracy. Respect for other's point of view is the essence of democracy. The situation is becoming more vitiated because every year is an election year. Can we not have a system that term be fixed for five years and if a Government becomes a minority, then it can only be replaced with a Government that proves its majority in the House and continue to govern for the rest of the term. By this we can save time, energy and money to a very great extent and unnecessarily rancour can be avoided.

Sir, I will conclude with what the last paragraph mentions. The last paragraph mentions about Netaji Subhash Chandra Bose. He defined nationalism by saying that it is the highest idea of human race. Here we are told and I believe in what Jawaharlal Nehru had said earlier. Nehru pointed this out in 1930s that majority communalism always masquerades as nationalism. He also said that if fascism comes to India, it will be in the form of majority or Hindu communalism That is why, while being totally opposed to Muslim communalism, he held that majority communalism is more dangerous because it can impose fascism on the whole nation.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up now. Two more Members are waiting to speak.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, he is raising very good points.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : When we remember about Netaji Subhash Chandra Bose, one thing has missed our mind. This ruling party, before it came to power, had specifically announced one thing. When Shri Rajnath Singh was the President of Bharatiya Janata Party, in Cuttack, in the birth place of Netaji, he had said that the moment they will come to power, they will release all the closed and secret files relating to Netaji's disappearance. This Government has done it. On 23rd January, 100 files had been released which were secret and which were closed files. I was hoping and many of us in this country who loved Netaji were hoping that the top secret files will throw some light on his disappearance. The Government of West Bengal also released certain files. Unfortunately or fortunately, there was no scope. The 17,000 pages contained in 100 files were released by the Prime Minister covered the period 1956 to 2013. The 'real revelation' which was so jealously guarded as top secret and closed files contained nothing new which 'could endanger' the security of India. There was nothing to jeopardize India's foreign relations. We were hearing since our school days and college days that Soviet Union and Japan will go against us once we release these files. Where are those files? These 17,000 pages does not reveal anything that was not known to us. There is nothing which could have forced Russia or Japan to break their diplomatic relations with Delhi. Then why was this pretext given for decades since Nehru's time, Indira Gandhi's time and Rajiv Gandhi's time? Why? Is it a joke? … (*Interruptions*) During Vajpayee Ji's time, Mukherjee Commission was established and Mukherjee Commission said that there was no accident in the Formosa Islands. So, we have to understand why this amount of secrecy was maintained. Or is there something else? Whatever it may be, it is a very sad one.

Lastly, I would mention about selected amnesia that some suffer when they try to express themselves on a given context, and whether there is a political

compulsion or political ego I do not know. But when certain historical facts are portrayed out of context, one does not do justice to the person who is being quoted. I refer to the quotation of Sri Aurobindo.

15.00 hours

That was given day before yesterday by learned Professor, Prof. Sugata Bose. He is a professor of history. Lord Wavell proposed framing a loose confederation of States. This idea came before the partition took place. The idea was not to partition the country. That idea was supported by some, including Shri Aurobindo, who had undergone the trauma of partition of Bengal. When we talk of India of today, we talk of India after 1947, after the amalgamation of princely States into the Union of India, after India became Republic in 1950, after Goa and later Sikkim became part of India. The idea of provinces enjoying autonomy, ample power, limited sovereignty was rejected by the leaders themselves when India became a dominion in 1947 and the Constituent Assembly deliberated and decided how the Union of States would be administered. Therefore, it is imperative to remember very clearly that our Parliament has resolved that Jammu and Kashmir is an integral part of India. Nobody, I mean nobody, should cultivate a thought of sovereignty of any province that would mean nothing but sedition. Thank you.

[*]**SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU):** I convey my wholehearted gratitude and thanks to the Honourable President of India for his address. I greatly appreciate the Government's development philosophy, 'Sabka Saath, Sabka vikas'. I would also like to appreciate the constant effort and commitment on the part of the Government in taking the nation forward on social and economic front, both internally and on the international arena, through various missions.

'Sabka Saath' is making each and every citizen a prominent person in the nation building and 'Sabka Vikas' is that the backward section of the society are equally valued and made genuine stakeholders in the country's progress. We must ensure that the poor and deprived are truly empowered to take advantage of the opportunities available to improve their living standards. Essence of progress lies in bringing a sense of fulfillment to the deprived classes.

First of all, I would like to congratulate the security forces in successfully foiling the attempts of the terrorists in attacking the Pathankot airbase. We need to ensure that firm and effective steps are being taken to curb the cross border terrorism which has become a global threat. We stand with the Government with commitment to firmly deal with all the challenges concerning the security of the nation.

We appreciate the steps taken by the Government to increase the productivity of power. Year 2015 witnessed the highest ever generation of electricity. We also appreciate the proactive role played in addressing the climate change by launching the international solar alliance. Environmental protection and economic development should coexist. We also appreciate the defence procurement policy of the Government which is focused on indigenously designed, developed and manufactured weapon system. We need to ensure that our armed forces will be equipped with the most capable and sophisticated weapons in the world.

---

[*] Speech was laid on the Table

I appreciate the 'Beti Padavo, Beti Bachavo', program in providing education to the girl child as well as the efforts of the government to maintain the gender equality. I also take this opportunity to request the government to ensure that quality education is to be provided to the children and the ministry needs to emphasize on providing proper training to the teachers as well as ensuring the curriculum will cater to the all round development of the child.

I fully stand with the Government in the mission of Swatchh Bharat and in making the nation clean and green. The habit of cleanliness has to be inculcated among the citizens at every level; right from the schooling. We have to join hands to stop open defecation and ensure that we achieve cent percent ISLs which will be a step forward towards maintaining sanitation as well as prevention of many contagious diseases. I also take this opportunity in requesting the government to allocate more budgetary provision for the health amenities to be provided in the rural areas.

The motto of any Government should be to ensure the welfare of the people of the nation. This is only possible by creating proper employment opportunities. I also agree with the government on making India, Skill India. It is a sad state of affairs that only 2 percent of our youth are skilled and the rest are to be trained. By training our youth in skills we will also simultaneously address the issues of unemployment and increase the per capita income and the living standards of the people. Mudra bank scheme is also a great step to promote small scale industries as well as provide support to the start up companies. We congratulate the government and the nation on recording the highest ever software exports during the year 2015.

Agriculture is the backbone of the Indian economy. I appreciate the steps taken by the government in providing the soil health cards. Many farmers are in distress and many have lost their lives. It is the duty of the Government to stand by the poor farmers who are in distress and stop farmers from committing suicides. The problems of the farmers have to be addressed in coordination with the states.

As this is a burning issue in the present circumstance the government needs to work with more commitment in addressing the crisis faced by the agriculturists. Well being of the farmers is vital to the nation' s prosperity.

I also would like to take this opportunity in mentioning about the Sansad Adarsh Gram Yojana which was launched by the Government in a big way. Thought the scheme is a very prominent one which can change the face of the villages due to the non committal tendency of the officers we are taking a backseat. Another main obstacle in taking this initiative forward is the availability of funds. Any initiative that is taken up the government will be successful only when backed by the financial commitment. The amount that can be spent from MPLADS is quite meagre and hence can't fulfil any of the obligations as may be required for the development of the villages. Though smart city concept has been taken up by the Government, as 70 percent of the nation's population live in villages, the government should also prioritise the development of rural areas on par with the urban areas. Rural development should be the top priority of the government to ensure the nation's prosperity.

Make in India is also a great initiative of the government and will encourage many youth. It is also instrumental in increasing the FDI inflow in spite of the adverse global investment climate and also discourage the brain drive and will provide ample opportunities in country.

Finally, I would also like to take this opportunity, as a women parliamentarian, to request the government in taking necessary measures for women empowerment and safety. The entire women of the nation have been awaiting the much desired women reservation bill and I believe the Union Government is committed to this cause and will certainly take up the issue of women reservation bill. I also request for allotting more budget to the women and child welfare and also ensure immunization of every child.

We also realize the fact the entire nation is watching us and Parliament reflects the supreme will of the people. We stand committed to debate on issues

and provide constructive suggestions to be a part of nation building and reaffirm our commitment to the nation. Once again, I thank the Honourable President of India for his kind words of reassurance and commitment towards building resurgent nation.

*__श्री राजीव सातव (हिंगोली) :__ महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की नीतियों और योजनाओं पर जो विचार रखे उसका मैं सम्मान करता हूँ। साथ ही, मैं उन पहलुओं की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी के संबोधन में नहीं था। राष्ट्रपति जी ने किसानों की समृद्धि की बात के लिए प्रयासों का वर्णन किया, पर इस सरकार को खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या ये किसानों की समृद्धि के लिए काम रही है?

मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहॉं पिछले वर्ष 2500 किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा में ही 1000 किसानों ने अपने प्राण त्याग करने का फैसला कर लिया। हमारे देश में 46 किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ये ही हैं किसानों की समृद्धि के काम? क्या दिल्ली में एक मंत्रालय का नाम बदल देना ही किसानों की समृद्धि का कार्य है?

पिछले मानसून सत्र की 24 जुलाई, 2015 को जब कृषि मंत्री से किसानों की हत्या के कारण पूछे गए तब उन्होंने बताया कि किसान की आत्महत्या के कारण है, किसानों के प्रेम संबंध और नपुसंकता। मंत्री के इस जवाब से बढ़कर कुछ निंदनीय नहीं हो सकता। इन्हीं की पार्टी के एक सांसद को लगता है, ''किसानों में फैशन बन गई है आत्महत्या।''

2014 के आम चुनाव के समय भाजपा के घोषणा-पत्र में लिखा था-'ए श्न्दत्श्द्वश्‍ दृढ 50ऽ द्रद्धदृढत्द्द दृध्ड्ढद्ध द्यण्ड्ढ हदृद्म्‌ दृढ द्रद्धदृड्डद्वढ्ढद्यद्दृद' क्या हुआ इस वादे का? इसी सरकार की फरवरी 2015 के एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि यह करना मुमकिन नहीं है। क्या यह है किसानों की समृद्धि?

किसानों की समृद्धि के नाम पर मोदी सरकार किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई। ऐसा बिल जो इनके खुद के सांसद पारित करने को तैयार नहीं थे। चंद उद्योगपतियों के लिए किसानों की जमीन छीनना। क्या यह है मोदी सरकार की परिभाषा ''किसानों की समृद्धि'' की?

महामहिम राष्ट्रपति जी ने सही कहा है कि प्रगति का सार इसी में है कि जो गरीब और वंचित हैं और समाज के हाशिए पर हैं, उनमें भी परितोष का भाव हो। देश का किसान आज गरीबी और भुखमरी झेल रहा है। इनकी सहायता करना हमारी परम नैतिक जिम्मेदारी है। यदि गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला हक है तो सरकार को उन्हें 25 लाख रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से तत्काल राहत धनराशि उपलब्ध कराने की जरूरत है।

मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि आज देश और समाज में विखंडन आता जा रहा है। समाज में अलगाव की भावना तेजी से फैल रही है और सरकार इसे रोकने की दिशा में पर्याप्त

---

* Speech was laid on the Table. @

कदम नहीं उठा रही है। देश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उसमें कैसे सबका साथ और सबका विकास सुनिश्चित किया जा सकता है? देश की आर्थिक, सामाजक, सांस्कृतिक स्थिति अत्यंत विकट स्थिति में पहुंच चुकी है। देश में जिस प्रकार से लगातार असहिष्णुता की स्थिति बनी रही है, दलित समाज के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव के मामले और इससे एक दलित छात्र द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहरा बिठाने की कोशिश की जा रही है और समाज को जातियों में बॉंटने की गंदी राजनीति की जा रही है। इन सबके साथ ''सबका विकास'' कैसे संभव है?

2014 के चुनाव की गर्मियों में कुछ नारे चला करते थे-उनमें से एक था-''बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।'' आज हालत यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले 17 महीने के सबसे उछले स्तर पर है @ 5.69.

जनता ने इस सरकार को इस विश्वास पर वोट डाला कि यह महंगाई को कम करने की ओर प्रयत्नशील और सजग रहेंगे, पर आज जो आवश्यक वस्तुओं के दाम हैं, उसे देखकर पता चलता है कि यह सरकार इस वादे में पूरी तरह से विफल रही है।

जब भारत की महंगाई दर ऊपर बढ़ती जा रही है और विकास दर में वृद्धि नहीं हो रही है तब सभी यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह सरकार ' is out of touch with the pulse of the nation" या फिर ' is out of pulses for the nation '?

गौर करने की बात ये है कि जो किसान गॉंव में खेती करके फसल उगाता है, उस किसान के लिए इस देश में महंगाई का स्तर सबसे ज्यादा है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? जब मैं किसानों से मिलता हूँ, उनक साथ बैठकर बात करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई इतनी मेहनत करते हो, महीने का कितना कमा लेते हो? तब बहुत ही दुःख के साथ ये सुनने को मिलता है कि वह तो सिर्फ इतना उगा पाते हैं कि किसी तरह जिंदा रह पाएं।

5.5-6 % महंगाई दर सुन कर लगता है कि इतनी ज्यादा नहीं है परंतु अगर आप किसी भी अर्थशास्त्री से बात करें तो वे यह चिंता व्यक्त करेंगे कि जिस समय विश्व 0-0.5 % महंगाई दर पर चल रही है अगर तब आपकी 5.7 % महंगाई दर है और आगे 6 % पार करने के संकेत हैं तो अच्छे दिन कदापि नहीं है। दालों के दाम एक साल में सबसे ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़े हैं, जितना पिछले 10 साल में नहीं बढ़े हैं। पिछले 4 महीने में दालों की महंगाई दर यह हैं-

- अक्टूबर 2015 - 42.38 %
- नवम्बर 2015 - 46.08 %
- दिसम्बर 2015 - 45.92 %
- जनवरी 2016 - 43.32 %

यह तो सिर्फ आंकड़े हैं। आप बाज़ार में जाकर आज कोई भी दाल 200/कि.ग्रा. में लाकर दिखा दें तो काफी बड़ी बात होगी। इस सरकार को जबाव देना पड़ेगा कि पिछले एक साल में दाल का उत्पादन सिर्फ 12 % घटने के बावजूद दाम 100 % कैसे बढ़ सकते हैं? इसके बीच का लाभ कौन उठा रहा है?

एक आखिरी मुद्दा वह है, जो मुझे सबसे ज्यादा बैचेन करता हैं। वह है भारत की बाह्य सुरक्षा का। कांग्रेस ने कभी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था, पर इस सरकार ने वह रेखा कब की लांघ दी। पाकिस्तान और उसकी सेना का रवैया उग्र तो रहा ही है पर उधमपुर और दीनानगर के बाद पठानकोट हमलों ने भारत की रक्षा तैयारी की पोल खोल कर रख दी। 24 घंटे पहले मिले इंटेलीजेंस इनपुट के बाद भी इस सरकार की नाक के नीचे से 6 आतंकवादी एयरबेस में घुस जाते हैं और यह सरकार कुछ नहीं कर सकी।

पठानकोट एयरबेस के पास सेना का कैंटॉनमेंट हैं, जहां 20,000 जवान बैठे थे, जिन्हें उस बेस का चप्पा-चप्पा के बारे में पता है। उनके स्थान पर एन.एस.जी. के कमांडों को दिल्ली से भेजा गया। किसी भी ऑपरेशन के दौरान एक स्पष्ट 'चेन ऑफ कमांड की जरूरत होती है। कोई भी सेना अध्यक्ष वारफेयर का यह पहला नियम आपको बताएगा और जिस समय हमारे जवान पाकिस्तान के आतंकवादियों को विफल कर रहे थे, इस सरकार ने 'चेन ऑफ कमांड' तीन बार बदल दी....तीन बार?

इस सब के बाद सरकार को सदन में बताना चाहिए कि वह आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों का नाश करने के लिए प्रयास कर भी कर रही है या नहीं?

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूॅं कि तत्काल इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाये। देश में अपनी बात कहने और अपनी समस्या बताने पर या सरकार की आलोचना करने पर पहरा बैठाने के बजाये हर तबके के इंसान की समस्याओं को समझे और उन्हें हल करने की दिशा में प्रयास करें।

***श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) :** महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के एजेंडा पर चर्चा के अनुसार हमारी नई सरकार का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास एवं नई योजनाओं का अमल होना है, जिससे ''स्वस्थ भारत का निर्माण हो।'' साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सके, हम इस विचार एवं योजना का स्वागत करते हैं तथा पूर्ण समर्थन करते हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवता दर्शन में अंत्योदय की परिकल्पना का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक अवसर प्रदान करते हुए उसे सशक्त करना है। महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के अनुसार सरकार के सभी कार्यक्रम अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित है। यह सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोज़गार दिलाने पर केन्द्रित है। यह सरकार खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास एवं ऐसी सब्सिडियों पर अधिक ज़ोर दिया है, जो सबसे अधिक जरूरतमंद को तब जरूर मिले जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत लगभग 21 करोड़ से भी अधिक खाते खोले गये जिनमें से 15 करोड़ खाते चालू हालात में है, जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रूपए जमा है। यह सरकार सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तीन नई योजनाएँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना लाई है, जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को बीमा सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएगी।

सरकार ने नई यूरिया नीति 2015 अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन और ऊर्जा के सही उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे अगले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 17 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा। इससे यूरिया के अवैध प्रयोग पर रोक लगेगी। वर्ष 2015 में यूरिया का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है।

इस सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से लगाम लगाया है और भ्रष्टाचारियों को दंड देने में नरमी नहीं बरती है और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम में कड़े संशोधन भी किए जा रहे हैं।

इस सरकार ने कोयला क्षेत्र में गतिशील और व्यापक सुधार किए हैं और पारदर्शी नीलामी प्रणाली द्वारा 70 से अधिक कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया है। आने वाले वर्षों में इससे पूर्वी राज्यों को अत्यधिक लाभ होगा। कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर अत्यधिक बल देने के कारण कोल इंडिया के कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है।

* Speech was laid on the Table.

यह सरकार चार दशकों पुरानी मांग- एक लाख सात हजार करोड़ प्रतिवर्ष के भारी वित्तीय भार के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने सैनिकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम- एक रैंक-एक पेंशन योजना लागू करके एक महान साहसी कार्य करने में सफल रही है। इससे देश के सभी सैनिकों के दिल की मुराद पूरी हो गई है।

सरकार का ध्येय होगा कि 2022 तक सभी परिवार वालों का पक्का घर तथा बिजली आपूर्ति की सुविधा मुहैया कराई जाये, जो अत्यंत सराहनीय कदम है।

यह सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ-साथ आंतरिक संरचना में सुधार को लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। सरकार ने रेलवे के आमान-परिवर्तन, नई रेल लाईन बिछाने, विद्युतीकरण कार्य एवं रेलवे में क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों तथा स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए सफलता प्राप्त की है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र भू-भाग में रेलवे को विकसित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी है और अब समय आ गया है कि उनके इस ऋण को चुकाने के लिए हम देश को वैसा ही बनाएं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के शब्दों में राष्ट्रीयता मानव जाति के उच्चतम आदर्शों, सत्यम, शिवम्, सुंदरम से प्रेरित होती है। आइए, देश के सुंदर भविष्य के लिए इन आदर्शों को अपनाएं।

*[1]**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :** महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूँ। राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार की कार्य योजना, 20 महीने में किए गए कार्य और भविष्य के संबंध में दृष्टि पत्र पर सभी क्षेत्रों की चर्चा हुई है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, विज्ञान, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, संसाधनों के उपयोग के संबंध में प्रकाश डाला गया है। ''सबका साथ-सबका विकास'' से लेकर स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप एवं कौशल विकास योजना पर सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में चलने वाली एन.डी.ए. की सरकार का दृष्टिकोण, योजनाएं एवं उनके क्रियान्वयन का दृढ़ संकल्प उसमें परिलक्षित होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 20 महीने में तमाम क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठाकर इतिहास बनाया है, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में अद्वितीय है। इससे पूर्व माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़कर देश की आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी देश आशा एवं निराशा के वातावरण में जी रहा था। किंतु, आज देश की जनता की आशाएँ परिणामों में बदलती दिख रही हैं तथा अच्छे दिन आने की शुरूआत सभी क्षेत्रों में दिख रही है।

हमारी संसद जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद-विवाद और चर्चा जरूरी है न कि अवरोध पैदा करना। लोकतंत्र में चर्चा में सभी वर्गों के लोगों के सुविचार शामिल करना चाहिए।

इस संस्था का सदस्य होना हम सभी के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के सुचारू एवं रचनात्मक संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से भेंट कर रचनात्मक प्रयास किए हैं।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की बात कही थी। उनके अंत्योदय सूत्र वाक्य को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार सबको शिक्षा, चिकित्सा, आवास, बिजली, पानी, सड़क, संचार एवं रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराने, कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करने, लोगों को सम्मानित जीवन जीने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 2 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 राज्यों के 2011 शहरों को शामिल किया गया है। 24 हजार 6 सौ करोड़ रूपए की लागत से

---

* Speech was laid on the Table.

4 लाख 25 हजार से अधिक घरों के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है, जिसका पूरे देश में स्वागत हुआ है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से देश के गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों को सुरक्षा एवं पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में मात्र 12 रूपए में 2 लाख रूपए का बीमा मिलने से फुटपाथ के किनारे सब्जी बेचने वाले, पॉलिश करने वाले एवं साईकिल-ठेले पर फेरी लगाकर परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने वाले गरीब तबके के लोगों में पारिवारिक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। इन गरीबों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें भी कभी जीवन में बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा एवं आकस्मिक दुर्घटना में निधन हाने पर उनके परिवार को 2 लाख रूपए की राशि बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त होगी। सरकार ने सुकुन्या समृद्धि योजना से ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं'' की भावना को आगे बढ़ाते हुए बेटी की शिक्षा एवं विवाह की चिंताएं दूर की हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 21 करोड़ से भी अधिक खातों में 32 हजार करोड़ रूपए जमा हुए हैं, जो गरीबी उन्मूलन का एक सशक्त माध्यम बन गया है।

मुद्रा बैंक योजना से वंचित एवं गरीब तबके के लोगों में करोबार प्रारंभ करने के लिए शिशु योजना में 50 हजार रूपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी से प्राप्त होने से प्रधानमंत्री जी की कार्य प्रणाली के प्रति गरीब लोगों में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। लाखों लोग इस योजना से लाभ लेकर सफलतापूर्वक न केवल अपने परिवार की रोजी-रोटी चला रहे हैं, बल्कि कारोबार आगे बढ़ाने में भी सफल कारोबारी बनकर समाज में आदर्श के रूप में आगे गए हैं, जो आस-पास के लोगों के लिए प्रेरक का काम भी कर रहे हैं।

सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के प्रयासों की सर्वत्र सराहना हो रही है।

प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया ''स्वच्छता अभियान'' एक जन अभियान बन गया है। देश के रेलवे स्टेशनों पर इस अभियान के प्रारंभ होने से पहले की स्थिति एवं बाद की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोग स्वतः आगे बढ़कर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें विद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर व्यापारी, बुद्धिजीवी, रंगमंच, फिल्मी दुनिया के कलाकार एवं माननीय न्यायाधीशों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है तथा ''स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत'' के अभियान को आगे बढ़ाया है। विद्यालयों में विशेष रूप से बालिका विद्यालयों में इतनी बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण इससे पहले कभी नहीं कराया गया।

कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा हुनरमंद लोगों को प्रशिक्षण देकर एवं सर्टिफिकेट देकर जहां उनके हुनर को और अधिक प्रभावी बनाया गया है, वहीं अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए जाने से रोजगार के नये-नये अवसरों का सृजन हुआ है।

प्रधानमंत्री कृषि शिक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों में आशा का संचार हुआ है। फसल बीमा योजना में जो नये प्रावधान किए गए हैं, उनमें फसल कटने के बाद खेत में रखी फसल आंधी, पानी, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने पर भी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, जिसका किसानों ने सर्वत्र स्वागत किया है।

राष्ट्रीय मृदा परीक्षण कार्यक्रम से खेत की मिट्टी का परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार खाद यूरिया का उपयोग करने से जहां किसान की लागत कम होगी, वहीं फसल में भी वृद्धि होगी।

भारत विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। ये युवा हमारे देश के भविष्य की ताकत हैं। व्यापक रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ''मेड इन इंडिया'', ''मेक इन इंडिया'', ''स्टार्ट अप इण्डिया'', ''स्किल इण्डिया'' इत्यादि योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन कराने में सफल रही है।

ग्रामीण विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रूपए से भी अधिक का अनुदान अगले 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायतों को विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसका देश के सभी राज्यों ने स्वागत किया है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में भी 300 ग्रामीण विकास समूहों की शुरूआत की गयी है, जिससे लोगों के कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2019 तक 1 लाख 78 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

12 हजार 9 सौ कि.मी. लंबे राजमार्ग की परियोजनाओं के निर्माण का निर्णय भी सरकार ने लिया है, जो अभी तक की सबसे बड़ी मंजूरी है।

अमृत मिशन योजना के अंतर्गत 6 राज्यों के 13 शहरों के लिए 495 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी गयी है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत इन राज्यों में पेयजल आपूर्ति, सीवर सुविधा, जल निकासी, शहरी यातायात के लिए जरूरतों को पूरा किया जायेगा, जो एक सराहनीय कदम है।

पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना है कि ''शत्रु बदले जा सकते हैं, किंतु पड़ोसी नहीं बदले जा सकते।''

सरकार ने पड़ोसी देशों से संबंध बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, वह सराहनीय हैं। बात चाहे बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर की हो, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच मोटर वाहन करार पर हस्ताक्षर की बात हो, जिसे निर्वाध रूप से इन देशों के बीच में आवागमन हो सकेगा। चाहे बात नेपाल की हो, जहां भूकम्प आने पर सबसे पहले पहुंचकर हमारे देश द्वारा सह्रदयता से सहायता की गयी। चाहे बात पाकिस्तान के साथ समरसता के साथ सम्मानजनक संबंध बढ़ाने और सीमापार का आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग का माहौल तैयार करने की हो, सभी स्थानों पर पड़ोसियों से अच्छे संबंधों की पहल की गयी है।

फूड सिक्योरिटी के लिए बजट 2015 में दुगुना किया गया। इसके साथ ही, 2015 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड यूरिया का उत्पादन किया गया।

कुछ बिन्दु हैं, जो चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से कहीं अत्यधिक वर्षा होने से तथा वहीं कुछ राज्यों में वर्षा नहीं होने से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से निर्मित होने वाली स्थितियां, म.प्र. एवं उ.प्र. के बुंदेलखण्ड में लगातार पड़ता सूखा और सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी एवं गंभीर पेयजल संकट विकास की गति को प्रभावित कर रहा है।

किंतु, हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन क्षेत्रों के बारे में विशेष कार्य योजना बनाकर स्थितियों का सामना करते हुए वहां रोजगार के अवसरों का सृजन कराने एवं पेयजल के लिए विशेष योजना बनाकर लोगों को संकट की इस घड़ी में राहत दिलाने में पीछे नहीं रहेगी।

आज लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ी आशा एवं विश्वासभरी नज़रों से देख रहे हैं। उन्होंने मात्र 20 माह की अवधि में देश में एवं विश्व में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिससे भारत का मान समूची दुनिया में बढ़ा है।

अंत में, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

[*] **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) :** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखता हूँ, जैसा कि प्रतिवर्ष संसद के बजट सत्र में पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं और यह प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता को दर्शाती है और जैसा कि अभिभाषण में कहा गया है कि हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, जो भविष्य में पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो, इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया सिद्धांत ''सबका का साथ-सबका विकास'' सत्य प्रतीत होता दिख रहा है और इसी के तहत सरकार का लक्ष्य देश के अंतिम व्यक्ति तक अवसर प्रदान करने का है और हमारी सरकार इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संभव कार्य करना है।

हमारी सरकार सबको अपना मकान देने के लिए वचनबद्ध है और इसी के तहत 2022 तक हम इस लक्ष्य को पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक वस्तु है। हमारी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को बैंक अकाउंट खोलने के लिए राजी किया है और इससे निश्चित रूप से हर ऐसे व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुलेगा जो अब तक अपना बैंक अकाउंट खोलने में अक्षम था। जन-धन योजना सरकार का सार्थक कदम है और यह बहुत खुशी की बात है कि अब तक देश भर में 62 लाख लोग गैस सब्सिडी छोड़ चुके हैं।

हमारी सरकार ने 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह फैसला स्वागतयोग्य है, इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि कहा जा सकता है।

हमारी सरकार ने कई क्रांतिकारी एवं विकासोन्मुख कदम उठाये हैं और इसमें मदरसों में छात्रों को ट्रेनिंग, पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास पर ज़ोर, वन फूड जोन, वन कंट्री-वन मार्केट की नीति पर ज़ोरदार काम चल रहा है। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम प्रीमियम की बीमा योजना, नयी यूरिया पॉलिसी, किसान चैनल पर 24 घंटे विभिन्न जानकारी एवं पी.एम. कृषि सिंचाई योजना शुरू की की है। इस स्कीम से देश काकिसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा। इसी के तहत, सरकार ने 2015-16 में कृषि विकास के लिए 2 लाख करोड़ रूपए दिए थे।

देश में 4 नए मेगा फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाये जाना सरकार की विकास नीति को स्पष्ट करता है। सरकार स्वास्थ्य सम्बंधी विषय पर भी गहन कार्य कर रही है। इसी के तहत एक साल में सबसे ज्यादा टीकाकरण किये जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है और सरकार आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी

---

[*] Speech was laid on the Table.

मेडिसिन पर ज़ोर देकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है। हमारी सरकार आने के बाद देश में महंगाई और सरकार का घाटा भी कम हुआ है। सरकार ने अब तक एक लाख 55 हज़ार डाकघरों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा है और सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गाँव तक ब्रॉडबैंड की सुविधा देने का है। सरकार ने स्टार्टअप योजना की शुरूआत कर युवाओं और प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। स्टार्टअप योजना निश्चित ही स्वागतयोग्य योजना है। पी.एम. मुद्रा योजना से 2.07 लाख महिला उद्यमी अभी तक लाभान्वित हुए हैं। सरकार स्किल इंडिया के तहत 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं और अब तक देश में 39 फीसदी विदेशी निवेश भी बढ़ा है। यह अब तक सरकार की अच्छी नीति और विकास करने की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

सरकार अब तक देश भर में कुल 7200 कि.मी. हाईवे का निर्माण कर चुकी है और देश के चारों धामों को जोड़ने के लिए 12 हज़ार करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसी के तहत देश में स्पेशल ग्रीन हाईवे की शुरूआत की गई है। पी.एम. खनिज कल्याण योजना के तहत खनिज वाले इलाकों को विशेष ध्यान रखकर विकास किया जा रहा है और पूरी पारदर्शिता से खदान आवंटित की जा रही है। सरकार द्वारा घोषित हाईस्पीड ट्रेन का काम मुंबई-अहमदाबाद के बीच जापान की मदद से शुरू किया जा चुका है। रेलवे आम लोगों के परिवहन का माध्यम है। इसी के तहत, रेलवे स्टेशन, ट्रेन की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ट्रेन में नए कोच लगाये जाने के साथ ही साथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलगाड़ियों में बॉयो-टॉयलेट लगाये जाने का काम शुरू किया जा चुका है।

देश के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमारे दिल में विशेष इज्जत और प्यार है। हमारी सरकार ने अपने वन रैंक-वन पेंशन के वादे को पूरा किया है। हम सीमा पर आतंकवाद से उत्पन्न होने वाली हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम और तैयार हैं। हमारी सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए हर संभव प्रभावी कदम उठाने को तत्पर है और हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी खतरा है और इससे निपटने के लिए और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोज़गार दिलाने पर केंद्रित है।

***श्रीमती रंजनबेन भट्ट (बड़ोदरा) :** महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने बजट सत्र के पहले ही दिन पिछले कई सत्रों में बाधित हुई संसद को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में बात होनी चाहिए। संसद चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सांसदों से अनुरोध किया कि वे सहयोग और मेलजोल की भावना से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। उनके इस अनुरोध के प्रभाव ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले देशवासियों के मन को झकझोर दिया और उनको यह अहसास हो गया कि संसद न चलने से देश को काफी बड़ी क्षति उठानी पड़ती है और देश की प्रगति के रास्ते भी बाधित होते हैं। अब देखना यह है कि महामहिम के अनुरोध का कितना असर सांसदों पर हुआ है, उसका पता तो समय आने पर ही चलेगा।

देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर नक्सलवाद और देश के बाहर से आतंक फैलाने का कार्य हो रहा है जिसे हमारी सरकार अपनी पूरी क्षमता से प्रभावी ढंग से रोकने का कार्य कर रही है। पठानकोट जैसे हमलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकने की जरूरत है। हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा संबंधी सभी चुनौतियों से सख्ती से निपटने के लिए संकल्प लिया है। सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमले का सामना करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है।

हमारे देश में जो आज तक बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही थी उसे कम करने के लिए मेरी सरकार रोजगार सृजन का कार्य तेजी से कर रही है और वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारी सरकार इस समस्या का निदान पूरी तरह कर देगी।

हमारी सरकार का मूल मंत्र 'सबका साथ-सबका विकास' है। इसी मंत्र के साथ चलकर हमारा देश पूर्ण विकास और आत्मनिर्भरता हासिल करेगा। इसमें संदेह नहीं कि हमारी सरकार इसी राह पर चल रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा देश विकास की ऊँचाई पर खड़ा दिखाई देगा।

हमारी सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का सतत प्रयास कर रही है। देश में 2015 के वर्ष में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ। मछली पालन के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा 3000 करोड़ रूपए की नीली क्रांति शुरू की गई है। जन-धन योजना दुनिया की सबसे सफल वित्तीय योजना है। इससे गरीबों को भी लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, अर्बन मिशन जैसी योजनाएं हमारी सरकार ने प्रारंभ करके देश को विकास की ओर अग्रसर किया है। यही कारण है कि दुनिया भर में मंदी के बीच भारत में आर्थिक स्थायित्व बना हुआ है।

---

* Speech was laid on the Table.

हमारी सरकार सशक्त और दूरदर्शी भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें लोगों को विकास के वे सारे अवसर उपलब्ध हों, जिनका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है।

हमारी सरकार भारत-पाक संबंधों को सुधारने के लिए काफी प्रयास कर रही है और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार को इस विषय में सफलता हासिल होगी। हमारी सरकार ने हमारे जनप्रिय नेता श्री नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नियंत्रण पर कई कठोर और प्रभावी कदम उठाये हैं और इस पर नियंत्रण भी किया है।

*__डॉ. यशवंत सिंह(नगीना) :__ महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मेरी सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं का रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम कर रही है। इनके द्वारा चलाई गयी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना समाज के वंचितों के भविष्य को सुधारने वाली योजनाएं हैं। वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना भी गरीबों के जीवन में नई आशा की किरण है।

जहां तक किसानों के हित की बात है सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं जिसमें सभी किसानों को 2017 तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पानी के उचित उपयोग से अधिक फसल का सिंचन करना, एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार को वन फूड जोन, वन कन्ट्री, वन मार्केट बनाकर उचित मूल्य उपलब्ध कराना आदि, उपाय शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा अब तक की सबसे कम राशि पर बीमा कराकर 30 प्रतिशत नुकसान पर 50 प्रतिशत अधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। गन्ने का भुगतान तथा स्वदेशी यूरिया नीति 2015 के तहत नीम लोपित सब्सिडी वाला यूरिया उपलब्ध कराना, नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, किसान चैनल शुरू कराना आदि सभी उपायों से किसानों की स्थिति में सुधार आयेगा।

ग्रामों के विकास को ध्यान में रखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वरन मिशन के तहत 300 ग्रामीण विकास समूहों का चयन एवं उन्नयन अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। प्राथमिक विद्यालयों में चार लाख सत्रह हजार शौचालयों का निर्माण, शिक्षित स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत की ओर एक बढ़ता कदम है। इसी स्वच्छ भारत अभिमयान के तहत कचरे से ऊर्जा उत्पादन, रसायनों एवं उर्वरक कंपनियों द्वारा कंपोस्ट खाद के विपणन और मलवे के प्रयोग संबंधी नीतियॉं बनाई गयी हैं। गंगा की स्वच्छता बनाये रखने हेतु 118 शहरों में 1949 ग्राम पंचायतों के लिए संपूर्ण स्वच्छता समाधान का क्रियान्वयन भी इसी का हिस्सा है।

ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि सराहनीय है, इसमें सौर ऊर्जा का 20 महीने में दो गुना होने तथा वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 175 जी.डब्ल्यू. करना महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाना एक प्राथमिकता है। गांवों तथा घरों में एल.ई.डी. बल्ब द्वारा विद्युत खपत कम करना, नौ हज़ार नौ सौ करोड़ रूपए की असम गैस क्रैंकर परियोजना का राष्ट्र को समर्पण भी अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है।

सरकार द्वारा ट्रेनों की दशा सुधारने में विशेष योगदान है। जहां बायो-टॉयलेट लगाये जा रहे हैं वहीं तीव्र गति से ब्रॉडगेज बिछाने का कार्य तथा उत्तम श्रेणी के कोच जिसमें मनोरंजन के साधनों के साथ-साथ

---
* Speech was laid on the Table.

उत्तम खाना उपलब्ध कराना सराहनीय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2019 तक एक लाख बत्तीस हजार गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

युवाओं को आगे बढ़ाने हेतु स्किल इंडिया, गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजीटल इण्डिया, सभी डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण, पोस्टल पेमेन्ट बैंक इत्यादि सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

आज भारत चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, परंतु किसी विकास को आप तब तक विकास श्रेणी में नहीं रख सकते जब तक विकास का असर समाज की वंचित श्रेणी पर न आयें। इस संबंध में मेरा माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध है की गरीबों, दलितों, वंचितों के हित में निम्नलिखित सकारात्मक कदम उठाये जायें।

1. मनरेगा में मजदूरी कम्पोनेंट के मद को सामग्री वाले मद से अलग किया जाये तथा सामग्री वाले मद को किसी भी योजना से जोड़ा जाये ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सौ दिन उपलब्ध हो सके तथा मानदेय को कम से कम 250 रूपये किया जायें।

2. गरीबों का जातिगत उत्पीड़न एक भयंकर श्रेणी का अपराध माना जाये।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सब प्लान के पैसे का 100 प्रतिशत उपयोग दलित लोगों के हित में होना सुनिश्चित किया जाये तथा आरक्षण को हर स्तर पर समीक्षा करके पूरा किया जाये। गरीब का सुधार जब तक नहीं होगा, विकास कहना एक बेईमानी होगी।

*__SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA):__ I would like to point in the beginning itself that this Government has announced many schemes but the implementation of those schemes is an utter failure. It was mentioned in the President's Address that the Government has undertaken various visionary initiatives towards building an India that strides into the future with confidence. In this regard, I would like to say the last year after the Economic Survey, there was a talk of JAM trinity -Jan Dhan Yojana, Aadhar, Mobile numbers. The Union Government then announced about creating a universal social security scheme for the poor through a slew of medical and accident insurance schemes and a Senior Citizen Welfare Fund. The main purpose of JAM trinity is to expand welfare policies. However, I would like to say that the poor people are not given any kind of welfare benefits. Instead, they are asked to deposit Rs. 500 to Rs. 1000 to maintain their bank accounts. This scheme is not at all helping the poor. But, on the other hand, the Union Government is claiming as though this scheme is a big achievement of the BJP Government. In reality, it is utter failure of the Government in ensuring the welfare benefits to the poor through JAM scheme.

With regard to MUDRA scheme, the Centre has earmarked Rs. 100 crore of token fund for establishment of Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA). It is an apex refinance agency to enable over fifty million unfunded entrepreneurs to access the formal credit institutions. However, in reality, the banks are discouraging new entrepreneurs by asking them to provide collateral security to get bank loans. It is a clear violation of the objective of MUDRA scheme.

The President's address did not mention about the rising prices of essential commodities including toor dal, which has touched a historic high with Rs. 200 a kilo in the wholesale market and Rs. 250 a kg in Retail market. It was around Rs. 120 a kg in market during the first week of August. The jump in prices due to crop

---

* Speech was laid on the Table

failure started around April, 2015. In May, 2015, the wholesale price had crossed Rs. 100 a kg for the first time. It is a clear indication of how the Union Government failed in controlling the prices of essential commodities. Even the prices of vegetables and especially that of onion jumped Rs. 60 - 70 per kg in the months of July-August last year.

The President's Address has not mentioned any mechanism to put in place to control hoarding, theft of taxes etc., to prevent the rising prices of essential commodities. As they erode the incomes of wage-earners, they give rise to labour unrest. That in turn brings down productivity leading to further increase in prices. So the Union Government should take necessary measures to prevent the rising prices of all the commodities and protect common people from the burden of spiralling prices.

The President in his Address mentioned about IT Modernization Project and computerization of post offices by the year 2017. I would like to point out that postal services in the country need some comprehensive measures to enable the department to serve better to people in the nook and corners of the country. As per the information provided by the Government, about 35% of the population do not have banking facilities. India Post could play a vital role in increasing awareness among rural people about schemes like, Savings, Deposits of money, postal insurance, etc. to help people in critical times. There is a need for India Post to computerize the network so as to widen and deepen the level of financial transactions and offer banking services to the rural population. Keeping the changing scenario in terms of modern technology India Post should introduce state of art delivery strategies to provide speedy and better services to general public.

The President in his Address mentioned about Swachh Bharat Mission. Swachh Bharat Mission was launched throughout length and breadth of the country as a national movement. However there is no significant change in the country in this regard. Hence the Union Government should allocate more funds to construct toilets in the country.

I would like to mention that until and unless the Union Government allocate adequate money to all Urban Local bodies and Panchayats to undertake regular cleaning activities in their jurisdiction is very difficult to achieve the objectives of Swachch Bharat Abhiyan.

With regard to levy of the Swachh Bharat Cess, I would like to state that the people of the country are already burdened with the price rise of essential commodities, increasing service tax, etc., The Government has saved thousands of crores of rupees in the wake of drastic drop in the crude oil prices in the international market. In such a situation, it is not good to put more burden on people by imposing more tax in the name of Swachh Bharat.

His Excellency the President has mentioned in his Address about promoting food processing industries. The agriculture sector in India contributes a fourth of Country's GDP and provides employment to approximately two third of the population. However, its potential has not been tapped due to underdevelopment of the food processing sector in India. I would like to mention that it has an important role to play in linking Indian agriculture to consumers in the domestic and international markets. There is an urgent need that India should develop its traditional food items under global standardization and mechanize them. At the same time, the country should also develop its own brands with global presence and standards.

The President's Address has not mentioned about measures that need to be taken to address the issue of groundwater pollutants arsenic and fluoride in the country including Karnataka. The Centre should provide both financial and technological support to supplement the efforts of states to provide adequate drinking water to the rural population.

With regard to Drinking water and Sanitation I would like to point that a Parliamentary panel had expressed serious concern over "drastic" cuts in budgetary allocation of Drinking Water and Sanitation Department. The reduction would have an "adverse" impact on NRDWP and Swachh Bharat Mission

Schemes. It is not possible with the meagre funds to achieve the objective of providing safe drinking water and achieve 100 per cent sanitation in rural areas and it would affect the million of people living in rural areas of the country.

India is home to the highest number of children with hunger and malnutrition. Despite this, it does not appear that the Government is serious about tackling the scourge of malnutrition. Since ICDS is an important flagship program for ensuring good health of our children, the inadequate allocation would only hamper only the development of our children and also expose to far greater degrees of vulnerability in various sector. Therefore, the Government should take steps to provide proper healthcare to our children and women.

[*]SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): At the outset, the speech of Hon. President of India is just a compilation of the public relation exercise of the present Government with hollow promises. It is in sharp contrast with the ground realities that exist in our country. The Government is only focusing on its image building through media and false promises to the people. But in a closer look, we can see that the Make India project is a bubble. There is no truth and honesty in the action of the government and it is high time for a reality check. Almost all the projects and programmes of the previous government have their names changed and it is simply old wine in new bottle. This Government is more aggressive in pursuing the neo-liberal agenda in helping the corporates.

I am sorry to say that the Government has failed miserably in fulfilling its promises in sectors such as agriculture, industry, preventing inflation and employment to mention a few. It is a matter of great surprise that the present Government which always criticised the previous governments for the inordinate price hike in the fuel prices is doing the same under pretext of Make in India project. Across the world, the price of the crude oil has touched rock bottom. But the present Government has increased the price of petrol and diesel in multiple times and in India, the price of fuel is skyrocketing on a daily basis. In a rough estimate, around 2 lakh crore earned by the low crude oil price has never passed on to the customers. Instead, the government is hiking the import tax and diverting it to the corporate interests.

There is a much celebrated financial inclusion policy, a pet project of the present government led by Shri Narendra Modi under the scheme called "Pradhan Mantri's Jan-Dhan Yojana". According to the World Bank Reports, nearly 75% of the accounts opened under the scheme are lying dormant with zero balance. Again women are largely excluded from the scheme of financial inclusion. Still, only 26% of female adults in India have an account with formal financial institutions.

---

[*] Speech was laid on the Table

According to the Reserve Bank of India report, women's credit outstanding from commercial banks accounts for only 5% of all credit outstanding. Schemes such as Pradhan Mantri Bima Yojana, the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana are welcomed. But what about the larger picture in the insurance sector? The move to implement 49% FDI in the insurance sector is really an alarming situation. Customers of the private insurance companies are still apprehensive about their credibility. While LIC has settled 99.89 percent of the claims, the private sector repudiated nearly 11 percent of the claims. Undermining this factor, the Government has allowed the corporates to invest up to 30 per cent which was earlier set at 10 per cent. In a developing country like India the danger will be huge if the Government is losing its control over the Insurance and leaving at the mercy of the corporates.

The much coveted Direct Benefit Transfer for Liquefied Petroleum Gas Scheme is aimed at curtailing the bogus connections and controlling the black marketing of LPG. But the Government's huge claims of improved operational efficiency and saving in subsidy lack clarity. The Government has thus not provided detailed calculations regarding either its claimed saving from DBTL in the financial year 2014-15 or projected saving for the financial year 2015-16. It raises important questions on the much publicized fiscal saving figure of Rs. 12700 crore in the last financial year. Based on an analysis of publically available data, this figure appears to be an over estimate.

It is a good gesture from the Government to acknowledge "Kisano ki Samriddhi", who are the backbone of our economy and prosperity. But about a week ago, one of the Member of Parliament from the ruling Government party said that farmers have become a fashion and trend. The remark comes at a time when Maharashtra is reeling under a grave agrarian crisis with 124 farmers committing suicides in the state since January 2016. Not only in Maharashtra, all the other states are facing agrarian crisis and not able to stop farmers suicide. The era of Modi Government, that promised achhe din to the poor in India, has not

been able to change the situation. In 2004, it around 6000 farmers committed suicide revealing the hollowness of the project achhe din. Drought and floods take a toll on the harvest time but Banks in India had not announced a penny for Restructuring of Farm Loans and Crop Loans. At the same time, corporate sector in India has witnessed a windfall with every budget. As per RBI report, Rs. 4,26,100 crore worth of Corporate debt was restructured in just one year (2013-14) and over Rs. 14,00,000 crore in last four years. Gross Bank Credit was Rs. 35,49,744 crore on 25th February, 2011 which was expanded to Rs. 59,71,200 Crore as on 23rd January, 2015. So, in this period, Corporates also received Rs. 18,00,000 crores as new bank credits also. Thus Rs. 32,00,000 crore were delivered on a platter to Corporates in just four years which neither created jobs, nor IPR, nor contributed to much GDP growth. Incidentally, it requires just Rs. 5,00,000 crores to store, process and market farm produce by farmers, to create 20 crore jobs and triple to quadruple rural GDP. How is that only Ambani and Adani are considered qualified to process store and market farmers produce? This serious situation will have long term ramification not only in the agriculture but also in the overall development of the country.

What is happening to this country is predictable, unfortunate, and so avoidable. Intolerance has become the general temperament of the social-psych of India. The intolerant atmosphere was considerably enhanced with the gross insensitivity shown by the Government to its intolerant rank and file. Temple politics got replaced by morality and cow politics. Brutal lynching of an innocent man by indoctrinate mob in the name of his eating habit, shooting of intellectuals because of their liberal thinking and fight against the darker side of the religions, banning artists in the name of their religion and country shows that Intolerance is not in the statistics on communal violence, but in the atmosphere. An atmosphere of fear, an atmosphere that encourages conformity has gripped our country tightly. Many social activists such as Govind Pansare, Narendra Dabholkar and Prof. M.M. Kalburgi were killed since they stand against social evils. The Government

wants to bring bank the outdated and obsolete practices of social evils and forcibly imposing it on the citizens of a country that always take pride in its unity in diversity. They are talking about Hindutva and Hindu solidarity. But the NDA Government is taking no stand on frequent atrocities on dalits. Reports suggest a manifold increase in the number of cases related to assault, murder and sexual assault of Dalit women, especially incidents of gang rapes, over the past four years. It is ironical that only 50% of the accused in such crimes and faced action.

Key positions in 14 cultural and academic institutions had been fulfilled by those handpicked by the Government. The over enthusiastic intervention of the NDA government is alarming and will curtail the cultural and scientific development of our country. It is also to be noted that never ever in the history of India, a huge number of non-political personalities, especially writers and intellectuals, publicly expressed their concerns over the rising 'intolerance' in the country. Nearly three dozen writers have since returned their prize to the Akademi. It is sad that religious nationalism is over- powering our long standing secular nationalism and fake public video, without checking its veracity. Our higher educational institutions across the country are under fire due to the undemocratic and exploitative atmosphere.

Above all, the discontent has been creeping in to the various sections of the society such as farmers, youths, students and different caste groups. The recent insurrection for reservation by various caste groups such as patels in Gujarat and Jats in Haryana is nothing but a by-product of the incessant and Neo-Liberal policies initiated by the UPA Government and pursuing vigorously by the present NDA Government. The Neo-Liberal reforms have taken a toll on our agricultural sector. Cutting of subsidies, poor access to formal rural credit system, ineffective compensation policies and above all, corporatization of agriculture has broken our agrarian economy. The discontent from the various sections should be seen in this light of crumbled agrarian structure of our country. This has led to unemployment, poverty and dissatisfaction among the predominantly agrarian depended caste

groups. In reality the insistence of the neo-liberal policy by the present government is solely responsible for the unleashing of the Frankenstein of reservation revolts in the country.

It is sad to say that our Hon. President who made several statements against intolerance and discontents did not make a single mention on the issue.

I conclude with a firm conviction that our country is not going in the right direction. Creating an atmosphere of tolerance, space for dissent, real upliftment of the poor, constructive intervention in the agriculture sector and protection of the people and environment from the corporates forces are the need of the hour.

[*]DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I express my views on the consideration of the motion of thanks for the Address which Honourable Rastrapati ji has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the February 23, 2016; as moved by Hon. Smt. Meenakshi Lekhi and seconded by Hon. Smt. Harsimrat Kaur Badal.

Let me start with the fundamental tenet of the NDA Government -Sabka Sath Sabka Vikas vis-a-vis the issues that are our immediate concern: Emerging trend of national intolerance; our economic growth vis-a-vis economic slowdown; Governance deficit; black money, corruption, terrorism; internal security and of course International relations. The Presidential Address hardly tried to address all these issues in a very sensible manner. The Government has not given enough space to the Honourable President for the same.

Our Hon'ble President, Shri Pranab Mukherjee was born on 11.12.1935. He is now running into 81 years. Interestingly and quite coincidentally, the number of paragraphs in his Address is exactly 81. What arithmetic.

In a developing country like ours, where democracy is getting matured, the most basic issue is to empower its citizens. How to do it is the crux of our entire endeavor. To me, it is a possible proposition. However, it appears that the present NDA Government does not try to put enough effort for this.

Please refer to Para 3 of the Address - "Deen Dayal Upadhyaya who spoke of Ekatma Manavata Darshan which envisages Antyodaya, where the empowering rays of opportunity reach the last person. This principle guides all the programmes of my Government. My Government, in particular is focused on 'Garibon Ki Unnati' (Poverty Eradication), 'Kisano Ki Samriddhi' (Farmers' Prosperity) and 'Yuvaon Ko Rojgaar' (Massive Employment Generation)".

So far so good! I wish the Government all the best in its endeavour.

[*] Speech was laid on the Table

I would very humbly state that this is but a corollary to "An important initiative of the UPA Government - the rollout of the Direct Benefits Transfer System". This would enable Government sponsored benefits to flow directly into the accounts of beneficiaries, who can access them using their Aadhaar number.

This system will help cut down leakages, bring millions of persons into the financial system and lead to better targeting of beneficiaries. It will definitely be a trend setter in the use of modern technology to bring benefits to our poorest citizens, especially in rural areas. We all know that India lives in villages."

However, there is a word of caution. That is, the Direct Benefits Transfer System will not be a substitute for public services and will complementary to the Public Distribution System.

In Para 29 -"My Government aims to create a Shikshit Swasth Swachh, an educated, healthy and clean India. In a reflection of how the spirit of Swachh Bharat has manifested in our primary schools, over four lakh seventeen thousand functional toilets for boys and girls have been constructed".

There is no doubt that the toilets are constructed in our primary schools. However, there is no proper water supply and therefore these toilets are bound to perish an unnatural early death.

Instead I urge upon the Union Government to provide a good school in every Indian village. A good school requires good roads leading to the school, proper water and power supply over and above the required qualified trained teachers and proper physical infrastructure of the school. I hope, the Government understand it!

In Para 69 - " there has been significant improvement in the overall security in the North-Eastern States and Left Wing Extremism affected States. This has been made possible through sustained efforts and measures taken by the intelligence agencies and security forces in collaboration with the State Governments".

I am from the State of Manipur. This statement is very subjective at least in respect of my State, I would once again very respectfully state that it is a blatant lie. Why?

In my State, the Armed Forces (Special) Power Act (AFSPA), 1958 has been promulgated since 80's, and here Army is engaged in counter-insurgency operations under the Act. This Act provides immunity to the Army from being tried without the prior permission of the Union Government.

Under this Act, the State of Manipur has seen many orphans, widows, parents who do not know whereabouts of their missing children. Rapes, fake encounters, custodian killings are rampant.

Moreover, in my State Manipur, one lady Irom Sharmila (Iron Lady) is still on fast onto death for repeal of the Act since 2000. In spite of the recommendations of various committees, conferences, UN bodies to repeal the Act, the Government of India is still shy to repeal this draconian law. However, the Government of Manipur has lifted AFSPA from the seven Assembly Constituencies under Imphal Municipality.

I am always for the immediate repeal of this AFSPA. Time has come for this draconian Act to go. I do very sincerely urge upon the Union Government to repeal this act immediately for the sack of humanity.

The then UPA Government under the leadership of the then Prime Minister and the AIICC President has been able to conduct itself very successfully through our National Flagship Programmes and various Welfare Schemes. Mahatma Gandhi NREGA, Right to Information Act, Right to Education Act and National Food Security Act to mention a few. For this, we have to take decisive strides towards reaching these goals. The road is long, but our journey is in progess.

I, very respectfully, urge upon all the Hon'ble Members to accept this historical fact.

I now come to the case of rising prices of essential commodities. It is the fervent hope of every one of us that the prices of essential commodities get

stabilized immediately. However, all of us are aware of the fact that considering the size of the country and her population size, it is but natural that the demands are large while the supply is limited. This theory of demand-supply is, to a large extent, responsible for the price rise. But we cannot leave it here. We must find ways to mitigate the same very earnestly and quickly.

However, this NDA Government is doing very little in this regard. I am confident that the Flagship Programmes and the Welfare measures of the then UPA Government, will certainly re-gain the lost space sooner than later.

I would like to mention the combined responsibilities of the federal Governments -State Governments and the Union Government. I am afraid, transparency in this governance is still lacking in many parts of the Federal Governments. This scheme and these programmes require to be judiciously and holistically implemented. So, they also require the leadership and guidance of the Union Government.

At the same time, we have to ensure that these schemes reach the people for whom they are intended.

Next, I would like to make a sincere attempt to address the issue of terrorism in the country and abroad, which is nevertheless an issue both National and International. Terrorism as I do understand is a war against humanity.

I would very respectfully wish to ask the NDA Government, where has gone the zero tolerance policy on terrorism of our UPA Government. I do urge upon the Union Government that on terrorism, the zero tolerance policy has to be practiced in its fullest meaning both in spirit and in action. Civilizations grew on the lives of millions and that the King can do no wrong do remain and had been the greatest tragedy of mankind. We, who practice Democracy, should think together and work together for a better world so that our children enjoy the fruit of their birth and live happily. Together we must able to give to our children a better tomorrow.

Lastly, I would like to mention about our independent foreign policy which remained intact. This was being debated by some of the Hon'ble members on the other side. We do not agree with them. Our independent foreign policy has to be kept intact.

I do sincerely wish that our relation with neighbouring countries like Bhutan, Bangladesh, Maldives, Nepal and Sri Lanka would continue to grow from strength to strength and particularly relations with Myanmar through our Look East Policy (now Act East Policy) should be able to catalyze it.

Finally, however, in the best established tradition of parliamentary democracy, I do support the Motion. However, the claims made by his Government are on the contrary and commitments made are in the vacuum.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं।

संवैधानिक प्रावधान और परम्परा के अनुसार बजट सत्र के पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ। उनके प्रति धन्यवाद देने के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव श्रीमती लेखी जी ने इनिशिएट किया और श्रीमती बादल जी ने उसे सेकण्ड किया, उस पर कल कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय खड़गे साहब ने भी अपने विचार रखे। लेकिन कल शाम को जब पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर एम. वैंकैय्या नायडू जी ने सवा घण्टे में पूरे भाषण का विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि बोलने के लिए जैसे कुछ बात रही है या नहीं, लेकिन आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने शरू में दिया - सबका साथ, सबका विकास, उसी से अपने भाषण की शुरूआत महामहिम राष्ट्रपति जी ने की। उनके अभिभाषण में तीन प्रमुख बिन्दु हैं - गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोजगार। जब मैं गौर से उनके भाषण को सुन रहा था और महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं इस सदन में उन्नीस-बीस वर्षों से देखता आया हूं, तो थोड़ी पुरानी एक याद मेरे दिल में आई। जब आजादी के लिए वर्ष 1885 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस बनी, जिसमे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे, ऐसे अन्य बड़े-बड़े नेता थे। जब हमें आजादी मिली तो एक महत्वपूर्ण संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था अपनी पार्टी को कि जिस कारण के लिए कांग्रेस बनी थी, अभी हमने स्वतंत्रता पाई है, आजादी पाई है, अब कांग्रेस को डिजॉल्व कर दो, नहीं तो भविष्य में वह बदनाम हो जाएगी। वही बदनामी के तौर पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। जो पिछले लोक सभा चुनाव हुए, उसमें हमने यह देख लिया है। मुझे एक बात कहनी है। हमारे एक पूर्व कांग्रेसी नेता थे, जिनका सीना चौड़ा था और दिल भी बड़ा था। जब 11वीं लोक सभा बनीं, तो उस समय अटल जी की सरकार बनी थी और मैं पहली बार सदन में चुनकर आया था। अटल जी ने पहले ही दिन अपने भाषण में कई उल्लेखनीय बातें कही थीं। मैं श्रद्धेय अटल जी के भाषण का वह अंश बताना चाहता हूं जो उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू के बारे में कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम एक दिन इस देश के प्रधान मंत्री बनोगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उनका सीना वाकई में चौड़ा था और दिल बड़ा था। विपक्ष में बैठे हुए एक व्यक्ति को इस तरह उद्धृत करना, यह वाकई में एक बड़ी बात है। जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण दे रहे थे, उनकी बातों में इस सरकार के प्रति एक आदर था। इस सरकार ने जो काम किया है, उसका भी उल्लेख बार-बार वह दिल से कर रहे थे। उस समय मुझे अटल जी का बताया हुआ वह किस्सा याद आ गया।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने तीन बिंदुओं पर अपने अभिभाषण का मुख्य आधार रखा। रिपीटिशन करना अच्छी बात मैं नहीं मानता हूं। हमारे कई साथियों ने कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देश में जब भी कोई राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधान मंत्री बनते हैं, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष बनते हैं, तब वे किसी पक्ष के नहीं होते, पूरे राष्ट्र के होते हैं। उनके प्रति जो आदर हमें दिखाना चाहिए, कई वक्ताओं के भाषण में मुझे वह नहीं दिखा। जैसे हमारे एक वक्ता ने 'मन की बात' को गैर जरूरी बताया। मैं आदरणीय खड़गे जी की रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने भी कल नक्ल की कि प्रधान मंत्री जी कैसे बैंच थपथपाते हैं, यह नहीं होना चाहिए। मैं उनसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। इन लोगों के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, क्योंकि वे देश के नेता हैं। जब भी वे विदेश जाते हैं तो उन्हें भारत का प्रधान मंत्री, भारत के राष्ट्रपति कहा जाता है, किसी पार्टी का नेता नहीं कहा जाता।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अडसूल जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप सहकारिता आंदोलन और लेबर मूवमेंट के साथ भी रहे हैं तथा अटल जी की सरकार के समय से आज तक इस सदन में हैं। मैं तो परसों-परसों ही आया हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के प्रधान मंत्री जी विदेश जाते हैं तो क्या यह उचित है कि वह पूर्व प्रधानमंत्रियों की और किसी पार्टी की निंदा करें?...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): यह सही नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हर जगह उन्होंने कहा है कि जो अब सरकार आई है यह ठीक है। इससे पहले जो भी सरकारें थीं, आपको मालूम है कि वह काम नहीं करती थीं, भ्रष्टाचार में लिप्त थीं...(व्यवधान) वह जब आस्ट्रेलिया गए और वहां एन.आर.आईज़. से मिले, जब अमेरिका गए, हडसन सर्कल गए, जहां भी गए और एन.आर.आईज़. से मिले तो जोश में यह बोलते रहे। पूर्व प्रधानमंत्रियों ने ऐसा नहीं कहा इसलिए बोली और चाल एक सी होनी चाहिए। लेकिन आप बाहर जाकर दूसरों पर कमेंट करते हैं, अगर हम सामने कोई बात करें तो आप लोग बुरा मान रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह कहना कि देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं, यह बिलकुल गलत है। इनके पास न इस बात का कोई प्रमाण है और न ही इसमें कोई सत्यता है। इस पूरे वक्तव्य को कार्रवाई से बाहर किया जाए, क्योंकि यह उचित नहीं है कि इस प्रकार से कहना कि प्रधानमंत्री सिर्फ आपके और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में चिंतन करते हैं, हम लोग कतई इस तरह की बात नहीं करते हैं।

श्री आनंदराव अडसुल : उपाध्यक्ष जी, मुझे जो सही लगता है, मैंने वही बात रखने का प्रयास किया है। उसको मानना या न मानना दूसरे पर निर्भर होता है। मैं एक बात और यहां बताना चाहता हूं कि खड़गे साहब कर्नाटक के बॉर्डर के हैं और मराठी भी जानते हैं। हमारे मराठी संतों ने बोला है- निंदगाचे घर असावी सेझारे। शायद आपको भी पता चला होगा कि मुझे क्या बोलना है? निंदा का मतलब यह होता है कि वह पॉज़ीटिव होनी चाहिए। प्रतिपक्ष में केवल इसलिए बैठे हैं कि खाली टीका और टिप्पणी करना है तो मैं समझता हूं कि यह काम नहीं होता है, बल्कि अच्छे काम की सराहना करना भी होता है। इन बीस सालों के दौरान मैंने बड़े-बड़े नेताओं से सीखा है और हमारे नेता हिन्दू-हृदय सम्राट माननीय शिव सेना प्रमुख जी से सीखा है। आप अगर सामने वाले को मान-सम्मान देंगे तो आपका सम्मान बढ़ता है, अपमान नहीं होता है, यह हमें सीखाया गया है। इसलिए प्रमुख बिंदू पर जाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जन-धन योजना के तहत सामान्य आदमी का पैसा बैंक में जाना चाहिए, इसकी संकल्पना अभी तक किसी ने भी नहीं रखी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया और हमारे देश के 21 करोड़ परिवारों ने बैंक में अपना खाता खोला। 32 हजार करोड़ रुपये की राशि उसमें जमा हुई और 15 करोड़ अकाउंट ऑपरेटिव हैं। बैंक के पास सामान्य आदमी कभी नहीं जाता था। उनका बैंक से ताल्लुक नहीं था। उनको बैंक तक पहुंचाने और उनका खोता खोलना और सरकार की 42 स्कीम्स की सब्सिडी आज उनके खाते में जा रही है। डायरेक्ट कैश पेमेंट हो रहा है। इसकी सराहना करनी चाहिए, जो अच्छी बात है...(व्यवधान) मेरा कहना है कि कुछ न होने से कुछ तो है। उसमें कुछ आंकड़े गलत होंगे, लेकिन कुछ तो सही होंगे। कुछ न होने से कुछ तो है, कम से कम इसकी तो सराहना आपको करनी चाहिए। जब आप सत्ता में थे आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि गरीब आदमी को बैंक तक पहुंचाना है, उनके खाते में सब्सिडी देनी है...(व्यवधान) आपने बैंको का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन मैं इसके बारे में बोलूंगा तो आपको दर्द होगा। आपको आज जो बैंकों का एनपीए दिख रहा है, यह केवल इस सरकार के 18 महीनों का नहीं है, आपके कार्यकाल का भी है। इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ, क्या मैं उसके आंकड़े यहां दूं? मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैम्बर भी था...(व्यवधान) बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या बैंको को लूटने के लिए किया? मैंने अपनी सरकार से सुबह एनपीए के बारे में सरकार से प्रश्न पूछा था, उस समय आप नहीं थे। जो एनपीए के आंकड़े बढ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी चाहिए और हर बैंक को सीधा करना चाहिए। कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, यह बात सुबह हुई है। हम एक तरफ की बात नहीं करते हैं, हम सत्ता पक्ष के एक घटक जरूर हैं, लेकिन गलत को गलत और सही को सही बोलना भी हमें सिखाया गया है और हम यह करते भी हैं। कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, क्या कभी सोचा था कि एक महीने में एक

रूपया, 12 महीने में 12 रुपये देंगे और यदि घर में कोई अप्रिय घटना घटी तो उसे दो लाख रुपये मिलेंगे। जब आप सत्ता में थे तो क्या कभी आपने इस बारे में सोचा था? इसके अलावा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना है, इसमें केवल 330 रुपये देने होंगे, साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन 330 रुपये एक साल में भरिये और कुछ अप्रिय होने पर फिर आपको दो लाख रुपये मिलेंगे। यह बात सोचने की है, उस पर अमल होता जा रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, लेकिन कुछ न कुछ चालू हो गया है, कोई न कोई उसका लाभ ले रहा है, यह तो कम से कम आप सोचिये और कम से कम इसकी सराहना कीजिए।

इसके अलावा अटल पेंशन योजना आई, इसमें क्या गलत किया। जो सामान्य आदमी है, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उस पर अगर भविष्य में ऐसी कोई आपत्ति आई तो इस योजना के माध्यम से उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिन बातों में सही मायने में दम है। इसकी एक दूसरी साइड भी है, लेकिन उसमें जाने के पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ही लीजिए, यह इम्पलायमैन्ट जनरेशन करने वाली एक इंडस्ट्रीज है। उसकी टैक्नोलोजी अपग्रेड करने के लिए उन्होंने 18 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे चुनाव क्षेत्र में पहले केवल एक ही टैक्सटाइल मिल थी, लेकिन आज नौ टैक्सटाइल मिल्स बन चुकी हैं और एक टैक्सटाइल पार्क बन चुका है। यह एक साल के अंदर की बात है। फिर मैं क्यों न इसकी सराहना करूं। विदर्भ में जो किसान भाई आत्महत्याएं करते हैं, उसके दो प्रमुख कारण हैं, उनकी खेती बारिश के ऊपर निर्भर है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, पढ़े-लिखे लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। अगर वहां टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती हैं, टैक्सटाइल पार्क बन चुका है, अगर वह टैक्नोलोजी अपग्रेड होती है, अगर बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है तो मैं उसकी सराहना क्यों न करूं, इसके लिए उसकी सराहना करनी चाहिए।

इसके बाद स्किल डैवलपमैन्ट की बात आई। स्किल डैवलपमैन्ट, स्किल इंडिया के लिए अलग से अभी एक साल पहले मिनिस्ट्री बनाई गई और एक साल में 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग मिली। आपने इस पर यह कहना चाहिए कि ऐसा डाइनामिक मंत्री उसे मिला है...(व्यवधान) कल की बात है, जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे, यहां से बात आई, कितनी देर तक बोलते रहे, बोलने जैसी बात थी, समझाने की बात थी। यहां तक उनकी स्टडी है, वहां तक उनका अटैचमैन्ट उस डिपार्टमैन्ट के साथ है, क्या हमें उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए, क्या हमें उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यह सब युवाओं के लिए हो रहा है, देश के जवानों के लिए हो रहा है, वे जवान हैं, इसलिए उन्हें पता है कि बेरोजगारी क्या चीज है। स्किल डैवलपमैन्ट में 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): आज जिसे भी नौकरी मिल रही है, स्किल डैवलपमैन्ट मे मिल रही है।

श्री आनंदराव अडसुल: जरुर मिलेगी, आप इसका कारण समझिये, जो अनस्किल्ड है, उसे सेमी-स्किल्ड बनाना है, जो सेमी-स्किल्ड है, उसे स्किल्ड बनाना है, तभी उन्हें नौकरी मिलेगी और यह मेरा दावा है और अनुभव भी है कि अभी मैंने जो टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात की, इस पर कल मैंने सप्लीमैन्ट्री क्वैश्चन पूछा था कि आपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्किल डैवलपमैन्ट सैंटर खोलने का ऐलान किया, लेकिन जो भी हमारी पब्लिक सैक्टर कंपनियां हैं, प्राइवेट सैक्टर कंपनियां हैं, उन्हें भी आकर बोलेंगे कि आप रिक्रूटमैन्ट के पहले यह स्किल डैवलपमैन्ट सैंटर खोलिये, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए और उन्हें अपने यहां लीजिए, यह भी हो सकता है। यह मैंने उनको बोल दिया है। पूरी टैक्सटाइल इंडस्ट्री को मैंने बोला कि आप स्किल डेवल्पमेंट से कीजिए। जैसे अभी हमारे यहां मिसाइल फैक्ट्री खुलने जा रही है। उन्होंने पहले ऐसी ट्रेनिंग दी, 40 लोगों को एडवर्टाइज़मेंट दे कर ट्रेनिंग दी, अभी उनको कोई आपत्ति नहीं है। जब भी चालू होगी, उनको इज़ी रोज़गार मिलेगा। यह तो मतलब समझने की बात है।

दूसरा, यह बात आपको छोटी लगती होगी, लेकिन कभी मन में आयी, ध्यान में आई कि योग तो सालों से चलता आया है। लेकिन इंटरनेशनल योग डे, अभी हम सबने देखा कि हर जिले में, हर चुनाव क्षेत्र में जितने भी सांसद थे, उन्होंने अपने-अपने यहां योग का प्रोग्राम सैलिब्रेट किया। स्वयं प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में राजपथ पर योगा का प्रोग्राम हुआ। यह कोई छोटी बात है? योग का साधारण महत्व आप जानते हैं। वह कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया। प्रधान मंत्री ने झाडू हाथ में लिया और भारत स्वच्छता अभियान चलाया तो बहुत से लोग अभी झाडू हाथ में लेने लगे हैं। नेता क्या करते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है कि जनता क्या करती है। उसको इस एंगल से देखिए कि नेता क्या करते हैं।

कल यह टिप्पणी भी हुई कि यह योजना प्रधानमंत्री के नाम पर है, वह योजना प्रधान मंत्री के नाम पर है, कुल आठ योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम पर हैं। मैं कहता हूँ कि प्रधान मंत्री के नाम पर हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर तो नहीं है। जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, आज भी उस योजना को हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बोलते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी दस साल तक प्रधान मंत्री रहे थे, लेकिन योजना का नाम प्रधान मंत्री सड़क योजना ही रहा। एक आपत्ति उठाना कि आठ-आठ योजनाएं प्रधान मंत्री जी के नाम पर हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। जो अभी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो रही है, उसमें हमने महात्मा गांधी जोड़ दिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा नाम जोड़ा है। यहां हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, प्रमुख रूप से हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं, यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क

योजना कम से कम मेरे राज्य में तो बीते दो साल से ठप्प पड़ी है, उसका काम नहीं हो रहा है। यह भी देखना जरूरी है कि इसका कारण यह है कि पहले वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1700 करोड़ रूपये के प्रस्ताव के बदले उन्होंने 27000 करोड़ रूपये के प्रस्ताव भेजे। टेंडर निकाले, जो भी उनका हिस्सा था, निकाल लिया और पैसा तो सिर्फ 1700 करोड़ रूपये का जाने वाला था। आज उनके ठेकेदार का पैसा नहीं दिया इसलिए कोई भी ठेकेदार आगे नहीं आ रहा है। यह बात कैसे हैण्डल करनी है, वह सरकार के ऊपर निर्भर है।

प्रमुख रूप से मैं एक और बात उठाना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में पिछले 15 सालों से तो किसान भाई आत्महत्या करते ही आए हैं, अब उसमें और भी बढ़ोत्तरी हो रही है। हम प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लाए और भी कुछ लाए, उस एरिया में कहीं तो पानी होना चाहिए, अगर ट्युबवेल से लाना है, स्प्रिंग्कलर से लाना है, लेकिन पानी तो होना चाहिए। जब तक वहां हम हर नदी में डैम नहीं बनाते हैं, छोटे-छोटे नाले से ले कर बड़ी-बड़ी नदी तक जब तक नहीं बनाते हैं, तब तक यह प्रधान मंत्री सिंचाई योजना कोई काम नहीं करेगी और यह भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, रूडी जी, आप यहाँ बैठे हैं, हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे तो बहुत से परिवार हैं और यह हमेशा दुर्भाग्य होता है कि बीमारी पहले गरीब लोगों के घर में पहुँचती है। वर्ष 2008 में यूपीए सरकार एक जन औषधि योजना लाई थी। जब मैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर कमेटी का चेयरमैन बना हूँ तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि जितनी भी औषधियाँ हैं, वे अपनी वास्तविक कीमत की 15 गुना, 16 गुना, 20 गुना दाम पर बाजार में बेची जाती हैं। इसलिए यूपीए सरकार ने एक जन औषधि योजना वर्ष 2008 में लाँच की। उस योजना में यह ऐलान किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यानी 536 डिस्ट्रिक्ट में उसी टाइम एक-एक दुकान खोलेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में 181 दुकानें खोली गईं, उसमें से केवल 84 दुकानें चालू हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को लेटर लिखा था कि आप जो भी योजना लाँच करते हैं तो उसे जनता स्वीकारती है। मैंने यहाँ तक लिखा था कि 'If anything comes from the horses mouth, it is accepted by all.' आप भारत स्वच्छता अभियान लाए, आप जन-धन योजना लाए, आप बीमा योजना लाए, जो भी योजना आप लाए, उसे लोगों ने स्वीकार किया तो आप अगर जन औषधि योजना फिर रीलांच करेंगे, हर ब्लॉक में अगर हम दुकान खोलेंगे तो कम से कम तीन-चार हजार दुकानें हमारे देश में निर्माण हो जाएंगी। हर तरीके की दवा अगर उन दुकानों में रखेंगे तो गरीब लोगों को उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह भी ध्यान में रखने की बात है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, खड़गे साहब का और हमारा सीमा का झगड़ा बहुत सालों से चालू है। वहाँ के जो हमारे सीमावासी हैं, वे महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नाम

से चुनाव लड़ते हैं। वहाँ की पंचायत हो, जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, सभी चुनाव वे इसी नाम पर जीतते हैं, लेकिन उनके ऊपर कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा ऐसा अत्याचार होता है, जैसा अत्याचार ... * भी नहीं करते थे। खड़गे साहब, आप भी ध्यान में रखिए। उसे भी हल करना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। पानी की समस्या हमें दूर करनी है। श्रद्धेय अटल जी नदी जोड़ प्रकल्प योजना लाए थे, अगर उसे हम कार्यान्वित करेंगे तो जितने भी हमारे स्टेट बाधित हैं बारिश के कारण, उन सबको उसका लाभ मिलेगा। आखिर में मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक संदेश दिया है और शायद उसका परिणाम अच्छा हुआ है, यह हाउस पहले दिन से अच्छा चल रहा है। उन्होंने यह संदेश दिया कि 'Our Parliament reflects the supreme will of the people. Democratic temper calls for debate and discussion, and not disruption or obstruction.'

यह उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक संदेश दिया और हमारे साथी विपक्ष वह संदेश अमल में लाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

---

* Not recorded.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, in his speech, he had mentioned that in Belgaum, Maharashtra Ekikaran Samiti always gets elected and the Karnataka Government is suppressing them like ...* This is not good and so, this word should be deleted… (*Interruptions*) They speak about Akhand Bharat, लेकिन जस्ट यहाँ पर डिवाइड करने के लिए अगर आप ऐसी बात करेंगे तो गलत मैसेज जाता है। You are a Member of Parliament. We all are also Members of Parliament. Let them fight democratically… (*Interruptions*) अगर आपके पास ताकत है तो पार्लियामेंट में चुनकर आ सकते हैं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. The word ... * can be removed from the records.

* Not recorded.

*[*]**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा एवं दिशा का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार क्या करने वाली है, इसका लेखा-जोखा होता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की समस्याओं को दूर करने हेतु ठोस नीति का उल्लेख है। अभिभाषण के शुरूआत में ही राष्ट्रपति जी ने ऐसे भारत के निर्माण की बात कही है, जो भविष्य में पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर होगा। ऐसा सशक्त एवं दूरदर्शी भारत जो लोगों को विकास के वे सारे अवसर मुहैया कराएगा, जिनका संविधान में प्रावधान किया गया है। विकास का यह सिद्धांत ''सबका साथ-सबका विकास'' में निहित है और यही सरकार का मूलभूत सिद्धांत है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने विशेष रूप से ''गरीबों की उन्नति'', ''किसानों की समृद्धि'' और ''युवाओं को रोजगार दिलाने'' पर केंद्रित की है। देश में व्याप्त गरीबी के प्रति चिंता व्यक्त की है तथा इसके पूर्ण निवारण, सहायता एवं सशक्तिकरण द्वारा सभी नागरिकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है, जोकि सराहनीय है।

वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के दो पंखों पर सवार होकर ही मानव अभिलाषा उड़ान भरती है। सरकार इन्हीं के माध्यम से इस उद्देश्य को संभव करने के लिए कृतसंकल्प है। इस प्रयोजन में सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास और ऐसी सब्सिडियों पर अधिक जोर दिया है, जो सबसे अधिक जरूरतमंद को तब जरूरत मिले, जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। महत्वाकांक्षी ''प्रधानमंत्री जन-धन योजना'' संसार का सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए 21 करोड़ से भी अधिक खातों में से 15 करोड़ खातें चालू हालत में हैं, जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रूपए जमा हैं। यह कार्यक्रम मात्र बैंक खाता खोलने तक सीमित न रहकर गरीबी उन्मूलन का एक माध्यम बन गया है, जो निर्धनों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा मुहैया कराता है।

सबको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तीन नई योजनाएं ''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'', ''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'' और ''अटल पेंशन योजना समाज'' शुरू की हैं, जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएंगी।

सरकार वर्ष 2022 तक सबको आवास प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। 25 जून, 2015 को प्रांरभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिक रूप से स्लम निवासियों, शहरी गरीबों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 2 करोड़ घर बनाने की योजना है। इस मिशन में आगामी 5 वर्षों में सभी 4041 शहरों को शामिल किया जायेगा। इस मिशन के तहत पहले वर्ष में

[*] Speech was laid on the Table.

ही 27 राज्यों के 2011 शहरों को शामिल किया गया है। चौबीस हज़ार छः सौ करोड़ रूपए की लागत से चार लाख पच्चीस हज़ार से अधिक घरों के लिए मंजूरी दी गई है।

किसी भी राष्ट्र का विकास बहुत हद तक वहां की युवा शक्ति पर आधारित होता है। आज हमारा देश विश्व का एक ऐसा देश है, जहां युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। किंतु, पिछली सरकार में युवाओं के विकास एवं उनके लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराने पर गंभीरता से धन नहीं दिया गया। जिसके कारण युवाओं की बेरोजगारी भी पिछली यू.पी.ए. की सरकार की प्रमुख समस्या थी। वैसे बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराने की बात एवं देश की आबादी के बड़े हिस्से को ''मेक इन इंडिया'', ''स्टार्ट अप इंडिया'' एवं ''स्किल इंडिया'' स्कीम के उद्देश्य से और अत्यधिक हुनरमंद बनाने की बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है। स्किल इंडिया मिशन में तेजी आ चुकी है और इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

देश में संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को सर्वसुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी राष्ट्रपति जी ने इस सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है तथा ''शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत'' के निर्माण की बात की है। स्वच्छ भारत की भावना इस बात में परिलक्षित होती है कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं के लिए चार लाख सत्रह हजार शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। ''स्वच्छ भारत मिशन'' एक सामुदायिक अभियान का रूप ले चुका है।

इसके अलावा, राष्ट्रपति जी ने मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली, सोशल मीडिया, आर्थिक नीति, कृषि-रेल नेटवर्क, हाई स्पीड ट्रेन, नमामि गंगे, जल क्रांति अभियान, जलमार्गों, स्वच्छ ईंधन, सुगम्य भारत अभियान, पर्यटन, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि विषयों पर सरकार की आगामी नीतियों का उल्लेख किया है, जो कि अपने आप में संतुलित है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की आगामी नीतियों द्वारा देश की प्रत्येक जनता के विकास पर ध्यान दिया है। इस अभिभाषण से देश का हर वर्ग आशान्वित है।

***SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE):** On behalf of all Indians, I would firstly take this opportunity to extend my gratitude to the Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee, for clearly outlining the Government' vision for India through the President's Address delivered to the Joint Sitting of Two Houses of Parliament.

The Address reminded the elected representatives in Parliament, the Members of Parliament of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, about the "trust reposed in us by your fellow citizens, about how "our Parliament reflects the supreme will of the people" and expressed confidence that "we will all be partners in the progress and development of our great country".

It called for "debate and discussion, and not disruption or obstruction" and I firmly believe that the power of constructive debate is the fuel powering India forward, and is, in effect, necessary for our democratic evolution. I take this opportunity to urge the Government to reach out to the Opposition for the smooth functioning of the Parliament, and for the Opposition to understand how India has always marched ahead on the back of constructive debate and never through destructive disruption.

The Address rightly points out how "being a member of this great institution bestows great honour as well as important responsibilities". However, the fact that the Government too has to consistently live up to its responsibilities should have been reiterated. The Government has failed to adequately protect the right to freedom of speech and expression (a Fundamental Right provided by the Constitution), has not succeeded in the endeavor of ensuring adequate protection to marginalized sections of society, who continue to be the victims of ruthless and condemnable violence, and has not made significant efforts to instill an assurance of safety in Indians of all faiths.

---

* Speech was laid on the Table

The Address pointed out how the Government is focused on "Garibon ki Unnati"(Poverty Eradication), "Kisano ki Samriddhi"(Farmer's Prosperity) and "Yuvaon ko Rojgaar"(Massive Employment Generation). While targeted interventions to uplift the poor, to ensure farmers' livelihoods, and to provide jobs to the youth are indeed commendable, it is important to mention how the Government has not been particularly effective in these respects. The Government has not laid out a clear time-bound action plan in relation to how to address farmers' suicides - all over India, due to deficient monsoons, inadequate market linkages, debt traps and sub-optimal Government support, our farmers continue to take their lives, and I urge the Government to recognize the urgency of ensuring adequate support for agriculture and I earnestly hope that the upcoming General Budget shall address the plight of our farmers. Poverty eradication requires a multi-dimensional approach - more jobs, an increase in agricultural productivity, Government support for the homeless, and access to formal credit markets (While the 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana' is a commendable initiative, the Government should monitor the operational effectiveness of the bank accounts opened under the Scheme and devise steps to encourage greater access to credit for the poor); "Massive employment generation", a stated goal for the Government, is yet to be realized, and the Government should devise mechanisms to monitor the effectiveness of existing Skill Development programs ("What percentage of trainees secure jobs?" and "are the skill imparted demand-driven?" are significantly important questions to be considered by the Government).

The Address mentioned how the Government has taken steps for strengthening agricultural higher education by setting up 109 new KVKs and 3 new Agricultural Technology Application Research Institutes. In this regard, I would like to bring to the Government's attention the potential for agricultural development in my Lok Sabha Constituency, Balasore (Odisha). Approximately, 90% of Balasore population resides in rural areas and a majority of the rural populace is engaged in agriculture - Despite Balasore being well connected by

National and State Highways, having a well-functioning law and order system and being highly congenial for industrial growth, its per capita income is just Rs. 19,268, which is well below Odisha' average of Rs. 28,834. Though Balasore houses around 3,900 small-scale units, its economy depends primarily on agriculture, and it has the highest number of cultivators (2.89 lakhs) for any district in Odisha. This indicates immense potential for the development for food processing and agro-based industries in the region. I would, therefore, in tandem with the Government's stated objective of "Kisaano ki Samriddhi", urge the Government to establish an Agricultural Technology Application Research Institute, a Mega Food Park, and projects under the Cold Chain Scheme in Balasore. I would also like to take this opportunity to reiterate my request to the Government in relation to extending the Chennai-Vizag industrial corridor to Odisha, particularly to Balasore.

A commendable step forward by the Government in the direction of rural development has been recently launched 'Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission', which envisages creation of 300 rural growth clusters for local entrepreneurship, skills training and infrastructure provision. As mentioned earlier, approximately 90% of Balasore's population resides in rural areas and that Balasore's per-capita income is lower than the national average, that it is well-connected by State and National Highways, and that its geography is extremely well-suited for economic activity (it is situated between Bhubaneshwar and Kolkata) indicates how the Mission can have significant impact on rural livelihoods in Balasore. In that respect, I would request the Government and the Ministry of Rural Development to allocate 3 clusters under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission to Balasore to facilitate the overall development of the region by creating job-creators and by uplifting the poor. Relatedly, I urge the Government to set up rural livelihood and technology business incubators in Balasore to boost entrepreneurship in the agricultural and rural sectors.

To promote entrepreneurship, the Government recently launched the Start Up India Mission, and I would urge the Government to recognize the potential Odisha reflects in relation to first-generation entrepreneurs. With respect to last year, the State has performed significantly better in setting up businesses, allotments of land and obtaining construction permits, complying with environment procedure, tax procedures and carrying our inspections, as reflected in the recent World Bank report on the Ease of Doing Business in India. Hon'ble Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, has consistently reiterated his commitment to ensuring an environment conducive to investments and the actions of his Government in this respect have been recognized the world over, with Odisha proving to be the most sought-after State in the recently concluded Make in India Week in Mumbai, Maharashtra. That the capital of Odisha Bhubaneshwar, houses some of India's most acclaimed engineering and management institutes indicates its potential in relation to "Startups" - I request the Government to consider setting up start-up incubators in Odisha and to formalize support for budding entrepreneurs in Odisha through the Start Up Mission.

In relation to the Pradhan Mantri Mudra Yojana, I would urge the Government to set district-specific targets and hold Banks accountable for performance under the Scheme - the Scheme, if fully utilized, can, by providing access to fair finance, spur entrepreneurship and job creation at large scale. Also, the Government should ensure that credit camps are held in every district at regular intervals - While the existence of the Scheme is in itself commendable, last-mile awareness drives assumes great significance and are equally important.

With respect to the Government's Sagarmala project, aimed at the modernization of our ports and islands, I would like to reiterate my request to the Government to declare Baliapal Port in Balasore as a coastal economic zone.

With guidelines in relation to the protection of Good Samaritans from harassment in road accident cases is commendable, the Government needs to make efforts to enact a comprehensive Roads Safety legislation - In the last decade

alone, India lost 1.2 million people to preventable road accidents. Another 5.3 million are disabled and disfigured for life. Every hour, 16 lives are lost due to road crashes in India - the highest in the world, even superseding China. The Supreme Court of India called the problem of road accidents in India a National Emergency, and it is imperative that the Government addresses the systemic challenges plaguing the road transport sector and ensure road safety for our people.

The Address states that the focus of the Government in relation to space shall be on completing the constellation of the Indian navigational satellites in 2016 to cater to indigenous and location-based services. I would urge the Government to also include as one of its primary objectives the enactment of a National Space Law to protect India's Sovereign, commercial and public interests.

The Address mentions the Government's commitment to ensuring that economic development and environmental protection coexist. In that relation, I would like to draw the Government's attention to the Paradip Port region in Odisha, whose inhabitants are suffering from serious diseases as a result of the pollutants emitted from surrounding industrial units. Again, due to the absence of a modern medical care establishment, many have lost their lives as a result of industrial accidents. Hospitals in the area are simply not equipped with sound infrastructure. In this regard, I would request the Government to urgently set up a Super-Specialty Hospital in my constituency (Balasore, Odisha). I would like to reiterate my request to the Government in relation to renovating the British-era East Coast Canal, passing through my constituency, Balasore.

The significance of learning outcomes in education has not been emphasised in the Address - as far as focusing on outcomes in education is concerned, the Government should regularly carry out qualitative assessments through a country-wide policy (suitably catering to different regions).

I am of the firm opinion that the above points, if addressed adequately, can bring about significant progressive changes in India's social and economic landscape, and would, once again, like to thank the Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee, for guiding parliamentarians towards the noblest goals: serving the people of India to the best of their abilities.

[*]SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): The budget session of the Parliament is one major session where the entire eyes of the nation are set onto. Right from the Members of governing dispensation to all the Members of Parliament, from the corporate honchos to the ordinary entrepreneurs, from the normal salaried middle class to our less fortunate people and last but not the least both the print and visual media eagerly look forward to what is in store for them in the upcoming budget.

As one knows, the budget session of the Parliament begins with the President's address which is normally a report sheet of the Government's achievements in the past one year and this year the exercise did not differ.

The President's speech began with mention that the Government was committed to 'Garibon ki Unnati', Kisano Ki Samridhi' and Yuvaon ka Rojgar'. However a closer look at the data reveals that not all is well with our economy. For 'Garibon Ki Unnati' to actually happen at the ground level, the inflation has to come down. However, inflation which acts in a more cruel form than taxation takes away the precious earnings of the poor and leaves very little by way of savings. Inflation hit a 17-month high, rising 5.69% year-on-year in January 2016 from 5.41% in November 2015 with especially food prices escalating by 6.85%.

A closer look at the operational guidelines of the much touted Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana reveals that it falls way short of recommendations contained in Prof. M.S. Swaminathan's National Commission on Farmers Report of 2006 thereby taking the 'Kisano ki Samridhi' for a toss.

Despite the best and pro-active efforts of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the scenario for employment at the basic grass root level for the youth has not changed. There are a host of Ministries

---

[*] Speech was laid on the Table

running their own Skill Development initiatives and sometimes working at cross purposes. This does not augur well for our nation and especially for our demographic dividend that we proudly trumpet about.

In spite of the best efforts in garnering publicity for the Make in India program since the government came to power, all the indices of industrial production in the country have fallen drastically. The index of Industrial Production for capital goods fell from 234.9 in May, 2015 to 190.7 in November, 2015. So is the case with basic goods, consumer durables, consumer non durables and Intermediate goods. If our nation has to move forward on a concrete footing in the longer run, we have to ensure that our country is not just another place where goods from all over the world are sourced, assembled and exported and the global economic decline has shown that an export led strategy for growth in this highly volatile world can prove disastrous to the country sometimes leading to serious consequences also. So in that regard, urgent steps are required to boost up domestic demand. This is clearly not happening.

No less a person than the RBI governor had publicly called for a review of the methodology adopted for arriving at the revised GDP numbers last year.

The President's speech also mentioned that the Government was ensuring that our Armed Forces will be equipped with the most capable and sophisticated armaments in the world. However, the Government should be seriously concerned that almost 50% of the funds allocated of the modernization of the armed forces have lapsed.

Apart from that, even though the President mentioned about Mission Indhradhanush to revitalize the Public Sector Banks, special attention needs to be given by the Government to crack the whip on the wilful defaulters as well as providing sufficient re-infusement of liquidity to conform to the Basel-3 Norms.

On the whole, I would like to thank the President for addressing our august House and enunciating the achievements of the government. I hope that the Government will fulfil its responsibilities to the common man and sincerely wish that it would be reflected in the budget too.

***श्री पी.पी. चौधरी (पाली) :** माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 23.02.2016 को अभिभाषण हुआ, परंपरानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए चर्चा होती है। इस चर्चा में सभी विषयों का समावेश जिन पर हमारी सरकार कार्य कर रही है, और करने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का सभी क्षेत्र में एक वर्ष के लिए एजेण्डे की घोषणा होती है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही ठहराया है। घरेलू वातावरण को निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने पर भी जोर दिया है।

फसलों की सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है। किसानों को अधिकतम बाज़ार मूल्य दिलाने के लिए 585 नियमित थोक बाज़ारों को एक साथ जोड़ने वाले एक साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्वदेशी उत्पादन और ऊर्जा के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई यूरिया नीति 2015 अधिसूचित भी की गई है। पूर्वी राज्यों की कृषि क्षमता का भरपूर उपयोग करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति लाने पर भी सरकार कार्य कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से निर्दिष्ट फूड पार्कों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, स्किल इंडिया आदि योजनाएं संचालित की गई है। विश्व बैंक की ''कारोबार करने में सुगमता'' (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) के मामले की नवीनतम रैंकिंग में भारत के स्थान में सुधार भी दर्ज हुआ है। विभिन्न बैंकों के माध्यम से ''प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना'' से 2.6 करोड़ लोगों को एक लाख करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। स्किल इंडिया मिशन अब तक 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कल दिये गये महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा का हो, विदेश नीति का हो, आधारभूत सुविधाओं का हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, किसानों की समस्या, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने या भारत निर्माण योजना का हो। इसके अतिरिक्त, इस अभिभाषण में मुख्यतः राष्ट्रीय सूर्य ऊर्जा मिशन, रेल संबंधी विभिन्न योजनाएं, भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान, विदेशों से काला धन वापस लाया जाना तथा आम आदमी को सुलभ न्याय दिलाने संबंधी योजनाओं आदि का समावेश महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया जा रहा है।

---

* Speech was laid on the Table.

इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा विकास दर की 9 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी। दलित, अल्पसंख्यक, किसानों व मजदूरों को विकास में पूर्ण भागीदारी प्राप्त होगी।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, देश आज सचमुच बहुत खुश है कि जिस प्रकार से हमारे सभी सदस्य सदन को चला रहे हैं और जिस तत्परता के साथ बहस हो रही है, पूरा देश देख रहा है। हम सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपको भी हम बधाई देते हैं कि कोरम नहीं रहते हुए भी आप चला रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : कोरम है। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up Private Members' Business.

15.30 hours

MOTION RE: 18TH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): I beg to move the following:-

> "That this House do agree with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th February, 2016."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th February, 2016."

The motion was adopted.

____

15.31 hours

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced
(i) Climate Change Bill, 2015*

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to set a target for the reduction of targeted greenhouse gas emissions; to establish a National Committee on Climate Change; to provide for carbon budgeting and carbon trading schemes and to encourage other such activities to reduce greenhouse gas emissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to set a target for the reduction of targeted greenhouse gas emissions; to establish a National Committee on Climate Change; to provide for carbon budgeting and carbon trading schemes and to encourage other such activities to reduce greenhouse gas emissions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

15.31 ½ hours

(ii) Special Financial Assistance to the State of Odisha Bill, 2015*

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Odisha for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people, welfare of agricultural labourers, assistance for relief and restoration of damaged infrastructure in the State due to recurrent natural calamities and for the development, exploitation and proper utilization of its resources.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Odisha for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people, welfare of agricultural labourers, assistance for relief and restoration of damaged infrastructure in the State due to recurrent natural calamities and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.32 hours

(iii) Disclosure of Lobbying Activities Bill, 2015*

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to set up an Authority for registration of lobbyists; to provide for disclosure of lobbying activities that influence legislative and executive decision making in order to increase transparency in governance and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to set up an Authority for registration of lobbyists; to provide for disclosure of lobbying activities that influence legislative and executive decision making in order to increase transparency in governance and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

<u>15.32 ½ hours</u>

(iv)Hospital Acquired Infections (Prevention, Control and Mandatory Reporting) Bill, 2015*

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a comprehensive inspection control policy and anti-microbial stewardship programme for hospitals and other healthcare facilities to prevent and control the incidents of hospital-acquired infections, mandatory reporting system for such infections and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for a comprehensive inspection control policy and anti-microbial stewardship programme for hospitals and other healthcare facilities to prevent and control the incidents of hospital-acquired infections, mandatory reporting system for such infections and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI PREM DAS RAI : I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 17 Shri Yogi Adityanath – not present. Item No. 18 Shri Yogi Adityanath – not present. Item No. 19 Shri Sushil Kumar Singh – not present. Item No. 20 Shri Jayadev Galla.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

<u>15.33 hours</u>

(v)Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Guntur) Bill, 2016*

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the Supreme court at Guntur.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the Supreme court at Guntur."

The motion was adopted.

SHRI JAYADEV GALLA: I introduce ** the Bill.

<u>15.33 ½ hours</u>

(vi) Constitution (Amendment) Bill, 2016*
(Amendment of article 12)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.
** Introduced with the recommendation of the President.

15.34 hours

(vii)Constitution (Amendment) Bill, 2016*

(Amendment of article 66)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

15.34 ½ hours

(viii) National Commission for Sugarcane Farmers Bill, 2015*

SHRI RAJESH PANDEY (KUSHINAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Commission for Sugarcane Farmers and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Commission for Sugarcane Farmers and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI RAJESH PANDEY: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

15.35 hours

(ix)Population Control Bill, 2015*

SHRI RAJESH PANDEY (KUSHINAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to control the growth of population in the country and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to control the growth of population in the country and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI RAJESH PANDEY: I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.25, Shri Harish Chandra Meena – Not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

<u>15.35 ½ hours</u>

(x)Special Financial Assistance for Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains in the State of Rajasthan Bill, 2015[*]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य में स्थित कई पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के उत्खनन सहित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की मरम्मत, नवीकरण और परिरक्षण की लागत को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Rajasthan to meet the costs of repairs, renovations and preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains including excavation of new archaeological sites and remains situated in the State of Rajasthan."

The motion was adopted.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित[**] भी करता हूं।

<u>15.36 hours</u>

(xi) Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Thiruvananthapuram) Bill, 2016[*]

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of permanent Bench at Thiruvananthapuram.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of permanent Bench at Thiruvananthapuram."

The motion was adopted.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): I introduce** the Bill.

---

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

[**] Introduced with the recommendation of the President.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.28, Shri Pralhad Venkatesh Joshi – Not present.

Item No.29, Shri Pralhad Venkatesh Joshi – Not present.

Item No.30, Shri Pralhad Venkatesh Joshi – Not present.

15.37 hours

(xii) Sikh Marriage Bill, 2016*

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend and codify the law relating to marriage among Sikhs.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend and codify the law relating to marriage among Sikhs."

The motion was adopted.

SHRI DHARAM VIRA GANDHI: I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.32, Shri Rajeev Satav—Not present.

15.38 hours

(xiii)Nationalisation of Inter-State Rivers Bill, 2016*

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों के बीच नदियों के साम्यपूर्ण जल वितरण के प्रयोजन के लिए अन्तरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for nationalization of inter-State rivers for the purpose of equitable distribution of river water amongst the States and for matters connected therewith or incidental thereto."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

The motion was adopted.

श्री कीर्ति आज़ाद: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूं।

15.39 hours

(xiv)Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Bill, 2016*

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसंहार अपराध का निवारण करने तथा दंड देने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide to establish a mechanism for prevention and punishment for the crime of genocide and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री कीर्ति आज़ाद: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूं।

15.40 hours

(xv) Euryale Ferox Nut Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2016*

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मखाना उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य का संदाय करने, मखाना की फसल का निःशुल्क बीमा करने और मखाना उत्पादकों के समग्र कल्याण तथा उससे संस्कत विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of remunerative price to euryale ferox nut growers, insurance of

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

euryale ferox nut crop free of cost and for overall welfare of euryale ferox nut growers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री कीर्ति आज़ाद: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Kirit Somaiya – Not present.

Shri Rabindra Kumar Jena.

15.41 hours

(xvi)Representation of the People (Amendment) Bill, 2016*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

15.41 ½ hours

(xvi) Victims of Accident (Equal Compensation) Bill, 2016*

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार द्वारा दुर्घटनाओं में प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए समान प्रतिकर और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for equal compensation to victims of accidents by the Government and for matter connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

15.42 hours

(xviii) Homeless Pavement Dwellers (Welfare) Bill, 2016*

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि महानगरों और अन्य शहरी क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान में सड़कों की पटरियों पर पुलों, उपरि-पार पथों के नीचे, बस पड़ावों, रेल यार्डों, बगीचों में या खुले आसमान के नीचे रह रहे बेघर नागरिकों के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों तथा तत्संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare measures to be undertaken by the State for the homeless citizens living on the pavements of roads, under the bridges, flyovers, bus stops, railway yards, in parks or under the open sky in any public place in the Metropolitan cities and other urban areas, and for matters connected therewith or incidental thereto."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

15.43 hours

(xix)Special Financial Assistance to the State of Maharashtra Bill, 2016*

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों और कृषि श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने, अवसंरचना और पिछड़े जिलों के विकास, इसके संसाधनों के दोहन और उचित उपयोग के प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र राज्य को विशेष वित्तीय सहायता और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Maharashtra for the purposes of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Sections of the people and agricultural labourers, development of infrastructure and backward districts, exploitation and proper utilisation of its resources and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

<u>15.43 ½ hours</u>

(xx)Constitution (Amendment) Bill, 2016*
(Insertion of new part IVB)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 26.02.2016.

15.44 hours

PRIVATE MEMBERS' BILL -Under Consideration

(i)Compulsory Voting Bill, 2014 – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 42 – Further consideration of the following motion moved by Shri Janardan Singh 'Sigriwal' on the 13th March, 2015, namely:-

> "That the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Shri Devendra Singh Bhole

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुनः एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर दिया, जो लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है। 'अनिवार्य मतदान की आवश्यकता' जैसे महत्वपूर्ण बिल पर अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भारत के देशभक्त और जागरूक नागरिकों के लिए यह देश ज़मीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि मन्दिर है और इसको चलाने वाली मतदान आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था उनका धर्म है।

महोदय, जिस तरह धर्म को थोपा नहीं जाता, बल्कि संस्कारों के जरिए वह व्यक्ति के जीवन का अभिन्न, अविभाज्य और अनिवार्य अंग बन जाता है, उसी तरह मतदान को हमें देश का राजनीतिक संस्कार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि मतदान जिससे आम आदमी के भाग्य और भविष्य का सीधा सरोकार है उसके प्रति चेतना का इतना अभाव आखिर क्यों है? आखिर क्या वजह है कि हर चुनाव के बाद निर्वाचित सरकारों और जन प्रतिनिधियों को पूरे पांच साल कोसते रहने वाले लोग मतदान के दिन पांच मिनट के लिए पोलिंग बूथों तक जाने की जहमत भी नहीं उठाते? सोचना यह है कि आजादी के बाद ऐसे लोगों को प्रखर चेतना, चैतन्य और उत्तरदायी बनाने के लिए आखिर हमने क्या किया?

यह संतोष का विषय है कि अब चुनावों से काफी पहले निर्वाचन आयोग, स्वयं सेवी संस्थाओं और मीडिया समूहों की ओर से वोटर जागरूकता के अभियान चलाये जाते हैं। इन अभियानों के साथ-साथ शिक्षा के प्रचार-प्रसार से भी मतदान के प्रति लोगों, खासकर नई पीढ़ी के लोगों का रूझान बढ़ा है। लेकिन तथ्य यह भी है कि चुनाव आयोग के द्वारा अरबों रूपए खर्च किए जाने के बावजूद कमोवेश आधे या उससे कम लोग मतदान करने नहीं जाते, जो बहुत विचारणीय प्रश्न है। यहां उल्लेखनीय यह है कि करीब 10 करोड़ से

शुरू हुआ निर्वाचन आयोग का खर्च आज 1200 करोड़ तक जा पहुंचा है। आज निर्वाचन आयोग प्रति वोटर करीब 33 रूपए खर्च कर रहा है, इसके बावजूद अगर आधे लोग मतदान में भाग लेते हैं तो यह खर्च दो गुना अपने आप हो जाता है।

महोदय, दुनिया में करीब 32 ऐसे देश हैं, जिन्होंने अपने यहां अनिवार्य मतदान की व्यवस्था कानून बनाकर लागू की। ऐसे कानून 1892 से लेकर 1904 तक बनाये जाते रहे। ये देश आबादी में भले ही छोटे हों, लेकिन अनिवार्य वोटिंग के कानून ने वहां के मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, इटली, फ्रांस और आस्ट्रिया जैसे देश भारत की भांति स्वैच्छिक मतदान की प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं। हमें सम्यक रूप से दोनों व्यवस्थाओं के गुण दोष के आधार पर विचार कर ऐसा मध्य मार्ग तलाशना चाहिए, जिससे मतदान कानूनी डंडे से नहीं, बल्कि आत्मप्रेरणा और संस्कार से बाध्यकारी बने।

महोदय, मेरा मानना है कि जो लोग वोट नहीं देते हैं, उनकी संख्या मात्र 40 से 45 प्रतिशत ही है। वे लोग वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं। इसे हमें समझाना है, उन्हें बताना है कि इसके साथ देश का ही नहीं, उनका अपना भविष्य भी जुड़ा है और यह बहुत ही जरूरी है। अगर हम सचमुच मतदान के जरिए सहभागिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें मतदान के प्रक्रियागत तौर-तरीकों पर भी गौर करने और उनमें आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन करने की आवश्यकता है।

महोदय, दिन पर दिन कारोबारी होते जा रहे देश के युवा और टेक्नोक्रेट भले ही देश प्रेम के जज्बे से भरे हों, राष्ट्रीय निर्णयों में सहभागिता की उनमें अदम्य इच्छा हो, लेकिन गर्मी, सदी, बरसात और लम्बी मतदाता कतारों में धैर्यपर्वूक खड़े रह पाना और कई बार मतदान केन्द्रों पर अशांति और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से दो चार हो पाना उनके लिए असहज ही नहीं, असंभव सा लगता है।

ऐसे में क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि निर्वाचन आयोग सूचना और संचार क्रांति के इस युग में बैलेट और ईवीएम को, ई-वोटिंग को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर लाये। इसके साथ ही निर्वाचन की अवधि को एक दिन या घंटों में बांधने के बजाए पखवाड़े या महीने भर के लिए उन्मुक्त रखी जाए, ताकि प्रशिक्षित और कारोबारी मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार सुविचारित तरीके से अपना मतदान कर सकें।

महोदय, मेरा मानना है कि जन चेतना के अभियानों को और घनीभूत, नियमित और निरन्तर बनाते हुए अगर प्रक्रिया की सहूलियतें बढ़ा दी जाएं तो देश का भविष्य बनाने ओर संवारने को उत्सुक युवा पीढ़ी खुद-ब-खुद मतदान प्रतिशत को अपेक्षाओं से ऊपर ले जाकर लोकतंत्र की मजबूती के प्रतिमान गढ़ देगी

और फिर शायद अनिवार्य मतदान का कानून बनाने की आवश्यकता ही महसूस न हो, जबकि यह आवश्यक है। जिस समय हम परतंत्र थे, इस देश में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज लोकतंत्र में प्रजातंत्र का राजा मतपेटी से पैदा होता है। इसलिए यह जो महत्वपूर्ण लोकतंत्र का मंदिर है, इसके मार्फत, इसके मध्य आप सबके बीच मैं कहना चाहूंगा कि मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए जो भी उचित व्यवस्था हो, उसे हम सबको मिलकर करना चाहिए, धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Compulsory Voting Bill, 2014 moved by Shri Janardan Singh Sigriwal.

In his interest to make our democracy more effective, he has brought this Bill where non-voting may entitle a fine of Rs. 500; or two day's imprisonment; or forfeiture of ration card; be rendered ineligible for contesting any election; be ineligible for allotment of a plot or a house in a Government-owned organization; be ineligible to get loan; be ineligible for entitlement to any welfare scheme; and if the person is an employee of the Government, then he will be punished with forfeiture of ten days' salary and delay in promotion for two years.

Our hon. Member has tried to make democracy more effective by imposing coercive steps on the voter. At the outset, let me state that I am totally opposed to the Bill. This Bill goes against the basic spirit of democracy and I do not know wherefrom he has got this idea. I am told that in Gujarat some sort of compulsory voting was tried in Panchayat elections and it has not succeeded. I am surprised that this law has been brought in the Parliament.

Now, of course, for some of my facts, I am grateful to Shri D.V. Sadananda Gowda, the Law Minister. He will ultimately have to reply to the Bill, and I am sure that he has got all this material. Some of my material I have got from him. The Member has said in the Statement of Objects and Reasons that :

> "… it has been seen that only about 50 per cent of the eligible voters exercise their right to vote. During all the elections in the country, it has been observed that the number of actual voters is far below the number of eligible voters. Therefore, voting is very low. …

He states that the low voting percentage is becoming worse with every elections and voting is, therefore, made compulsory. It further states that :

> "… The Bill seeks to make voting compulsory for all the electors subject to certain restrictions so that the voting percentage in the country is increased. However, the citizens who are either physically incapacitated or have *bona fide* reasons have been given exemption under the Act…"

Now, our right to vote is given according to our Constitution. The biggest gift of the Constitution drafted by luminaries such as Pandit Jawaharlal Nehru, Shri Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad and, of course, Dr. B. R. Ambedkar, who was the Law Minister under Pandit Nehru's Government and who was also the Chairman of the Drafting Committee of the Constitution framed this Constitution. The basic principle is 'one man one vote'. The President of India will have one vote and the poorest *Harijan* will have one vote. This is the strength of our democracy and it has been seen that though many people in the country may be illiterate, our voters have always voted with their feel and they have shown that they have overthrown powerful leaders in the country. They overthrew Shrimati Indiraji in 1977 and they brought her back in 1980. They have proved that throughout the country, in spite of all the divisions of caste, creed and religion that we have, it is possible to have a uniform view.

Now, what we have to understand is that this voting is basically a right that is given to people. Now, it is up to people whether to exercise that right or not. Article 19 (1) of the Constitution guarantees freedom of speech and expression. If somebody says, "I am not going to vote because I do not believe in this system", then that person also has a right to exist. In fact, in our country, though these days 'sedition' is being used rather injudiciously, I think that even somebody who does not believe in the unity of India has a right to express himself. We may not agree; the majority may not agree.

You remember, Sir, in Tamil Nadu, when DMK was formed originally, Annadurai Ji designed a flag for Dravidistan showing Tamil Nadu in a different colour. Nobody charged him with sedition.

HON. DEPUTY-SPEAKER: In 1962, when he spoke in Rajya Sabha about what you said just now, at that time, the Constitution has not barred any talk about separation. Afterwards, in 1963, the Constitution was changed whereby nobody can disintegrate India. That change is there. So, you cannot quote Annadurai and say that he said this at that time. That is a different issue.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, Annadurai was a great leader and he was the man who overthrew 20 years of Congress monopoly in Tamil Nadu and came to power in 1967. He was a revered disciple of Periyar Ramasamy Naicker, but later he left Periyar on the ground of Periyar's marriage and formed his own DMK Party. That Dravidian style of politics is still dominating in Tamil Nadu even today. The present Government in Tamil Nadu follows that. All I am trying to say is that Annadurai also had this thought that there should be a separate Dravidistan. Jawaharlal Nehru was alive at that time, but no sedition case was brought against him. This is the strength of the Indian democracy.

Sir, over the last 68 years, we have had peace accords with fissiparous forces and secessionist forces in this country. The Government of India signed an accord with Akalis in Punjab, some of whom were demanding Khalistan. We signed an accord with Nagas, who wanted a separate Naga country. We signed an accord with Mizos where Laldenga had declared an independent Mizoram. We had signed an accord with Tripura rebels and also with Bodoland people. In our country, even in Tripura, where my friend comes from, the Communist Party, at one time, wanted a separate country for the tribals. In fact, they had even supported Gorkhaland in Bengal at one time. That was their view. They wanted that no Bengali Hindu should come into the tribal areas, and the Communist Party of India (Marxists) led that agitation in Tripura.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): That is not correct, Sir.

PROF. SAUGATA ROY : You may please clarify, but what I am saying is that all these forces have been integrated into the Union of India. Democracy is the strongest weapon. … (*Interruptions*)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा नहीं लगाया।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : इंडिया अगर इतना कमजोर हो गया कि कुछ बच्चों के एक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिन्दाबाद करने से मुल्क टूट जाएगा और उसे सैडिशन चार्ज लगाना है, this is ham-handed handling and foolish thinking of the ruling Party that is landing them in trouble everywhere. That is why you are not being able to control the Jat agitation in Haryana for the last few days where hundreds of crores of property have been destroyed.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : यह हरियाणा थोड़ी है। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : हरियाणा जल रहा है। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। बहुत खराब हालत है।…(व्यवधान) आप मध्य प्रदेश से हैं। आप जरा हरियाणा के बारे में देखिए।…(व्यवधान) वहां महिलाओं की इज्जत जा रही है।…(व्यवधान) वहां आपकी सरकार है। आपको कुछ करना चाहिए।…(व्यवधान) Sir, my BJP friends are getting excited by what I am saying, but that is not my intention.

<u>16.00 hours</u>

…(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what Prof. Saugata Roy speaks.

… (*Interruptions*)… *

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you address the Chair.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: But, Shri Bidhuriji and Shri Gajendra Singh Shekhawatji are all hon. Members. Shri Gajendra Singh Shekhawatji is related to the former Vice President. When they say something, I must listen to them with

* Not recorded.

care. … (*Interruptions*) बिधुड़ी जी अभी आप चुप हो जाइए, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे बोलने दीजिए।

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): He is talking about Rohtak. What if, people in Cooch Behar ask for a separate State? What will he do then? Is this a platform to bring that topic?… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: No, it is a very serious topic. Democracy is being threatened. … (*Interruptions*)

SHRI KIRTI AZAD : Should I tell him about the kind of arson that has taken place in Cooch Behar?… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: It is a serious matter. I am concerned. Before I come to the subject proper, I will tell you my own experience. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You just come to the subject.

PROF. SAUGATA ROY: I was a student leader of the Congress in the 1960s. In the college where I studied was Presidency College which was supposed to be the centre of the Naxalites at that time. I told them that they would never have an agrarian revolution and they would never create a classless society, dictatorship of the Proletariat in India. I will stand by my principles. They beat me up; they subjected me to life threat. But I did not budge. I told them that one day they would change their views. Most of these Naxalites boys later became Government officers, LIC officers and big officers. Students have this fascination for extremist ideology. But they leave the college and university, they become normal citizens. I sometimes meet those who were saying that China's Chairman is our Chairman. It was also an anti-national slogan which we had opposed. But those people changed their views. Democracy should not be so brittle. India should not be so brittle.

<u>16.03 hours</u> (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

कुछ बच्चे स्लोगन उठाएं और उसे लेकर केन्द्र सरकार उस पर टूट पड़े, इसे अंग्रेजी में कहते हैं Ham-handed handling of a situation. छोटी सी सिच्यूएशन को बढ़ा देते हैं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : इस विषय पर बहस नहीं है, इन्हें बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : प्रह्लाद पटेल जी, मैं इस बात को लेकर क्यों आया …(व्यवधान) क्योंकि मैं लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहा था। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : बिधुड़ी जी, आप बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए, इन्हें विषय पर लाने के लिए हम बैठे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय के सिवा कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : 10 बच्चों को बोलने से कुछ नहीं होता।

माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप भी विषय पर आइए।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं चेयरमैन के साथ छठी लोक सभा में था अभी तीन-चार सदस्य ही यहां बचे हुए हैं। उसमें मैं और चेयरमैन साहब हैं। आप जानते हैं कि उस समय लालू यादव और राम विलास पासवान थे, आडवाणी जी भी उस समय नहीं थे राज्य सभा में थे। हम बहुत दूर तक एक साथ चलकर आये हैं। आपको धीरज है, आपने सब कुछ देखा है। अभी भी पुराने सोशलिस्ट हैं, जो टॉवल पहनते हैं। आप समझेंगे।

बिधूड़ी जी, मैं एक ही बात ही कहना चाहता हूं कि मेरी उम्र ज्यादा है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप विधूड़ी जी को मत कहिए।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विधूड़ी जी को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में धीरज सबसे बड़ी बात है। आपकी नाराजगी अच्छी बात नहीं है। बीजेपी दिल्ली में लोक सभा की सातों सीटें जीतीं, लेकिन विधान सभा के चुनाव में केवल तीन सीटें मिलीं, क्योंकि बिधूड़ी जैसे लोग अचानक नाराज हो जाते हैं, इसलिए जनता आप पर नाराज हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अब अपने विषय पर आयें।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I will come back to the main point. After having given my thesis on democracy, let me come back to the main point which is, I am opposed to this compulsory voting and this fine and everything imposed on us.

Sir, I told you that I have got some of my facts from hon. Law Minister Sadananda Gowda. I found out a comment by the Law Commission. The Law Commission does not recommend compulsory voting. The Law Commission is the highest law body of the country. It says that it will not work in a vast country like India.

यह पहली बार नहीं है कि कम्प्लसरी वोटिंग का सवाल हाउस में आया। इससे पहले भी श्री बी.एस. रावत एक मैम्बर थे, जो वर्ष 2004 में ऐसा एक विधेयक लाये थे। श्री जे.पी. अग्रवाल कांग्रेस के मैम्बर थे, जो इस बार हार गये। वे भी वर्ष 2009 में ऐसा एक विधेयक लाये थे। उन दोनों समय पार्लियामैंट ने उस विधेयक को रिजैक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे देश की आबादी 125 करोड है और 80 करोड के लगभग हमारा इलेक्टोरेट है। शायद उसमें से 10 करोड़ या 20 करोड़ लोगो ने भी वोट नहीं दिया। यदि आप उन पर 500 रुपये का फाइन इम्पोज करेंगे, तो उस फाइन को कलैक्ट करना कितना मुश्किल होगा, इसे आप समझिए। क्या यह सारे मुल्क में हलचल नहीं पैदा कर देगा? इसलिए हमें इन सब में नहीं जाना चाहिए। अमेरिका में प्रेंजिडेंशियल इलैक्शन को लेकर हम अखबार, टीवी में काफी कुछ देखते हैं। शायद आपको पता होगा कि अमेरिका में केवल 45-46 परसेंट ही वोटिंग होती है। हिन्दुस्तान में जब मोदी जी की हवा उठी, अभी गिर गयी, ...(व्यवधान) उस समय भी 60-70 परसेंट लोगों ने वोट दिया था। ...(व्यवधान) हम बंगाल में स्वाइप करेंगे। ...(व्यवधान) कोई भी नहीं रहेगा। हम दूसरी पार्टियों पर झाडू से स्वाइप कर देंगे। ...(व्यवधान) आप बंगाल के बारे में मत सोचिए। ...(व्यवधान) आप उसे छोड़कर बाकी हिन्दुस्तान की बात कीजिए। ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि यह इम्प्रैक्टिकल है। इतने बड़े मुल्क में आप इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। हम सारी दुनिया में कहते हैं कि सीम्लैस डिलीवरी। बहुत लोगों का कहना है कि रास्ते में जो टोल टैक्स देना पड़ता है, उसे अबालिश करना चाहिए। आप स्मार्ट कार्ड दे दीजिए, ताकि लोग ट्रैवल कर सकें। अगर आप एक बड़ी प्रॉब्लम सरकार पर लादेंगे, तो क्या सरकार उसे इम्प्लीमैंट कर पायेगी? Election Commission can send a list of names of those who have not voted. लेकिन इलैक्शन कमीशन का अपना स्टाफ बहुत कम है। वह स्टेट गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट के इम्प्लायज से काम करते हैं। इलैक्शन कमीशन इसे इम्प्लीमैंट नहीं कर पायेगा। वैसे भी हमारे वोटर लिस्ट तैयार करने में कितनी गलतियां रह जाती हैं। उसमें बहुत सारे फॉल्स नेम रहते हैं, जिस कारण बहुत से लोग एलीमिनेट हो जाते

है। मैं आपको दो-चार उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में कम्प्लसरी वोटिंग नहीं है, लेकिन लोग आहिस्ता-आहिस्ता उसे छोड़ रहे हैं। Fiji abandoned compulsory voting in 2014. फिजी जहां भारतीय लोग रहते हैं, वह एक आईलैंड है।

Chile abandoned it in 2012; Austria in 2004. Many countries which still have a law like Egypt, Greece, Mexico, Paraguay and Thailand have stopped enforcing it. उसे लागू नहीं किया। The Netherlands abolished it in 1967. We know, The Netherlands is a small country but a developed country in Europe. They gave three reasons for abolishing it. They said that the right to vote was a right and it was up to a person whether he would exercise it or not. हमारा अधिकार है, लेकिन हम इस अधिकार को लागू करना चाहते हैं कि नहीं यह हम पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत देश है, पेरु में राशन कार्ड पर छाप देते हैं कि वोट नहीं देने से राशन नहीं मिलेगा। Thirdly, it would be better to ask the political parties to gather the voters to the polling booth. कुछ देशो में ऐसा है, फाइन तो कम है। मैंने जैसा कहा कि बहुत एडवांटेज दिए जाते हैं। You would not get a social security card; you would not get a ration card. पेरु, ब्राजील और बेल्जियम में स्ट्रिक्टली यह लॉ लागू किया है। लेकिन हमारे जैसे देश में, 125 करोड़ की आबादी वाले देश में यह नहीं चलेगा। यहां छोटी-मोटी चीज को लेकर कितनी गड़बड़ हो रही है। जाट रिजर्वेशन के मामले में पूरे हरियाणा में आग लग गई, आगज़नी हो गई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।...(व्यवधान) पटेल रिजर्वेशन को लेकर गुजरात में कितना आंदोलन हुआ। ...(व्यवधान) मालदा में एक भी आदमी नहीं मरा लेकिन हरियाणा में रोहतक में एक दिन की पुलिस फायरिंग में 11 लोग मर गए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप विषय पर बोलिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : हमारे मुल्क में और समस्या नहीं बढ़ानी चाहिए। ...(व्यवधान) पटेल जी कुछ कहना चाहते हैं। यह अच्छी बात बोलते हैं, मजदूर की बात बोलते हैं।

माननीय सभापति : आप कन्कलूड होने दीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मालदा में संसदीय समिति को जांच के लिए नहीं जाने दिया।...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : आप न मालदा के बारे में बालेंगे, न शारदा के बारे में बोलेंगे।

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं मालदा और शारदा के बारे में बोल सकता हूं।

माननीय सभापति : शांत रहिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मालदा में एक भी आदमी नहीं मरा, हां कम्युनली चार्ज्ड सिचुएशन हुई थी। मॉब में ज्यादा लोग मुसलमान थे, थाना जला दिया था, पुलिस की जीप जला दी थी। लेकिन सरकार ने इतनी सूझबूझ के साथ कदम उठाया कि पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ी। उस समय बीजेपी के लोगों ने सोचा कि यह हिंदू मुसलमान इश्यू है इसलिए उधर पहुंच जाएं लेकिन हम लोगों ने घुसने नहीं दिया।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप विषय को समाप्त करें।...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : राष्ट्र की संपत्ति को जला दिया गया।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी के अलावा कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)...*

माननीय सभापति : आप इस विषय को क्यों ला रहे हैं?

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : इसलिए बिधुड़ी के इलाके में इतनी बड़ी हार विधान सभा में हुई। यह नाराज हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों की बात सुनने का धीरज नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप विषय पर बोलिए और विषय को समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मालदा में कुछ नहीं हुआ, पूरी सिचुएशन काबू में है। कुछ लोग शारदा के बारे में पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि सीबीआई जांच करे। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इस विषय से इसका क्या संबंध है? आप इतने सीनियर सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, ये चिल्लाते हैं, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो कहेंगे कि मैंने मान लिया जबकि मैंने तो माना नहीं है। जवाब तो देना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

प्रो. सौगत राय : महोदय, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरट बोला। केज्ड पैरट पर सरकार कुछ भी कार्रवाई करे, हमारा क्या है। कोई रिस्पांसिबल आदमी उसके खिलाफ कदम उठाए, हमें क्या कहना है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)... *

प्रो. सौगत राय :हम तो किसी से मतभेद नहीं चाहते हैं। दिल्ली के एमएलए ....* ने जर्नलिस्ट को पीटा, उसे बिना अरैस्ट किए छोड़ दिया, यह सब नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)इस मुल्क में सहनशीलता चाहिए और सहनशीलता के अभाव के कारण बीजेपी नीचे जा रही है और आप यह अपनी सहनशीलता वापस लाइए। इसीलिए तो केजरीवाल की झाडू ने आप लोगों को दूर निकाल दिया।...(व्यवधान) धन्यवाद।

---

* Not recorded.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सांसद जनार्दन सीग्रीवाल जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक अनिवार्य मतदान विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से जब आदरणीय सौगत राय जी के बाद बोलने का मौका मिले तो उनके जैसे न हम लोग अनुभवी हैं और न हमने शोध किया है और न हम ज्ञानी हैं। लेकिन फिर भी जो बातें दिमाग में आती हैं, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिये और एक बात और कही कि पूरी चिन्ता कीजिए लेकिन बंगाल को छोड़ दीजिए।...(व्यवधान) यानी बंगाल को छोड़कर आप चिन्ता कीजिए और अनिवार्य मतदान के रास्ते से ही बंगाल का समाधान निकलता है, इसलिए उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं क्योंकि बंगाल में एक प्रक्रिया बूथ जाम करने की चलती है। वह बूथ कैपचरिंग नहीं, बूथ को साइलेंट रूप से लाइन लगाकर जाम कर दो और जब मतदान अनिवार्य हो जाएगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी, दुनिया जान जाएगी और आपने उदाहरण दिया कि जे.एन.यू. या किसी विश्वविद्यालय में कहीं कुछ हो रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, इग्नोर करो। अब पता नहीं, उनके जितना विद्वान तो हम हैं नहीं और न ही हमें जानकारी है। लेकिन अनेक लोगों ने बलात्कार जैसे मामले में भी इग्नोर करने की बात कही है। लेकिन अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियों को, तरीकों को अगर हम शुरु से ही प्रोत्साहन देते रहेंगे तो हम किस ओर जाएंगे? उन्होंने नक्सल आंदोलन के उन्मूलन की बात कही और वह एल.आई.सी. का अफसर बन गया। मेरे भी ध्यान में है कि सौगत दा पहले कांग्रेस में थे। सिद्धार्थ शंकर राय ने बंगाल के मुख्य मंत्री रहते हुए नक्सलवाद के आंदोलन को किस तरह से समाप्त किया या कुचल डाला, उसकी चर्चा आज अगर हम करें तो बड़ा खराब लगेगा।

इसलिए अनिवार्य मतदान उन सभी लोगों को नागवार गुजरेगा जो नहीं चाहते हैं। हां, दिनेश गोस्वामी समिति ने कभी यह रिपोर्ट दी थी कि अनिवार्य मतदान की संभावना नहीं है और उसी के तहत हमारे टी.एन.शेषन साहब ने भी कहा था कि व्यावहारिक नहीं है। लेकिन जब दुनिया में चिली और बाकी देशों का उन्होंने उदाहरण दे दिया कि वहां यह अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई लेकिन लगभग अभी भी दुनिया के 32 देशों में आज भी अनिवार्य मतदान लागू है और उसमें ब्राजील जैसा बड़ा देश भी है। हां, हमसे बड़ा देश चाइना है। लेकिन चाइना की वह पद्धति नहीं है। न उनका लोकतंत्र में विश्वास है, इसलिए वहां लागू नहीं होगा ।

इसलिए निश्चित रूप से अनिवार्य मतदान हमें लागू इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास पैदा करेंगे और भारत अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसने 1947 में आज़ादी के बाद ही 1950 में जब गणतंत्र बना तो हमने सबको समान मतदान का

अधिकार दिया। दुनिया के अनेकों देश हैं- इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश जिन्होंने क्रमिक रूप से अपने सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया यहां तक कि वहां महिलाओं को भी अधिकार बहुत बाद में मिला।

यहां तक कि वहां महिलाओं को मतदान का अधिकार बहुत बाद में मिला। जब हम अनिवार्य रूप से मतदान की बात करें तो यह डिमांड उठ सकती है कि राइट टू रिकॉल जो इमरजेंसी के अंदर जय प्रकाश जी और अन्य लोगों ने जो मूमेंट चलाया था, तो इस पर विचार किया जा सकता है। यह एक प्रक्रिया है, जिसकी तरफ भारत जैसे विशाल जनसंख्या के देश को बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक हम अनिवार्य मतदान के मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी राजनीति जो कास्ट, कैश, क्रीड, धर्म या क्षेत्रवाद के नाम पर होती है उससे हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हमें आज यह विचार करना होगा कि क्या कारण है कि हमारे यहां मतदान का प्रतिशत पचास प्रतिशत से भी कम होता है और हम सब जीत कर आते हैं। यह अच्छी बात है कि हम जीत कर आते हैं और अपनी पीठ थपथपा सकते हैं लेकिन अगर हम टोटल वोट की परसेंटेज काउंट करें तो उसकी बाध्यता देखेंगे कि परसेंटेज बहुत कम है। जो कुछ उदाहरण दिया जा रहा है चाहे इस देश में अलगाववाद की प्रक्रिया हो, चाहे देश में विभिन्न स्थानों पर चाहे हरियाणा और बाकी जगह का उदाहरण दिया, यह हमारी 19 महीने की सरकार के समय में नहीं हुआ है। अगर भारत की सरकारें भारत की लोकतंत्र की पद्धति को शुरू से ही मजबूत बनाने का काम करती और हर व्यक्ति की मतदान में सहभागिता होती तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि चुनी गई सरकार है, इसमें हमारी भूमिका है इसलिए हमें अपनी बात कहने के लिए किसी विरोध का या किसी तरह की हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है।

महोदय, आज हरियाणा के जलने की बात कही गई है लेकिन मालदा में पुलिस स्टेशन या पुलिस की गाड़ी जल जाती है तो यह छोटी-सी घटना है। इन छोटी-छोटी घटनाओं के आधार पर ही बड़ी घटनाएं होती हैं। हिंदुस्तान के नक्सलवाद और आतंक का कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में उसका सूत्र मिलता है। मैं निश्चित रूप से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कई साल से मतदान की आयु 18 वर्ष की है जिससे हमारे नवयुवकों में भी उत्साह जगा और देश के निर्माण की प्रक्रिया में वे जुड़े। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और सौगत राय जी ने टीका-टिप्पणी की है, मैं उन्हें सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया से जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का हम कहते रहे हैं, उसकी इससे पुष्टि होती है। जिस दिन अनिवार्य मतदान लागू होगा, उस दिन त्रिपुरा से कश्मीर तक अपने आप राष्ट्र एकरूपता के सांचे में बंध जाएगा और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज के हिसाब से सिर्फ सिद्धांत रूप में है, उसका व्यावहारिक रूप नज़र आएगा, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि भारत में आपको भी पता है कि कौन लोग वोट नहीं देते हैं। वोट देने का अधिकार

जब बैलेट से मतदान किया जाता था, तब भी यह कहा जाता था कि वोटिंग मशीन लागू नहीं होगी। यह ठीक है कि हमारी आबादी 125 करोड़ से ऊपर हो चुकी है लेकिन हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वे इसका रास्ता खोज सकती हैं और वे इसका समाधान खोज सकती हैं कि पूरे देश के हर व्यक्ति को किस तरह से वोटिंग का राइट दें। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वोट न देने पर किसी तरह की कड़ी सजा का प्रावधान नहीं रखना चाहिए लेकिन एक पाबंदी का स्वरूप होना चाहिए कि मतदान नहीं देने वालों के अधिकारों में कुछ कटौती करें, उनके बेनिफिट्स रोके जाएं लेकिन निश्चित रूप से सिग्रीवाल जी द्वारा जो अनिवार्य मतदान का विधेयक लाया गया है, जो पूर्व में भी लाया गया है मैं इसका समर्थन करते हुए पुरजोर अपील करता हूं कि यह विधेयक पास हो ताकि आने वाले भारत को हम पूरे विश्व में एक लोकतंत्र के सच्चे सेनानी के रूप में पुरःस्थापित कर सकें।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति जी, मैं हिंदी में अपनी बात कहना चाहूंगा। सिग्रीवाल जी द्वारा लाए गए बिल की मंशा का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि हर नागरिक की देश के निर्माण में भागीदारी होनी चाहिए। मतदान में जितना ज्यादा प्रतिशत होगा उतने ही जनता की देश की उन्नति में भागीदारी होगी। इस बिल में प्रावधान करने के लिए बहुत से सुझाव आए हैं।

हमारे देश में भी ऐसा एक उदाहरण हुआ करता है। मैं त्रिपुरा प्रदेश से आता हूँ। आप वहाँ के आंकड़े देखिए। ये आंकड़े लॉ मिनिस्टर के पास होंगे। हर चुनाव में चाहे लोक सभा चुनाव हो, विधान सभा का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर अभी-अभी 26 तारीख को एक चुनाव हुआ है, इसमें 93 पर्सेंट मतदान हुआ। वर्ष 2013 में जो विधान सभा का चुनाव हुआ, उसमें 94 पर्सेंट पूरे राज्य में मतदान का प्रतिशत रहा, not in a particular constituency. लेकिन किसी-किसी कंस्टीट्युएंसी में 96 पर्सेंट भी हुआ। यह कैसे हुआ? I think it is not required because there are examples in our country. I am talking of the whole State and not of one particular constituency. It is the common people, the general public, they must own the Government. They should be given the opportunity to participate in the process of planning, to participate in the process of implementation of any project. The Government should be answerable to the people. That is why today in our State of Tripura we have achieved 100 per cent literacy, the number one in the country. ऐसा महौल हम पूरे देश में बना सकते हैं, इसके लिए ऐसा कोई कोएर्सिव मेजर लेने की जरूरत नहीं है। मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा।

दूसरी बात, अभी-अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मतदान का कम पर्सेंटेज होने पर भी हम चुनकर आते हैं। वे आते होंगे। अभी मौजूदा सरकार का वोटिंग पर्सेंटेज केवल 31 प्रतिशत रहा। The percentage of vote that they got was 31 per cent. In the last 2014 Lok Sabha General Elections the BJP got 31 per cent. Majority of people did not vote for this party but the BJP has formed the Government because the system is like that. It is not wrong. If the system of proportionate representation can be introduced, if the hon. Law Minister can bring that kind of legislation, then muscle power, money power will be eliminated from the Indian voting system. What do we witness today? There is corruption everywhere but if this system can be introduced, then every such thing will come to an end. Though I support the spirit of the Bill, yet I

would like to suggest certain changes in the Bill. I cannot suggest in what shape it should be brought.

Thank you.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Chairperson, Sir, I appreciate the concern of my friend Shri Janardhan Singh `Sigriwal' for moving this Bill. For active participation in democracy certainly more percentage of voting is necessary. This will strengthen the democratic traditions in the country. But such participation should come spontaneously and voluntarily rather than by way of coercion or allurements. Voting right is a civil right rather than a civil duty. While citizens may exercise their civil rights, but they cannot be compelled to do so. On the other hand, compulsory voting may infringe upon the rights of the each individual and each voter. We are fully aware of the article 2 of the Universal Declaration of Human Rights. It guarantees the freedom of political opinion but should not be by coercion. It goes against the democratic principles. But the spirit contained the Bill brought forward by the hon. Member is appreciable because more percentage of voting in the elections will bring about a decision which will be a true reflection of the intention of the people which will give more strength to democracy.

This is not the first time that it is discussed in Parliament, as rightly said by Prof. Saugata Roy. This is not the first time that the issue of compulsory voting is being discussed in Parliament. But every time, be it in 2004 when the matter was raised by Shri B.S. Rawat or in 2009 raised by Shri Agarwal, the deliberations went on for such a lengthy period. Even this debate went on for ten hours.

Very good suggestions have come from various learned Members of Parliament. 53 Members have participated in the debate. Several viewpoints and suggestions have come up. If the Election Commission takes into consideration of all those suggestions, certainly the voting percentage will go up.

I have taken down all the points and I am certainly going to write to the Election Commission in the name of Shri Janardan Singh that these are the viewpoints of the Members of Parliament and also say that whichever suggestion will be possible to be implemented should be implemented but at the same time, compulsory voting or penalising them for not voting is against the democratic

principles. Of course, in the deliberations of 2004 and 2009, ultimately, the views that have been given by the Members of Parliament had been taken note of and had been referred to the Election Commission. Several viewpoints that have been made in the last debate have been taken care of Election Commission. That is how the percentage of voting is going up.

Today, in many parts of the country, we see that the voters are boycotting the elections *en bloc* for various reasons. It may be that they do not like the system or maybe the elected representative has not performed the duties upto the expectations of the voters. So, in various corners, we have seen people boycotting the elections *en bloc*. We cannot restrict those persons because right to vote also means right not to vote also. Under democratic principles, a man should be given freedom wherein if he does not feel that he should vote for a certain person or a certain party, it is his wish to decide whom to vote or not to vote. So, it should not be construed that in a democratic set up, right to vote means that he must vote. It is not like that. Right to vote means right not to vote also.

Even in earlier debate also, it was suggested that the voter should be motivated. They should feel that they should vote and it is their right. Only then proper election can be conducted under present circumstances. People should be motivated to rise to the occasion and should be made feel free to participate in the democratic process of elections and choose their representatives.

Of course, several Committees have been formed earlier like Tarkunde Committee and Dinesh Goswami Committee. Even the political parties have held a meeting on 22nd May, 1998. All political parties participated. The matter was referred to the Law Commission and the Law Commission in its 225th Report has given an elaborate and detailed study and came to the conclusion that compulsory voting is not possible and not feasible for this country. So, they have said that it does not recommend introduction of compulsory voting in India. In fact, it believes that it is highly undesirable for a variety reasons described like

such as being undemocratic, illegitimate, expensive, unable to improve quality of political participation and awareness and hence, it is difficult to implement.

After various Committees, including the Law Commission, came to this conclusion, the Election Commission started creating awareness among the voters in order to motivate them to vote and reminding them their right to vote. It persuaded them that they coming and voting is the need of the hour. The Election Commission on many occasions has taken up several initiatives. Every year 25th January is celebrated as National Voters Day. Several activities are conducted on that day. We are motivating the people. The media, including the print and electronic, is widely used to motivate the voters. They send SMS also. Now-a-days the Election Commission even goes to the houses of the voters and issues them slips and reminds them that they should vote. These are the several initiatives that have been taken by the Election Commission.

Now, the voting percentage has gradually increased. In the last general elections, the voting percentage was nearly 66.4 per cent. In the last election, 84.3 crore people were enrolled as voters, out of which 66 per cent voted. I would like to bring one issue before this House. As rightly said by my senior colleague, Prof. Saugata Roy, in various countries they have tried compulsory voting. In small countries it may be possible. In the last elections, the voting percentage was 64. Out of 84 crores, 64 per cent voted means, nearly 25 crore people did not vote. Is it possible to identify all those persons? In our country, people from one region go and work in some other regions. Labourers are travelling from one corner to another corner and they are working there for their livelihood. Is it possible to penalise 25 crore people at one stretch? It would be a highly impossible exercise if it is undertaken. The only thing is, we have to motivate. We have to find an alternative solution to see that the migrant labourers are given voting rights wherever they are. Now, we have the latest technologies. We want to introduce these latest technologies. Voting fashion has to be changed and they should be

made to vote. That is the only alternative that will be feasible for the country to see that more and more people do come and vote.

As rightly stated by Prof. Saugata Roy, several countries like Fiji, Austria, Egypt, Mexico, Greece, Paraguay, Thailand had once introduced this compulsory voting. They brought out a legislation for that. But within a very short period, they realised that it may not be possible to implement it. When such small countries could not implement the compulsory voting process, how can a country like India with more than 125 crore people, implement it? It is highly impossible to implement it. It is impossible to penalise such a vast number of voters. It cannot be done at this juncture.

Under these circumstances, the only option that is available for us is to take good suggestions from various people, and use more and more technology in voting. Earlier ballot papers used to be there. Now, we have electronic voting machines. Earlier, nobody used to go to the houses of voters. Now, the Election Commission itself has made it a point to visit the houses of voters in order to motivate them to vote. The voting percentage is also increasing day by day. Under such circumstances, it is not possible to implement compulsory voting. It may not be possible to implement it in countries like India.

My friend Shri Janardan Singh Sigriwal's intention is to see that every person votes so that democracy will become more and more vibrant. So, I would like to make one appeal to Shir Janardan Singh Sigriwal ji.

Let him please withdraw the Bill. I have noted all the suggestions that have been given by various Members in this House. Certainly all those suggestions will be referred to the Election Commission and Election Commission will be requested to implement the suggestions. Ultimately, more and more voters should come and vote so that the democratic process can be strengthened in our country. So, I request the hon. Member Shri Janardhan Singh Sigriwal to withdraw the Bill. Certainly I assure him that to fulfil his vision of compulsory voting which will strengthen the democratic principles, we will do it through the Election

Commission and the Election Commission will also be motivated that they should take care of all the suggestions that have been given by various Members in this House.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY : The Election Commission should also bear the expenses incurred by political parties during the election process.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I agree many electoral reforms are required in this country. As mentioned by many Members, money power, muscle power and many other things are making the people feel that the election itself is something which does not suit the present situation in the country. So, it may not be possible to fulfill all the requirements made out by Shri Janardhan Singh Sigriwal in his Bill and through other processes only we should motivate to come and vote in large numbers. Under such circumstances, I request Shri Janardan Singh Sigriwal to withdraw the Bill. His intention will be fulfilled by requesting the Election Commission to work in this direction and certainly a day will come when his intention will be fulfilled in this country.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मतदान मैं समझता हूं कि बड़ा ही महत्व का है और पिछले कई घंटों तक इस पर चर्चा हुई है। इस विधेयक पर अलग-अलग दलों के 53 सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। उनमें से हो सकता है कि इक्का-दुक्का सदस्यों के विचार इससे सहमत न हों, लेकिन 99.9 परसेंट सदस्यों ने इसके पक्ष में विचार रखा है और जो अपने विचार नहीं रख पाए हैं, उन्होंने मुझ से मिलकर इसके पक्ष में बात की है कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए।

महोदय, चुनाव लोकतंत्र का पहला राष्ट्रीय उत्सव होता है और सभी लोगों को इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और हम रखते भी हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी सफल होगा, जब लोग इसकी सुरक्षा करेंगे। हम लोगों ने इसकी सुरक्षा की भी है। हमें गर्व है कि आज हमारा संसदीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लोकतंत्र है। बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा बतायी गयी कमियों के बावजूद हम सब इसका हिस्सा हैं। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, चूंकि भारत का संविधान विरोधी संकल्पों का दस्तावेज है। कई विपक्ष और कई पक्ष उस दस्तावेज में इंगित हैं। हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश को बहस पसंद भारत कहा गया है। दुनिया में इसकी एक अलग पहचान है, इससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं। हर जगह विरोधाभास है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक के व्यक्ति के बीच हमारे यहां विरोधाभास है।

मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन जब शरीर में कहीं चोट लगती है तो पानी नहीं निकलता, खून निकलता है। हम यह कहते हैं कि हमारा हृदय खून से भरा है। लेकिन जब हृदय को कोई चोट पहुंचती है तो आंसू निकल जाते हैं। यह विरोधाभास है। कहते हैं कि शरीर में पानी ही पानी है, चोट लगने पर खून निकलता है और हृदय को कोई आघात लगता है तो वहां से खून न निकलकर आंख से आंसू निकलते हैं, यह कहने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। यह एक विरोधाभास है, लेकिन हम इसी विरोधाभास में जीते हैं और इसी विरोधाभास में ही फल-फूल रहे हैं और यही कारण है कि यहां विविधता में एकता वाले भारत के एक परिदृश्य की सुंदर अवधारणा है। अनिवार्य वोटिंग होने से इस देश से कई बीमारियां एक साथ दूर हो जायेंगी। अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, मैं उनसे आग्रह करते हुए कहना चाहूंगा कि अपने यहां चुनावों में मसल पावर का उपयोग होता है। इस बात से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक बीमारी है जो अनिवार्य मतदान से दूर हो जायेगी। चुनाव में धन-बल का काफी प्रयोग होता है, यह बीमारी भी इससे दूर हो जायेगी। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उन्हें वहां आज भी कहा जाता है कि आपका वोट पड़ गया है, आप चले जाइये, मैं समझता हूं कि यह बींमारी भी अनिवार्य मतदान से दूर हो जायेगी और यह कोई छोटी बीमारी नहीं है, यह एक बड़ी बीमारी है, जो इससे दूर होगी।

हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि दुनिया के कई देशों ने अनिवार्य मतदान शुरू भी किया और बंद भी किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जिन देशों ने, भले ही इसमे ब्राजील जैसा देश भी है, जिसकी भारत से कई बातों से समानता है, भारत के समान वह देश भी बड़ा देश है। उसकी जनसंख्या काफी है। आस्ट्रेलिया, इटली के साथ ब्राजील देश ने अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया अपना ली। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। मतदान में अपनाई जाने वाली बैड प्रैक्टिस जैसी समस्या का भी समाधान हो जायेगा। कुछ लोग चुनावों के समय दारू बांटते हैं, कुछ लोग पैसा बांटते हैं, इनसे भी छुटकारा मिलेगा। धन-बल और बाहुबल में कमी आयेगी और कमजोर वर्गों के वोट सुरक्षित हो जायेंगे, किसी और समुदाय के द्वारा वोट देने के भय से मुक्ति मिलेगी तथा लोगों का सही प्रतिनिधित्व होगा।

महोदय, आज इस पर अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी चर्चा हो रही है और लोग इसे असंभव भी कहते हैं। जब श्री टी.एन.शेषन् इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब वोटर आई.कार्ड शुरू हुआ था। तब बड़ी चर्चा हुई कि वोटर आई. कार्ड कैसे बन पायेगा, वोटर का आई. कार्ड बनना असंभव है। लेकिन मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि जब ऐसा किया गया था, तभी लोगों ने कहा था कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन आज बहुत से ऐसे राज्य हैं, जहां 90 से 95 प्रतिशत तक और कुछ राज्यों में 99 परसैन्ट तक वोटर आई.काड्र्स बन चुके हैं। यह अपनी सोच और अपने कार्य करने पर निर्भर करता है। हम कितना बल और ताकत से इस बात को रखते हैं, यह इस पर भी निर्भर करता है।

महोदय, मैं एक वाकया बताना चाहता हूं कि एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी अमरीका गई थीं। तब वहां के प्रेसिडेन्ट मि.निक्सन थे और वहां कोई समझौता होना था और उस समझौते में अमरीका अड़चन डाल रहा था या उस राय को नहीं मान रहा था। तब एक दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर समझौता नहीं होता है तो मेरा इस देश में एक क्षण भी रहना उचित नहीं है। उन्होंने अपने साथ के अधिकारियों से कहा कि मैं वापस जाऊंगी। जब समझौता नहीं होगा तो फिर मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। महोदय, यह एक सामान्य दबाव, एक मानसिक प्रेशर ने अमरीका से उस समझौते को करने के लिए बाध्य किया और अमरीका के प्रतिनिधि और अमरीका के राष्ट्रपति ने उस समझौता पर अनदेखी न कर के, उस पर समझौता करने का काम किया। महोदय, यही हमारे लोक तंत्र की शक्ति है। इसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं चूंकि यह हमारे लोकतंत्र का सौंदर्य भी है, लोक तंत्र की मर्यादा भी है। महोदय, ऐसा ही एक बार और हुआ था, जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, तब भी हमने वह ताकत दिखाई और यह दिखाया कि हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है, वह देश के सवा सौ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। देश के सवा सौ करोड़ लोगों का इतिहास बनाता है। सवा सौ करोड़ लोगों की ताकत अपने पीछे रखता है। उनकी सोच और समझ रखता है। उनकी हमदर्दी रखता है। पाकिस्तान और जो दुनिया

के लोग यह समझते हैं कि एक धोती में आजादी लेने वाला यह महात्मा गांधी हिंदुस्तान को ज्यादा दिनों तक आजाद और आगे नहीं ले जा सकता है, शायद वे यह भूल गए कि हमारा बहुत पुराना इतिहास है, हम अपनी संस्कृति से बंधे हुए लोग हैं, हम मोहब्बत से बंधे हुए लोग हैं, हमारे अंदर सांप्रदायिकता नहीं, सद्भावना है, इसलिए हमारे देश में हर 50 किलोमीटर पर भाषा भले ही बदल जाती है, पहनावा भले ही बदल जाता है, लेकिन आज भी हम एक-दूसरे को भाई कहते हैं गले लगते हैं, मिल कर चलते हैं और मिल कर वोट देते हैं, तब हिंदुस्तान बनता है, तब ऐसे भारत की परिकल्पना हम आज करते हैं। भारत विविधता में एकता का देश है। इस शब्द का महत्व विचारधारा संबंधी पुस्तकों में नहीं बल्कि हमारे जीवन के सभी पहलुओं में है, उसमें इस देश की राज्य व्यवस्था भी शामिल है।

सभापति महोदय, चुनाव किसी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बल्कि मैं तो इसको लोकतंत्र का उत्सव कहता हूँ। हम सब उसको मानते भी हैं। जब हम यह उत्सव मानते हैं, जब चुनाव होते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में हम सब भाग लेते हैं। महोदय, वस्तुतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव काफी हद तक तीन हितकारकों के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है। वे हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तंत्र, राजनैतिक दल, उम्मीदवार और मतदाता। ये तीन हितकारक हैं। उन सभी को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कतिपय अधिकार है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मतदान का भी एक अधिकार है। महोदय, हमारे माननीय लॉ मंत्री जी काफी सुलझे हुए, काफी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा कि हो सकता है कि प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अनिवार्य मतदान की बात इस भारत में करते हैं, तो दुनिया में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज अमरीका जैसे देश भी इस पर बहस कर रहे हैं। वह बहस करने के लिए बाध्य है कि हमें अनिवार्य मतदान करना पड़ेगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I would only request the Mover of this Bill to insist on voting and to get it passed.

जनार्दन जी, आप इंसिस्ट कीजिए कि इस पर वोटिंग करा कर इसको पास किया जाए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, देश में अनिवार्य मतदान भारतीय लोकतंत्र में नई जान फूंक सकता है। दुनिया के 32 से अधिक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। यह व्यवस्था अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लागू हो गई तो उसकी बात ही कुछ और होगी। यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य हो गया तो अमरीका और ब्रिटेन जैसे पुराने और सशक्त लोकतंत्र भी भारत को अनुसरण करना पड़ सकता है। हालांकि भारत और उसकी समस्या एकदूसरे से बिल्कुल विपरीत है। भारत में अमीर लोग वोट नहीं डालते हैं। महताब साहब बोल रहे थे कि गरीब लोग वोट नहीं डालते हैं। महोदय, गरीब तो यहां वोट डालना चाहता है, उसे रोका जाता है, लेकिन यहां अमीर लोग वोट नहीं डालते हैं।

महताब साहब चूंकि हो सकता है कि आपके राज्य में ऐसा हो कि गरीब और अमीर लोगों में खाई हो। बहुत जगहों पर गरीब लोग वोट डालने के लिए उत्सुक रहते हैं। बड़े लोग उस दिन की छुट्टी मनाते हैं, वे उस दिन पिकनिक मनाने चले जाते हैं, घर में नए-नए कैसेट मँगाकर के नई-नई फिल्मों का आनन्द लेने का काम करते हैं। भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है कि जितने मतदाता...

श्री भर्तृहरि महताब : जो 25 करोड़ लोग वोट नहीं दे रहे हैं, उसमें धनी आदमी कितने हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब हैं।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : 90 परसेंट हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब हैं। 60 करोड़ से ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं, 25 करोड़ वोट नहीं दे रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महताब साहब, बीपीएल तो ज्यादा वोट देता है, यह तो आपको मानना ही पड़ेगा।

श्री भर्तृहरि महताब : नहीं-नहीं, मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ, ये 25 करोड़ लोग जो वोट देने नहीं जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर लोग गरीब हैं।

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I can give the latest – not exact – statistics. More than 10 crore migrant labourers are there in this country, and they are travelling right from Assam and Bihar either to Mumbai or Kerala or even Bengaluru. At present, in Bengaluru we are having not less than five to six crore migrant labourers. So, it is highly impossible for them to vote. For them, earning of their livelihood is more important rather than voting. That is their thinking. It should not be there. We should motivate them to vote. If the latest technologies and other things are brought into force, certainly after due course of time it may be possible.

Sir, in the last elections, 84 crore voters were there, and about 25.6 crore voters had not voted. Is it possible to penalise them, prosecute and punish them? It is highly impossible for the country like India. Certainly the intention that every citizen of the country must vote of the hon. Member, Shri Janardan Singh Sigriwal is quite appreciable, and thereby the democracy of the country would become very vibrant. That is his intention and I do appreciate it. But at present countries like

India, without applying latest technologies and others, it may be possible. Unless the migrant labourers are properly identified and make them to vote, it may not be possible for us to implement this Bill. Sir, his intention is good and I do appreciate it.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, हमारे माननीय साथी बड़े अनुभवी हैं, मैं अपनी बातों के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है, जब हम भारत में अनिवार्य मतदान कर लेंगे तो दुनिया में एक बड़ा मैसेज जाएगा और दुनिया में इस पर सोचने के लिए लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। मैं कह रहा था, अभी वे बता रहे थे कि कितने धनी लोग हैं, धनी का मतलब मिडिल क्लास, धनी का मतलब व्यवसाय में लगे हुए लोग और वैसे लोग वास्तव में उस दिन छुट्‌टी मनाते हैं। अनिवार्य मतदान होने पर उन लोगों के लिए यह बाध्यता हो जाएगी और आज भी वास्तविकता यह है, हमारे माननीय चीफ व्हिप ने कहा कि आज भी बीपीएल के 99 परसेंट लोग वोट डालने जाते हैं। आप इतने अनुभवी हैं, पता नहीं आपकी अवधारणा में यह कैसे आ गया, मुझे इसका आश्चर्य हो रहा है।

श्री भर्तृहरि महताब : मंत्री जी ने क्लेरिफाई कर दिया है।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, भारत में कोई न कोई चुनाव हर साल होता रहता है, प्रतिवर्ष चुनाव होता है, भारत की स्थिति ऐसी है कि हर साल कोई न कोई चुनाव होता है। लगभग करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष मतदान करते हैं और देश हित में सरकारें बनाते हैं, चाहे निचले स्तर की पंचायती राज की सरकार हो, चाहे राज्य की विधान सभाओं के चुनाव हों और चाहे देश के लिए चुनाव हो, उसमें मतदान में वे भाग लेते रहते हैं।

माननीय सभापति : आप संक्षिप्त में अपनी बात कहिए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, प्राइवेट मेम्बर बिल का यही तो एक मौका है, अगर इसमें भी बाध्यता हो जाएगी तो बड़ी मजबूरी हो जाएगी, बड़ी परेशानी होगी। इस पर कोई समय सीमा न रखा जाए। समय तो आपका 6 बजे तक निर्धारित है ही, 6 बजे के बाद थोड़े ही हम लोग बोल पाएंगे। अगला बिल है, पांडा साहब का बिल है, मैं उसके लिए समय दूँगा और फिर इनका चालू होगा।

माननीय सभापति : सीग्रीवाल जी, हर बिल के समय निर्धारित रहता है, प्राइवेट बिल के लिए भी समय निर्धारित रहता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेम्बर बिल की कोई समय सीमा नहीं है।

17.00 hours

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति जी, अगर हमें यह भी बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप जाकर वोट डालिए, अभी तो चुनाव आयोग ने तरीका भी बना दिया है, नोटा का भी तरीका बना दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जितने लिस्टेड प्रत्याशी हैं, अगर उनमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह वोट देने की बाध्यता नहीं, बल्कि मतदान केन्द्र पर जाकर, उपस्थित होकर हम मतदान के साथ उपस्थित हैं, यह बताने की हमें आवश्यकता है।

महोदय, आज हम यहाँ बैठे हैं तो भारत के मालिक रूपी आम मतदाता की वजह से ही बैठे हैं। चाहे हमारे माननीय मंत्री जी हों या हम हों या चेयर हो, हम सब उसी मतदाता स्वरूप मालिक की देन हैं, लोगों ने हमें यहाँ बोलने और बैठाने के लिए यहाँ भेजने को बाध्य किया है। जो मतदाता मालिक हैं, उनको यह गर्व होगा और खासकर वैसे लोग जो इस देश के 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता जिनको आज भी लोग बाध्य और परेशान करते हैं, वह तमाम परेशानियाँ उससे दूर होंगी। मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यह नहीं कह सकते हैं और उसको कहना उचित भी नहीं होगा, हमारे देश के किसी मतदाता को भी कहना उचित नहीं होगा कि 'कोई नृप होहिं, हमें क्या हानि।' हम इस देश के, राज्य के, चाहे पंचायतों के अपने प्रतिनिधियों को चुनने में शत-प्रतिशत भागीदार बन रहे हैं, अनिवार्य मतदान से ही इसका अधिकार मिलेगा। जो लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं, उनको उसमें दिलचस्पी भी नहीं रहती है। यह दिलचस्पी भी उसमें बनती रहेगी। मैं आपसे यह निवेदन भी करूँगा और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि ठीक है कि हाई कोर्ट ने वहाँ बैन लगा दिया, लेकिन 2009 में भी माननीय प्रधान मंत्री जी जब वहाँ के मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ स्थानीय स्तर के चुनाव में इसे अनिवार्य किया था। वह लागू भी किया गया। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी लेकिन मन और भाव यही था कि हमारे देश का एक एक मतदाता मतदान केन्द्र पर जाए, अपने मत के अधिकार से अपने काम करने वाले प्रतिनिधियों को चुनने का काम करे। यानी मालिक मतदान केन्द्र पर जाकर अपने लिए काम करने वाले लोगों को चुने कि आपको मेरे अनुसार काम करना होगा, समाज के अनुसार काम करना होगा, देशहित में काम करना होगा। इसलिए मैं इस अनिवार्य मतदान के बिल को लाया हूँ। महोदय, अभी बिहार में चुनाव हुआ। जो आकलन हुआ है, 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा लगे हैं। ...(व्यवधान)

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I would like to bring it to the notice of this august House that in a small State like Tasmania, the State elections were held in 2010; and the total number of voters was just 3,35,353. Of course, compulsory voting was there. In that election, about 6,000 voters did not cast vote. Everybody

was fined 26 dollars for not voting. But the authorities were able to collect fine only from 2,000 people; and about the rest 4,000 people, they were not able to collect the fine. It is the situation of such a small area. So, in a country where 84 crore voters are there, and 25 crore voters are not voting, is it possible to implement such a thing? I am not telling anything else.

Even in Gujarat for compulsory voting, amendment to the Municipal Act was brought, but subsequently, it could not be implemented. They had formed a Committee to look into the various aspects before notification and all that. So, I am saying that they could not implement. There are practical difficulties which we are facing.

As he rightly said, after Mr. T.N. Seshan became the Chief Election Commissioner of India, really there were lots of improvement in the election process. Many reforms need to be undertaken as far as electoral reforms are concerned. Certainly, it is the need of the hour. I will not dispute about that. But compulsory voting at this stage may not be possible. It may not be possible to penalize 25 crore people. Many jails have to be constructed. The whole system will get collapsed.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, God will give him more life. So, in 22nd century, this utopian idea can be fructified.

माननीय सभापति : सीग्रीवाल जी, आप भी अब समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभापति: 20 मिनट आप बोल चुके। इस के लिए निर्धारित समय भी है, वह भी मुझको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इसको नियत समय में खत्म करिये।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, समय पांच मिनट और बढ़ाइये, थोड़ी दया करिये।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं-नहीं, समय अब नहीं बढ़ेगा। यह तीन सत्र से चल रहा है।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं यह कह रहा था, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग ने भी इस प्रश्न पर चिन्ता व्यक्त की है और चुनाव आयोग ने अपने पूरे मंथन के बाद यह कहा है कि 2030 में अपने देश में 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता हो जाएंगे। अगर हम सिस्टम पैदा करेंगे तो हमें

लगता है कि इसका लाभ निश्चित रूप से अपने देश को मिलेगा। इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। वास्तव में अपने देश में कुछ ऐसी भी जगह हैं, जहां भरपूर मसल पावर का प्रयोग किया जाता है और मसल पावर के माध्यम से वहां सरकारें बनती हैं, मसल पावर की वजह से लोग सत्ता में आते हैं। इससे उस पर भी बड़ा विराम लगेगा। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: एक ही विषय को बार-बार कहने से क्या फायदा है।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, इसीलिए मैं आपसे और आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो देश की सोच है, उस सोच को इस सदन के माध्मय से पूरी दुनिया में ऐसे स्थापित करें, जिससे कि अनिवार्य मतदान हो और सभी लोगों को मत डालने की जो ताकत मिले। भले ही जो मैंने प्रस्ताव में लाया है, उसमें हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें रही हों, जिससे उनको दंडित करना ही करना है। मैं यह नहीं चाहता कि उनको दंडित किया जाये या फिर उनको परेशान किया जाये, लेकिन उनके लिए वोट डालना बाध्यता हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, यह लोकतंत्र के प्रति आस्था होगी, उनकी बाध्यता को सुनिश्चित किया जाये कि आपको मतदान के समय मतदान केन्द्र पर जाना होगा, मत करना होगा और अपने मत के माध्यम से अच्छी सरकारों का चुनाव करना होगा और आपको इस सरकार के प्रति अपनी भावना को भी सामने रखना पड़ेगा।

आज ऐसे भी इलाके हैं, जहां लोग बोर्ड टांग देते हैं कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। महोदय, वोट से बिजली, पानी और सड़क का क्या वास्ता रहता है। वोट देने वाले को आप शत-प्रतिशत वोट देकर के चुनाव के पहले यह काम करा लेते और तब उनको वोट देने का अधिकार रहता। ऐसे भी मसल पावर वाले लोग रहते हैं कि हम आपको वोट देने नहीं जाने देंगे, आप वोट देने नहीं जा सकते हैं, वोट देने का बहिष्कार करो। हमें लगता है कि तमाम चीजों की जो अव्यवस्था है, वह दूर हो जानी चाहिए।

महोदय, मैं यह बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा कि इसके लिए चुनाव आयोग को सरकार के माध्यम से जो और भी सुविधाएं देने की आवश्यकता होगी, वे सुविधाएं भी सरकार दे और मतदान केन्द्र तक ही सिर्फ मतदाता न जाये। वैसे भी मतदाता हैं, जो मतदान केन्द्र तक जाने में कठिनाई महसूस करते हैं और उनका जाना असम्भव है तो मतदान केन्द्र मतदाता के पास जाये, ऐसी व्यवस्था बनाकर अनिवार्य वोट को, अनिवार्य मतदान को कायम किया जाये।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे आप लागू करें और अगर इसमें कठिनाई हो तो मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि एक समिति बनाकर इसकी विशेष तरीके से तहकीकात

करायें कि कैसे इस पर हम पहल करने का काम करेंगे। आपने अनिवार्य मतदान पर एक लम्बे समय तक चर्चा की, बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने उस पर चर्चा में भाग लिया। पूरे भारत में लोकतंत्र को मजबूती दिलाने में जो लोगों ने प्रयास किया और जिसका एक माध्यम मतदाताओं को अनिवार्य मतदान का रहा, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन भी करूंगा कि आप इसको लागू करें, नहीं तो इस पर एक समिति ही बनाने का काम करें।

माननीय सभापतिः इस विधेयक को आप वापस लेते हैं या मतदान करायें?

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं मतदान अनिवार्य करने के लिए तो बात कर रहा हूं। इसमें यहां मतदान की बात कहां आती है? मैं यहां इस पर मतदान नहीं कराना चाहता।

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, electoral reforms are the need of the hour. Everybody agrees to that point. The Government is also very seriously looking into the electoral reforms. The process is yet to start. While taking up the electoral reforms, certainly all the suggestions given by you will be taken note of. We will certainly make use of your suggestions, and electoral reforms will be brought. Shri Janardan Singh 'Sigriwal''s name will be there in the electoral reforms.

I, once again, request him to withdraw this so that we can process all these things through the Election Commission.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं मंत्री जी की भावना और सरकार के अन्दर की जो भावना है, उसको देखते हुए अपना यह प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

माननीय सभापति : क्या माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर जोर देना चाहते हैं?

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

The Motion was, by leave, withdrawn.

17.12 hours

(ii) Rights of Transgender Persons Bill, 2014

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of the transgender persons and for their welfare to be undertaken by the State and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

I rise to move this Bill which is a milestone Bill. In many ways, the Rights of Transgender Persons Bill, 2014 is a very historic Bill. As the whole House is aware, this Bill, from 2014, has been in the queue for being taken up for discussion for the last three Sessions where the just concluded discussion on the Compulsory Voting Bill took priority and so many Members participated.

This is also a historic Bill for several other reasons. One of the most important reasons is that this Bill comes to us after having been passed in the other House, the Rajya Sabha. This is historic because for nearly half-a-century, no Private Members' Bill has become law, as we experienced just now, even a Bill that has enormous support from across the political spectrum. For the last nearly half-a-century, our tradition has become that based on the Government assurances the Member moving that Bill withdraws the Bill and it does not become law.

17.13 hours (Shri Konakalla Narayana Rao *in the Chair*)

For that reason, this Rights of Transgender Persons Bill, 2014, having been passed in the Rajya Sabha, assumes a very historic angle in that it has the potential for the first time in nearly half-a-century that we in this august House can pass a Private Members' Bill and make it a law which has not happened for all these

decades. It is another matter that the Government itself supports this idea and is preparing a Bill along these lines. I will touch upon that. … (*Interruptions*)

Finally, this Bill is historic for three very fundamentally important Constitutional principles which it impinges--the right to equality, article 15 of the Constitution; the right to life with dignity and personal liberty, article 21 of the Constitution; and to some extent, the freedom of speech as prescribed within our Constitution in article 19. Why these are important because, taken together, these Articles provide that our Constitution must treat every citizen equally irrespective of his caste, creed, religion and it ought to be the case irrespective of his gender orientation, of his sexual orientation.

This is not something which is the personal view of mine, this has brought support across the political spectrum. Even the Government is proposing to bring in a Bill. Most importantly, it has the backing of our highest courts – it has the backing of our High Courts; it has the backing of our Supreme Court.

I would just like give a timeline of what progress has happened on this front. But, Sir, it is important for all of us to recognize it. If we look at our own history, if we look at our own culture, we will find that we have a rich culture. I grew up at Bhubaneswar in Odisha and just 30 miles away from where I grew up is the historic Black Pagoda, the Temple of Konark, the Sun God. If you go and look at the sculptures at Konark and many other such temples throughout the country, you will see that we have a rich history, which is inclusive, which allows people of any orientation, people of any life style choice to be allowed to live as free citizens, to be allowed to live life as they wish without discrimination. The thrust of this Bill then is that – shall we tolerate discrimination against a section of our population when all they wish to do is live life by their own choice, without causing harm to anybody, without breaking the law?

The other great angle of this Bill is compassion. The world's largest democracy has shown repeatedly, time and again, that our greatness comes not from our best achievements, our greatness comes not from the fact that we are a

nuclear power, that we are a space power, our greatness lies in the fact that we have provided a platform where the weakest of the weak will get the same treatment under law as the rich, as the powerful, as people of any background. Our democracy, our republic has provided this opportunity for categories of our citizens who have been discriminated against for centuries and sometimes for millennia. Over the last nearly 70 years, many such discriminated categories of people – be it of certain caste, be it of certain tribes, be it of any background – have been treated equally by the Constitution, by the law and have been able to get their rights backed up from this august House and the other august House. But, Sir, if you look at the transgender community, that is not the case.

All of us are aware that transgenders are treated pejoratively. They are called by names which are not worth repeating – it is not parliamentary to use those names. They are treated not with compassion, they are treated with discrimination, they are jeered at and they are, in fact, prevented from living a normal life. There is plenty of evidence. All of us are aware of it that most transgenders are reduced to begging because they do not get the same opportunities if they want to hold the jobs; they do not get the same opportunities, when they try to get education. We must have a big heart, we must have compassion for this community, we must treat them with dignity, we must treat them as human beings. I will come to some of their numbers. … (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : इसमें एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां एक एमएलए रही हैं, वह एम.ए. थीं।

श्री बैजयंत जे. पांडा : सर, वे एक्सेप्शंस हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा। ...(व्यवधान) I take the hon. Member's intervention in the right spirit. As the hon. Minister has been pointing out, recently, based on court orders, we have had a police officer who is a transgender. We also have people that have contested in local elections, in urban elections, in panchayat elections and there are many others. … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : There is a principal in West Bengal.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): He is a principal in a college there.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Hon. Members from my home State Odisha and my neighbouring State West Bengal are pointing out that there exists an example of a principal. But, Sir, that is not the point. I am sure that there are many such exceptions of brave people supported by society in their parts of the country. The reality is that a large majority of the transgender community does not enjoy equal treatment. They do not enjoy dignified treatment. Let me give you an example. When they are beaten up, when they are stolen from and when they go and try to file an FIR, they do not receive the same treatment that an average Indian citizen receives. They are often jeered at. There are examples where police people are also kind and treat them properly, but that should be the norm and not the exception.

Sir, let me give you some points as to how this has developed. In 2009, the Election Commission took a very important first step by allowing the so-called eunuchs to choose their gender as 'other' on the ballot paper. Instead of being just male or female, they were allowed to choose 'other'. This was a very significant first step taken by the Election Commission. In 2011 Census, for the first time, transgenders were counted as a separate category. Until then, they were counted as males which itself is odd because transgenders can be born in the form of a female and choose to be a male or *vice versa*.

Sir, there are some estimates, and these estimates vary quite a lot, as to what section of the population are we talking about, what numbers are we talking about. By one estimate, there are just under five lakh such people – 4.9 lakh transgenders, but there are many other estimates which count the number of transgender population in the country at nearly 25 lakhs. This number could be much larger because the stigma attached to it is such that people try hard not to live life as they choose, but to hide their gender orientation, to hide their lifestyle. That is not a life of dignity.

Sir, I once again appeal to all my colleagues in this House that this may be a small minority community because it may be only 25 lakh people or a little more than that. Since we do not know their exact number, we have to count them. That is one of the requirements of the Bill that they may be properly enumerated.

The big thing here is that we must have compassion. No matter how small this group of citizens is, they must be treated as equal. Just like our Constitution provides equal rights to dalits, to adivasis, to minorities, we must ensure that no matter how small a component of our population they constitute, they must be treated with dignity. That is the basic essence of this Bill which I have the privilege of moving here. Once again, I point out that this Bill was moved in the other House and passed, which was a historic thing, in April of last year by our hon. colleague, Shri Tiruchi Siva, and in this House also, it has much support from across the aisles. There are colleagues wanting to speak on this Bill from my right to my left, everywhere.

Sir, of the transgender community, who have been identified, about 66 per cent live in rural areas. They face a double difficulty when they try to take advantage of any of the benefits that the Government provides and any of the schemes that the Government has. Take the example of anti-poverty scheme. When they try to get admission in schools and colleges they do face discrimination. Despite the examples that some of my hon. colleagues have pointed out, the fact is that a vast majority of them face discrimination and this is something we should not tolerate, this is something we have to do away with.

Sir, the proportion of those who have jobs among the transgender community is only 38 per cent. Let us just think about this for a couple of seconds. Fully, 62 per cent of the transgender community do not have jobs. We know that in India, jobs are a challenge. We know for a fact that India needs to generate one million jobs per month and we are barely creating a fraction of that, but the fact is that the transgender community faces a much greater discrimination when it comes to getting jobs.

From 2013 onwards, the transgender community has achieved another milestone when they were recognised as a separate category to be issued *Aadhaar* Cards. This is the Unique Identification form using biometrics and this was another major development. In 2014 came the most significant development so far when the Supreme Court was hearing a case of National Legal Services Authority (NALSA) *versus* the Union of India and while acknowledging the plight of transgender persons, it recognised the community as a third gender. So, for the first time besides the Election Commission and besides the Census, the Supreme Court itself accepted in 2014 that in all Governmental forms besides having male and female you can have 'other' or the third gender.

In 2015, the Reserve Bank of India has also taken this in the same spirit one step forward and has asked banks to add third gender column in all of its forms. From 2015, several Universities have started taking progressive steps. So, it is true when hon. Members point out that some members of the transgender community are getting admission, but that needs to be spread to everybody. Delhi University and Jamia are going to follow the example set by Jadhavpur University, which was the first University of a national stature to introduce the third gender option in all its official forms.

The guiding principle of this Bill is that one's gender orientation and sexual orientation should not go against them for being discriminated against in any fashion or any way. This impinges one area where there has been a lot of heated debate and a lot of controversy also. So, I want to touch upon it a little bit. It has to do with Section 377, which criminalises homosexuality and LGBT community. There have been efforts to challenge it. Only in the last Session there was an attempted Private Members' Bill in this House, which was not accepted for introduction because many Members here did not feel that it was appropriate. As many Members are undoubtedly aware, this is a matter, which has now gone to a Constitutional Bench of the Supreme Court. This is not the subject matter, but it is somewhat slightly related. So, I will come to that issue.

On Section 377, it is a British-era law and it criminalises certain activities and criminalises homosexuals. There was a Delhi High Court judgement some years ago, which said that this was not Constitutional that it discriminated against certain categories of citizens, but that was overruled by the Supreme Court. This is a battle that has been going on by a certain organisation called the Naz Foundation, which has been fighting in the courts on the Constitutional principle and although the Supreme Court had overruled the Delhi High Court it has recently accepted the petition to review its own decision.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: It has been sent to a greater Bench.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: As I understand, it is going to be a seven-Judge Constitutional Bench and while that matter is there in the Supreme Court, I think that we will have to wait and see as to what decision they take and then we can respond appropriately.

My point here is that today's subject on Transgender Bill is not about Section 377. It is because here we are talking about treating them with dignity; about not discriminating against them; and about making sure that law treats them as equal citizens. But here we are not talking about the repeal of Section 377. It is a bigger issue; it is a wider issue; and this is not exactly the same issue, but undoubtedly there is some small overlap because the larger community of Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender, Queer (LGBTQ) is far larger than the 25 lakh, which have been enumerated only for transgender rights. But many people feel that these two are linked in the sense that once we take a view point that we must treat our transgender community and citizens with equal rights, with equal dignity, with equal treatment of the law, then that is a Constitutional principle that is being set.

But these, I would say, are two parallel things that are going on. They are not exactly the same because this Bill does not propose to do anything with Section 377. This is purely about dignity and equality before the law for the transgender community.

Sir, I have alluded to our own history and our own culture; I have alluded to our own temple architecture; if you look at our own scriptures, if you look at our own mythology, there are plenty of examples that transgender in our history, in our mythology, and in our scriptures are not uncommon.

PROF. SAUGATA ROY: Shikhandi in Mahabharat is one such example.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Yes, Shikhandi in Mahabharat is one, but there are so many other examples. I am not an expert in the subject, but I have heard that there are experts in the subject who have written about it. … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I have a question to the speaker. Before he concludes, I think it will be better for him to answer this. In the Hindi version of this Bill, the word 'transgender' has been translated into "विपरीत लिंग" । मैं यह जानना चाहता हूं, मेरी हिन्दी इतना मजबूत नहीं है किंतु यहां कई लोग हैं जिनको हिन्दी अच्छी तरह आती है। विपरीत लिंग क्या है? इस बारे में थोड़ा रोशनी डालिए।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: My hon. Colleague Shri Mahtab has brought up an issue with which I am not familiar because I have not filed the Hindi version of the Bill. I have filed the English version of the Bill. … (*Interruptions*)

श्री भर्तृहरि महताब : आपको हिन्दी अच्छी तरह से आती है, इतने सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। … (*Interruptions*)

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: I can only talk about the English version of the Bill. महताब जी आप प्रश्न यह पूछिए कि उनको आती है या नहीं आती? I think this itself indicates that we put too much emphasis on gender, whereas we should put emphasis on humanity.

HON. CHAIRPERSON : This Bill comes from Rajya Sabha along with the translated version.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : Sir, we can ask them for a clarification. My point is, उनको आती है या उनको आता है, sometimes, we, the people from the East, make a mistake because we treat gender differently in our language and that is the

very point. The point is we treat gender equally and I think we should all treat gender equally.

PROF. SAUGATA ROY: Languages are gender neutral.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : The whole point of this Bill is that we treat them as human beings, not as males, females, others or transgender. We should treat them as human beings. We must all have big hearts; we must all have compassion for people who are different from us, and that is the only purpose of this Bill.

I was going to also allude that apart from our own legacy, apart from what we have learnt from our history and from our culture, other countries are beginning to take steps to ensure that transgender community in their countries are treated equally. We could consider, for example, the example of Portugal, which is believed today to have the most expeditious and transparent procedures for establishing gender identity –for those not just in the transgender community, but in any of these communities. We can take the example of Argentina which has not the cumbersome procedures because sometimes people have gender reassignment medical procedures; it does not require any of that. It requires people to choose their lifestyle and treat them on that basis, taking their word for it.

Sir, this Government has started procedures unrelated to this in many ways saying that a citizen's self-certification on many kinds of forms should be good enough. It should not require a Gazetted Officer; it should not require a Government servant to authenticate what the citizen is self-declaring. This is the principle. You should look at some other countries to see how they have provided for it. You should look at our Election Commission, Reserve Bank of India, Census is already doing it, and this should apply all across – apply to all Government forms; apply to all education application forms; apply to job applications because a citizen's self-certification should be enough, unless there is evidence otherwise; unless there is evidence that the citizen is not to be relied upon.

Sir, I come to the point that the Government itself is supporting this move and had set up a Committee, taken some steps and has brought a Bill. Here, I want to point out a very important and significant difference between what the Government's Bill proposes and what this Private Member's Bill proposes. Although both the Bills provide principles that should guide the Government authorities, one key principle of 'respect for difference and acceptance of transgender persons as part of human diversity and humanity", is not there in the Government Bill. This is a core fundamental principle which is there in this Bill which has been passed by the Rajya Sabha and which is here before us today. Respect for diversity and acceptance of that diversity is what is crucial. That is why, it is important that we must consider this Bill in depth. A point will come when we will have to take a decision as to what we want to do with this Bill.

I would like to mention to my hon. colleagues that we have the opportunity of making history. We have the opportunity if we pass this Bill for the first time in nearly half a century that we, Members of Parliament, can initiate and make law and not depend only on the Government of the day to bring law. We are not at different purposes. The Government itself wants to bring a similar law. But if we pass this Bill and make it a law, it would be a historical going back to what we had until the early 1970s when it used to be that Private Members' Bills could get passed. This is a point worth dwelling on for a little bit. If you look at democracies all over the world, it is not only Government Bills which get passed. If you look at democracies like America, if you look at UK, Canada, Germany and Australia, it is quite common that ordinary Members of Parliament whether they be part of the governing side of the benches or from the opposition side of the benches, they can introduce Bills. If these Bills are popular, if they can make a very good argument and if they can seek the support of their colleagues, such Bills can pass.

I want to appeal to all Members, those who are present here today and those who are absent but may be here when the time comes to take the decision on this Bill, please keep this in mind that we have got this historic opportunity since the

early 1970s for the first time. It would be a wonderful thing if we can pass the law. We are not against the Government. We are not against the Government's Bill. Both are very similar in many ways. I would also beseech the Government that in the case of this Bill, being that it has already been passed by the Rajya Sabha, being that it is something not controversial – this Bill is not controversial -- this Bill has the support of the Supreme Court; this Bill has the support of the other House; this Bill has the support of any right-thinking person. Who would want to have a small heart? Who would want to discriminate against transgender people? We can make history. We can pass this Bill. The Government wants to implement this law in any case. We can pass this Bill and create history that our Parliament goes back to its old glory that any Bill which has support of the majority of the Members, can become the law. We saw a Bill now which has enormous support from a lot of people. But it has become tradition that Bills are not put to the vote, that they are withdrawn by the proposer. I believe that we should break from that and go back to our original tradition. I believe, we should go to the tradition when anyone of us can introduce a Bill. If we can get the support of enough Members of Parliament, that should become law. We have that opportunity here today for the first time.

This Bill will make it law; make the constitutional principle of non-discrimination into law so that when people of the transgender community go to file police cases, they will be treated with equality and dignity. When they go for jobs, they will be treated with equality and dignity. It will provide incentives for the private sector to provide jobs to them.

I tell you why it becomes important for us to consider passing this Bill. Although the Government is in the same line of thinking that the constitutional principle of equality can be made into a Bill for transgenders, an Expert Committee was set up by the Ministry of Social Justice and Empowerment to study the problems faced by the transgender community and to make suggestions. That Committee gave its Report as far back as January 27, 2014. These were

forwarded to all the States and Union Territories for appropriate action and 16 States and Union Territories have responded. The others, at this time of this Bill, have not yet responded.

I gave the example of the Supreme Court in the NALSA case which has ruled that they should not be discriminated against and that they should be treated as the third gender. However, the Ministry filed a petition in September 2014 seeking clarifications to this judgment in the Supreme Court. As a result, this matter has got stuck, it is pending and a final decision has not yet been taken. So, although the Supreme Court had given a ruling, it is not a fact that throughout the Government, all these papers, all the forms of different Departments do not have yet have the option of the third gender because it is stuck in court. Some States indeed are taking a progressive stand. I think it is very heartening that the State of Kerala in 2015 took a progressive step to provide a level-playing field for equality, granting equal access to social and economic opportunities, resources and services, the right to equal treatment under the law, equitable rights in all decision making bodies and so on and so forth for the transgender community.

I was going to mention some of the cases that the other hon. Members have pointed out such as in Tamil Nadu, the first transgender police Sub Inspector, Pritika Yashini by the order of the Madras High Court which also mandated inclusion of third category in the next recruitment process. And the good news is that only on the 15th of this month she has got her joining orders and taken charge. This is again one historic step. But these are few steps and that needs to change.

Other countries are also going ahead. I gave the examples of countries which are far away. Let me give you the example of next door Nepal. In Nepal, Bhoomika Shreshtha is an activist who became the first Nepali citizen to travel on a passport carrying the designation ‘O’ for Other rather than ‘M’ for Male or ‘F’ for Female. And this could be the future for international travel so that there is no discrimination.

I had referred to the court judgments in both the Delhi High Court and Supreme Court judgments on the Constitutional principle of equality. I think it is important to read out what Justice Mridul in the Delhi High Court judgment of October 2015 held in favour of a transgender citizen. I quote this. “Every human being has certain inalienable rights and gender identity and sexual orientation are fundamental to the right of self determination, dignity and freedom of the individual”. This is something that we should take to our heart and stop the practice of discriminating against them in various fields.

Many other things are happening. Films are getting made, documentaries are getting made, film festivals are happening. One of the most heartening examples was again just this month when it was reported that in Maharashtra the police in Thane had started an initiative called Police Mitra, in which 1,350 transgender persons were given training including physical training, medical screenings, ID cards. And the most heartening thing is that they assist the police with law enforcement functions such as crowd control and traffic control. Can we think of a better example than this when the very places where they were getting discriminated against when they used to go to the police to seek justice, now here we have an example where the police are co-opting them, where the police are treating them in an inclusive manner, where they are getting the training, they are given the dignity of assisting the police for traffic control, for crowd control.

These are the sort of examples that we must support not just by cheering on such examples of course we must do that but by making it the law. We cannot just leave it as a Constitutional principle that every citizen must be treated equally. We must make the laws and we must undo the laws that we have on our books for the last 200 years which provide discrimination against citizens. We must do that.

I gave the example of Thane Police in Maharashtra. I want to give the example of Kolkata Police. From January this year, they have accepted the West Bengal Government’s proposal to empower transgender persons and accepting them into civic police volunteer force.

I realise I have spoken for quite sometime and there are other Members who wish to speak on this subject. I do not want to continue this for the sake of continuing it although I was hoping that we could take this into the next Session where we could have more Members and delve and take a decision on the historic opportunity that we have today for passing such a Bill, not just because it is about the rights of a minority community of transgender persons but also about the Constitutional opportunity today that we have of re-establishing the supremacy of Parliament and re-establishing that it is the job of Parliament to make laws; not just laws that are brought by the government of the day but laws that are suitable for the country, for this time.

The Government has no opposition to the principle of the law. In other cases, they say, 'Please withdraw this Bill. We will bring a similar Bill.' Here also they have prepared a Bill; it is not just that they are saying it. But here we are having the opportunity of this Bill being passed in the other House and if we can pass it in this House it would be a tremendous assertion of the supremacy of Parliament.

With this, I would like to submit that we may consider this Bill as an opportunity to impress upon the rest of the country that right from the highest temple of democracy, we are sensitive to the needs of every citizen, no matter how small their community is, no matter how marginalised their community is, we have the heart to bring them into the mainstream.

Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि मेरे सहयोगी श्री बैजयंत जे. पांडा द्वारा प्राइवेट मैम्बर्स बिल द राइट्स ऑफ ट्रांसजैंडर पर्सन्स बिल 2014 पर बहुत प्रभावी ढंग से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह प्राइवेट मैम्बर्स बिल राज्य सभा से 2014 में इंट्रोड्यूज और वहां से पास होकर सम्मानित सदन के समक्ष आया है। हमारी विधायिका का अधिकार है और विधायिका से देश की जनता अपेक्षा करती है कि हम इस तरह के विधेयक का निर्माण करें जो देश में किसी को भी राइट टू इक्वेलिटी या असमानता कहीं हो रही हो, चाहे शिक्षा में हो रही हो, स्वास्थ्य में हो, नौकरी में हो या एजुकेशन में हो तो हम इक्वेलिटी कैसे दे सकें, इस संबंध में हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। निश्चित तौर से यह विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के संविधान के निर्माताओं ने जिस समय संविधान का निर्माण किया, उन्होंने तमाम अनुच्छेदों का उल्लेख किया है, मैं समझता हूं अगर किसी अनुच्छेद में जो अधिकार दिए गए हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स हों या आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 15 हो, राइट टू इक्वैलिटी की बात हो, आर्टिकल 21(ए) की बात हो, जो ये सारे अधिकार देश की जनता को दिये गये हों और वह जनता अगर किसी कारण से उन अधिकारों से वंचित है तो निश्चित तौर से यह सदन बहुत गंभीरता से विचार करेगा कि जिस संविधान की रक्षा के लिए हम इस सदन में हैं और उस संविधान के उस अनुच्छेद के अधिकारों से कोई इस कारण से वंचित रह जा रहा है कि वह ट्रांसजेंडर है या विपरीत लिंग में है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि क्या किसी व्यक्ति के पास कोई मौलिक अधिकार है कि वह कहां पैदा होगा, किस राज्य में पैदा होगा, देश के किस हिस्से में पैदा होगा, देश के किस परिवार में पैदा होगा, किस मां की कोख से पैदा होगा और अगर पैदा भी होगा तो क्या उसको यह अधिकार है कि वह मेल के रूप में पैदा हो या फीमेल के रूप में पैदा हो, आखिर उस बच्चे का क्या गुनाह है कि अगर वह मेल या फीमेल पैदा नहीं हुआ, दुर्भाग्य से ट्रांसजेंडर पैदा हो गया तो इसमें निश्चित तौर से इस आधार पर कि अगर वह या तो पुरुष या स्त्री के रूप में उसका जन्म नहीं हुआ चाहे वो कोई भी परिस्थिति रही हों चाहे बॉयोलॉजिकल हो चाहे अन्य कारण हों, लेकिन उन कारणों के कारण वह पूरी जिन्दगी एक त्रासदी से गुजरे। पूरी जिंदगी समाज में उपेक्षा के तानों से गुजरना पड़े, कहीं उसका बहिष्कार हो या परिवार उस अलग कर दे, उसके जीवन में अधिकार नाम की कोई चीज न हो और वह भी इसलिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि यह हमारी जिम्मेदारी है और सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रगतिशील कदम उठाए भी हैं। नेपाल की तरह अब भारत में भी पासपोर्ट के निर्माण में जहां अभी तक मेल या फीमेल का कॉलम होता था, वहीं एक कॉलम ट्रांसजेंडर का बनाने की बात हुई है। अभी तक किसी ट्रांसजेंडर को अगर पासपोर्ट बनाना होता था तो उसे मेल या फीमेल के

कॉलम में टिक करना होता था। लेकिन वह पासपोर्ट लेकर दुनिया के किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे दूसरी धरती पर किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा या वहां की पुलिस की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उनके लिए हर तरह की समानता होनी चाहिए। उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए चाहे राइट टू लाइव की बात हो, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो, चाहे राइट टू लिव इन दि कम्यूनिटी में हो या राइट टू इंटिग्रिटी की बात हो, उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करने की बात होनी चाहिए। आज इनके पास कोई अधिकार नहीं है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह किस न्यायालय में जा सकता है। किसी कानून के अंतर्गत वह अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने का हक मिलना चाहिए। इसे दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि हम इस संबंध में जरूर कुछ करें। मैं आपका ध्यान आर्टिकल 15 की तरफ ले जाना चाहता हूं।

> "(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them
> (2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to
> (a) access to shops, public restaurants, hotels and palaces of public entertainment; or
> (b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public
> (3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children. "

इस कानून ने यह भी कहा है कि इसके लिए राज्य के पास अधिकार होंगे कि वह स्पेशल प्रोविजंस का भी निर्माण करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमारा संविधान अधिकार देता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सैक्स और बर्थ के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है तो सैक्स कौन डिसाइड करेगा। अगर सैक्स में निश्चित तौर पर इसका उल्लेख होता कि मेल है या फीमेल है तो निश्चित तौर पर यह संविधान भारत में जो पुरुष या स्त्री के रूप में पैदा हुए हैं, उन्हीं के अधिकारों की रक्षा की बात करता। सैक्स में तो तीनों जेंडर हैं। अगर हम उनके लिए कोई कानून नहीं बनाते हैं तो एक तरह से हमारे संविधान के आर्टिकल 15 का ही अपने आप में कहीं न कहीं वायलेशन हो रहा है। इसी तरह से मैं अनुच्छेद 21-ए की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

> "The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine."

आखिर 21 ए में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी मानते हैं और इसमें यह भी है कि छः वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को फ्री कमपल्सरी एजुकेशन देते हैं। अभी पिछले दिनों हमने आरटीई ऐक्ट भी पारित किया है ताकि लोगों को फ्री और कमपल्सरी एजुकेशन मिले। जहाँ हम इस तरह के प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं, संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था, उस शिक्षा के मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए, उसे लागू करने के लिए हम अलग से एक विधेयक लेकर आए हैं। इसके लिए भारत सरकार संघीय ढांचे में एक बड़ी फंडिंग कर रही है। हर ब्लॉक्स में मॉडल स्कूल्स खुल रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं, वे किस स्कूल में जाएंगे, जब तक इनके लिए कोई व्यवस्था न हो। या तो वे अपने सेक्स को छिपाने की कोशिश करेंगे, मेल अपने को फिमेल कहें या किन्हीं परिस्थितियों में वह स्कूल यह उल्लेख करता है कि वह मेल नहीं है या फिमेल नहीं है, तो उसे स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। इस तरह की परिस्थितयाँ हों कि जब हम दुनिया के सामने बात करें कि हम से ज्यादा कोई प्रगतिशील नहीं है तो इस संबंध में हम निश्चित रूप से ऐसा करते हैं। उन्होंने बहुत-से राज्यों का उल्लेख किया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। जब आज हम इसकी चर्चा सब जगह कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, आज यह माना जाता है कि अगर कहीं भी डिनाइल ऑफ सोशल जस्टिस है, तो इसका मतलब है डिनाइल ऑफ इकोनोमिक जस्टिस, डिनाइल ऑफ पोलिटिकल जस्टिस। यदि हम किसी को सामाजिक न्याय नहीं दे रहे हैं तो वह केवल इसी से नहीं अलग हो रहा है, बल्कि उसे हम आर्थिक रूप से भी विपन्न कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी वंचित कर रहे हैं। यह उदाहरण हो सकता है कि जैसा कि हमारे प्रह्लाद भाई ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधायक या विधायिका के रूप में एक चयन हुआ, हम इसका स्वागत करते हैं। केरल में पुलिस में एक भर्ती हुई। लेकिन लाखों लोगों की संख्या में हम यह उदाहरण दें कि केरल में एक सब-इंस्पेक्टर बन गयी या बन गये या गोरखपुर में मेयर बन गयी या बन गये, तो इसका मतलब है कि अगर अवसर मिले तो ट्रांसजेंडर के लोगों में भी अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने की योग्यता है, उनमें अपनी सार्थकता को सिद्ध करने की अपार संभावनाएँ हैं। उनमें यह क्षमता है कि वे अपने व्यक्तित्व से समाज में अपने को संदर्भित करते हुए अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं। यदि लाखों लोगों में हम पाँच उदाहरण दें तो स्वाभाविक है कि उस प्रकार की तमाम संभावनाओं के बावजूद भी आज उनमें प्रतिभा रहती है। महाराष्ट्र की एक बात की गयी। महाराष्ट्र में पूरे लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक की बात या लॉ एंड ऑर्डर मेन्टेन करने की बात हो, कहीं एसेम्बली हो रही हो, कहीं मेला हो रहा हो, कोई क्राउड हो, तो उस क्राउड में भी वे जिस प्रकार से रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वे समाज के लिए एक लायबिलिटी नहीं हैं, वे समाज के लिए कोई अभिशाप नहीं हैं और न ही समाज के

लिए कोई बोझ हैं। आज वे समाज के लिए एक एसेट हो सकते हैं। उनको एसेट बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उनका जो अधिकार है, उसे उनको दिया जाए, उन अधिकारों से वे वंचित न हों, तो आज शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, नौकरी का अधिकार जैसे तमाम अधिकार वे चाहते हैं, तो इसके लिए देश में केवल एक ही माध्यम हो सकता है जब इसे हम एक विधेयक के रूप में लाएं। आज ट्रांसजेंडर्स के सामने जितनी कठिनाइयाँ हैं, जितनी चुनौतियाँ हैं, वे आज जिस तरह से समाज में सफ़र कर रहे हैं, वे हॉस्पीटल्स में सफ़र कर रहे हैं।

18.00 hours

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, Shri Jagdambika Pal, it is six o'clock. You can continue with your speech the next time.

HON. CHAIRPERSON : Now, the House will take up `Zero Hour'.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Mr. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak on a subject which has serious implications on hundreds and thousands of people living in our country.

The diagnostic and research industry in our country is passing through one of its best times in the history. This industry is expected to touch a revenue of around 300 billion this year which is growing at a compounded annual growth of 17 per cent. While this is good news for those who are working in this industry, there is a story which is on the other side of it.

There are about 50000 diagnostic laboratories in the country and only one per cent of that is having accreditation from National Accreditation Board. It is one per cent for a country like India, the corresponding figure for other emerging economies like Brazil is about 85 to 90 per cent. Since this sector is not getting regulated, it is having a cascading effect on our people. There are no laws in the country which is governing this sector. Even though the Government passed the Clinical Establishment Act five years back, in 2011, the provisions of that Act are still to be implemented on the ground.

What is the result of it? I will just give an example of what happened in my parliamentary constituency in Balasore. Just last week, one particular individual who was suffering from high fever, the doctor said that he could be suffering from Dengue. He did three tests simultaneously. One lab report showed the platelet count as 46000; another lab showed the platelet count as 1,25,000 and third lab showed the platelet count as 2,40,000. At one go these were the three different reports that came. What was the result of it? The result of it is that the doctor who will prescribe the medicine can go absolutely wrong. So, the lives of humans are severely at stake. My point is, how can the Government keep quiet in this kind of scenario and allow this sector to remain completely unregulated. So, under the circumstances I would like to urge upon the Central Government and the Ministry of Health to take cognizance of this serious menace. It is completely an unregulated sector and 70 per cent of the medicines are prescribed based on

pathological tests. The Act must be implemented and this sector must be brought under control and inspection.

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Rabindra Kumar Jena.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान निरन्तर बढ़ते हुए ई-कचरे के खतरे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

भारत में ई-कचरे या ई-वेस्ट के उचित प्रबन्धन का अभाव है, जिस ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और समय रहते आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण को हो रही बर्बादी से बचाया जा सके।

महोदय, ई-कचरे के अंतर्गत वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी हो। कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, टी.वी., फ्रिज, ए.सी. इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं, जिनके बिना अब हम सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, परन्तु इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब हो जाने या अपनी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाने के बाद, इनके उचित निस्तारण या प्रबन्धन की कोई प्रभावी योजना हमारे पास नहीं है।

हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग चार लाख टन ई-कचरे का उत्पादन होता है। "ई-वेस्ट इन इंडिया" नाम से प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार भारत में उत्पन्न होने वाले कुल ई-कचरे का लगभग 70 प्रतिशत केवल दस राज्यों के 65 शहरों से आता है।

साधारणतया ई-कचरे का निस्तारण असंगठित क्षेत्र के अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस कार्य के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों से भी अनभिज्ञ हैं। इस वक्त देश में लगभग 16 कंपनियां ई-कचरे के रिसाइकलिंग के काम में लगी हैं। इनकी कुल क्षमता साल में लगभग 66 हजार टन ई-कचरे को निस्तारित करने की है, जो देश में पैदा होने वाले कुल ई-कचरे का लगभग दस प्रतिशत है। ई-कचरे में कई तरह के खतरनाक रसायन तथा अन्य पदार्थ जैसे सीसा, कांसा, पारा, कैडमियम पाए जाते हैं, जिनके निस्तारण की व्यवस्था वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए।

अतः मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस विषय को अविलम्ब अपने संज्ञान में लाते हुए ई-कचरे के प्रबंधन एवं निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Shri Pushpendra Singh Chandel and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Naranbhai Kachhadia.

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार ने सबका साथ-सबका विकास और कॉपोरेटिव फेडरेशन का नारा लगाया है, खासकर हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों के जो हालात हैं, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो घटना घटी, वह एक उदाहरण है, जिससे प्रजातंत्र पर धब्बा लगा है। राष्ट्रपति जी ने 'मिनीमम गवर्नमेंट, मेक्सिमम गवर्नेंस' की बात कही है, यह घटना जो वहां घटी, प्रजातंत्र के मुंह पर एक तमाचा जड़ा गया है इसलिए यह घटना सही है या गलत, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां के महामहिम गवर्नर ने जिस प्रकार से केन्द्र सरकार की मदद से राज्य सरकार को गिराने का षड़यंत्र रचा और कामयाब भी हुए...(व्यवधान) सरकार ने वहां नियमों की धज्जियां उड़ा दीं ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): .यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री निनोंग इरिंग : जो संविधान का टेंथ शिड्यूल है, उसे वहां खत्म कर दिया गया है।...(व्यवधान) आप देखें कि कैसे सांप और नेवला एक साथ एक बिल में रह सकते हैं...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : यह मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है।

श्री निनोंग इरिंग : मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है और न ही मैं ईल्ड कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि यह मामला अभी सब-जूडिस है, लेकिन वहां कैसे सरकार बनाई गई, सरकार बनी तो उसे मुबारकबाद, लेकिन यहां अगर हम, बीजेडी और अन्य लोग राजनाथ सिंह जो प्रधान मंत्री बनाने के लिए सपोर्ट करें, तब क्या होगा। आपने वहां संविधान के टेंथ शिड्यूल को खत्म कर दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसने संविधान के प्रति जो नकारात्मक काम किया है, वह सही है या नहीं? मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल का निर्णय क्या ठीक था या नहीं, वह आप देखें।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : राज्यपाल के नाम को रिकार्ड से डिलीट कर दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON : The name should be deleted.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र जम्मू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने की बड़ी आवश्यकता है। उसका कारण यह है कि केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा अच्छी होती है, टीचर्स भी अच्छे होते हैं और बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मेरे क्षेत्र में बिश्ना, नौशेरा जो कि एक तहसील है, सब डिवीजन है और जिला राजौरी में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे पुंछ जिले में भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। ये तीन स्थान ऐसे हैं, जहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने

की मांग वहां के लोग काफी अर्से से कर रहे हैं। इसे लेकर वहां के बच्चों के माता-पिता धरना भी दे चुके हैं और प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उनकी इच्छा है कि दूर-दराज का एरिया होने के कारण यहां अच्छे स्कूल्स नहीं हैं और केन्द्रीय विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे बच्चे केन्द्रीय विद्यालय में पढ़-लिखकर अच्छे देश सेवक और समाज सेवक बन सकते हैं। राजौरी जिला बॉर्डर पर है इसलिए वहां केन्द्रीय विद्यालय जरूर होना चाहिए। इसके अलावा बिश्ना भी बॉर्डर पर पड़ता है इसलिए वहां के लोगों की समस्या और इस मांग को ध्यान में रखते हुए कि वहां के बच्चे अच्छे नागरिक बनें, पढ़-लिखकर देश की सेवा करें, इन तीन जगहों पर तुरंत केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग मैं शिक्षा मंत्री जी से करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

HON.CHAIRPERSRON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Jugal Kishore.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): There was a proposal for construction of five new Government medical colleges in the State of Odisha with an initial project cost of Rs. 189 crore each taken up under the Centrally Sponsored Scheme, to be attached with the existing district or referral hospital with the fund sharing of 75:25 between the Centre and the State. That is going on in full swing. Admission in these new medical colleges for MBBS students has been scheduled to commence from 2017-18 academic session.

The Odisha Government on its part has made adequate Budget provision for the project despite the State's financial crunch. Now, the Revised Estimate has come to around Rs. 2,450.90 crore for the five proposed medical colleges. One is in Balasore. My colleague, Shri Jena, spoke on a different subject. It is in his constituency. There are five medical colleges which are supposed to be taken up. But in-between, after repeated persuasions by our State Government and by the MPs from my Party from Odisha, Rs. 55 crore have already flown in from the Central Government. The share would have been much more. The Odisha Government has already put in Rs. 330 crore to construct these five medical colleges. I had personally met the Minister of Health and Family Welfare and made a request to him in this regard.

Now, I am raising it in this House because not much fund has flown after that. Only Rs. 55 crore have been released by the Central Government. Already the State Government has spent Rs. 330 crore for the construction of these five medical colleges.

I urge upon the Central Government to bring the cost sharing pattern between the Centre and the State in the ratio of 75:25 as it was agreed earlier. Now, they have made it 60:40. That is why, my request would be to bring it to the previous pattern of 75:25 and release the remaining funds to the State Government as early as possible....(व्यवधान) स्टेट हिस्सा तो 25 से 40 कर दिया है, पहले यह 75 और 25 था, अब 60 और 40 कर दिया है। इसको 75 और 25 किया जाए और धन भी भेजा जाए।

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri P.P. Chaudhary and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the matter raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र भारत-पाक सीमा से लगभग 600 किमी से ज्यादा सटा है। अशिक्षा एवं संसाधनों के अभाव में यह क्षेत्र हर दृष्टि से पिछड़ा है। संचार के साधनों की कमी के कारण यह क्षेत्र आधुनिक साधनों एवं सुविधाओं से वंचित है। इस एरिया का क्षेत्रफल लगभग 60 हजार वर्ग किमी है, जिसकी जनसंख्या 3273660 है। 19 ब्लॉक में 581 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 3300 राजस्व ग्राम हैं। रेगिस्थानी क्षेत्र और उद्योगों के अभाव में जयादातर स्थानीय जनता व्यापार एवं मजदूरी हेतु अन्य प्रदेशें में जाते हैं। उनके घर पर आशिक्षित परिवारजन को बैंकिंग एवं डाक सेवाओं की नितान्त आवश्यकता होती है। बाडमेर मंडल में एक प्रधान डाक घर, 4 स्थानों पर एसएलजी है, दो स्थानों पर दो त्रिव्यक्ति डाक घर है, 15 स्थानों पर द्विव्यक्ति डाक घर, 13 स्थानों पर एकल व्यक्ति डाक घर है। जो उपभोक्ता, जनसंख्या एवं अधिनस्थ कार्य क्षेत्र को देखते हुए अपर्याप्त है। डाक घरों में अपर्याप्त स्टाफ एवं संसाधनों के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बैंकिंग एवं अपनी डाक संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, अतः मेरी मांग है कि डाक घरों में बैंकिंग, डाक, बीमा, ई-मित्र सेवाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवाएं, ई कॉमर्स आदि क्षेत्र के कार्यों को समय पर संपादित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में द्विव्यक्ति डाक घरों की सेवाएं बढ़ाई जाएं।

सेवड़ा, गिडा, रानीगांव, मेवानगर, रावतसर जैसे डाकघरों में सिफी नेटवर्क से जोड़ने हेतु बीएसएनएल का बीटीएस स्वीकृत कर बैंकिंग सोल्युशन सिस्टम से जोड़ा जाए। 3300 गांवों को कवर करने

के लिए मात्र 471 गांवों में जो डाक सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाते हुए ग्रामीण डाक घरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। डाक घरों के लिए आरक्षित भूमि पर चारदीवारी एवं भवन निर्माण के अभाव में लगातार अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ रही है। विभाग अपनी भूमि पर कब्जा रखने के लिए भवन या चारदीवारी निर्माण कराएं।

HON. CHAIRPERSON: Shri Choudhary, only one matter is allowed.

COL. SONARAM CHOUDHARY: I am concluding. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)… *

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the matter raised by Col. Sonaram Choudhary.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से डीजल-पेट्रोल पर ओवरचार्जिंग हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का पत्र दिनांक 19.01.2015 में भारत स्टेज-4 ऑटो फ्यूल को लागू करने की बात राजस्थान के चार डिस्ट्रिक्ट्स में करने की बात की गयी थी, जिनमें अलवर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ है। यह जो रिक्मैंडेशन थी, यह रिक्मैंडेशन एक्सपर्ट कमेटी ऑन आटो फ्यूल विजन पालिसी, 2025 के रूप में की गई। मेरा इतना ही कहना है कि जो हनुमानगढ़ और गंगानगर हैं, वे राजस्थान के नार्थ हिस्से में पड़ते हैं और राजस्थान के अंदर भारत स्टेज 4 फ्यूल सप्लाई का डिपो भरतपुर में है। 600 किलोमीटर की दूरी होने के कारण अप एंड डाउन 200 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ती है, जिससे फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आसपास के डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में 3.75 रुपये का एक्सट्रा रेट कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो पास ही में 50 और 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर भटिंडा की रिफाइनरी पंजाब में स्थित है, उसके थ्रू गंगानगर और हनुमानगढ़ को सप्लाई दी जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट केवल 50 पैसे रहे, न कि 3.75 रुपये रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो सप्लाई हनुमानगढ़ और गंगानगर है, वह भटिंडा, पंजाब से देकर लोगों को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Kaswan.

---

* Not recorded.

SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Kandhamal, my Parliamentary Constituency, is the most backward and under-developed district of Odisha, but is full of natural resources. So, I request that mega food processing industries for products like turmeric, ginger, coffee, mahua flower, sal seed oil extraction and mango etc. may be set up with the assistance of the Ministry of Food Processing and the Ministry of Small and Medium Enterprises, Government of India and the Spices Board of India.

HON. CHAIRPERSON: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Pratyusha Rajeshwari Singh.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चार लिग्नाइट ब्लाक राज्य सरकार के पीएसयू गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड को आरक्षित रखने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। माइंस एंड मिनरल (डैवलपमैन्ट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 की धारा 17(ए)(2) तथा 2 (ए) के अंतर्गत जो चार लिग्नाइट ब्लाक्स हैं, वे लखपत पूर्णराजपुर 3310 हैक्टेअर, दमलाई पडाल 1400 हैक्टेअर, धला बोगान 1600 हैक्टेअर और सोडागाम, पिठोर, तूना 3015 हैक्टेअर को राज्य सरकार के पीएसयू गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड को आरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार के उद्योग तथा खनिज विभाग ने पत्र दिनांक 16.02.2015 के द्वारा केन्द्र सरकार के कोल मंत्रालय को विनती की है। लेकिन इस पर अभी तक आगे कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि इन चार लिग्नाइट ब्लाकों को गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड के लिए आरक्षित रखने की मांग जो लंबित है, उसे तुरंत ही मंजूरी दी जाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Jaishreeben Patel.

श्री हरीश मीना (दौसा) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब से केन्द्र में मोदी सरकार आई है, तब से लोक कल्याण की बहुत सारी नीतियां इन्होंने अपनाई हैं, परंतु इन नीतियों का पूरा लाभ तब मिलेगा, जब हर जगह बैंक हो, क्योंकि आज जो भी कल्याणकारी नीति है, चाहे पेंशन की हो, चाहे जनधन की हो, चाहे सब्सिडी की हो, सब बैंक खातों

से जुड़ी हुई है। राजस्थान में समस्या यह है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से 25-30 किलोमीटर दूर है, दूरदराज के इलाके हैं, जैसे मेरी कांस्टीटुएंसी दौसा है, उसमें तीन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं - अलवर, दौसा और जयपुर। कोई ब्रांच नहीं है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अगर हर ग्राम पंचायत में एक नेशनलाइज बैंक की शाखा खुल जाए तो लोगों को उसका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में पांच-पांच गांव आते हैं। इसके लागू हो जाने से पूरे देश को इसका लाभ होगा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से विनती करूंगा कि कम से कम एक ग्राम पंचायत में एक नेशनलाइज बैंक की शाखा शीघ्रातिशीघ्र खोलें। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Manoj Rajoria, Shri C.R. Chaudhary, Shri Ramesh Bidhuri, Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri P.P. Chaudhary, Shri Vinod Kumar Sonkar, Shri Sharad Tripathi and Shri Jagdambika Pal are permitted to associate with the issue raised by Shri Harish Meena.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

The tea garden community in the State of Assam comprises of around 17 per cent of the State’s population. Their origins are from various States namely, Odisha, Madhya Pradesh, Bihar etc. and they are a vibrant part of Assam’s culture and economy. They are roughly concentrated in around 798 tea gardens. But their welfare conditions have to be supervised by the management. But, their welfare conditions have to be supervised by the management. These welfare conditions are to be governed by the norms of the Plantations Labour Act, 1951. Yet we have found that often these private companies, whose gardens are in Assam but whose headquarters are in Kolkata, are not adhering to the norms of the Plantations Labour Act. These private companies and this industry is under the rules and regulations of the Ministry of Commerce, Government of India. Therefore, through you, I request the Government of India and the Ministry of Commerce to instruct these private companies to adhere to the Plantations Labour Act and improve the conditions of drinking water, health, sanitation and hospitals.

The youth of this community and the women of this community are very talented. They were initially working on the tea gardens as labour but now they are part of aspirational India. They want to be the future generation of Army officers, doctors, engineers. Yet, we have to give them the necessary infrastructure. For this, the following things are essential.

Hostels must be there in each sub division of a tea-dominated district for students and young professionals.

Residential vocational training schools must be there so that they can get proper education. In this regard I would like to mention that the hon. Minister of Human Resource Development, Smriti Irani *ji* visited Assam a few months ago and promised that there would be 14 new Navodaya Vidyalayas in the State of Assam. We hope to see that in the Budget on 29^{th}.

Thirdly, coaching centres must be there to provide counselling for students preparing for exams related to police, medical, APSC and UPSC.

Women working in tea garden community have a long problem of anaemia. They do not get the necessary maternal guidance. Therefore, nutritional and maternal counselling centres for pregnant mothers must be there.

There are so many languages because they come from different States. There are so many folk languages, dialects and literature but this is all oral in tradition. Therefore this needs to be properly archived and documented. Therefore, a programme to promote indigenous literature, folk stories and languages of tea tribes/communities is very important.

I request the Central Government to introduce a programme like UDAAN which they announced in Jammu and Kashmir, a similar programme of Rs. 1000 crore package for youth and women of the tea garden communities of Assam.

In this regard, the State Government has already requested close to Rs. 5,500 crore for the overall socio-economic development of tea garden workers, amendment to the Plantations Labour Act, 1951 and specially the headquarters of Tea Board, which is now in Kolkata, to shift to Guwahati. Assam produces 30 per

cent of India's tea; yet the headquarters are in Kolkata. Tea gardens are in Assam but the officers are there in Kolkata. Therefore, we request the headquarters to be moved to Assam and a provision of 12,590 million tonnes of additional food grain monthly to tea garden workers at subsidised rate may be made. This is the request of the State Government in addition to my earlier request of Rs. 1000 crore special package for the welfare of tea garden community specially women and young workers. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Gaurav Gogoi.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय को उठाने जा रहा हूँ, इस भारत भर के लाखों नौजवान और विदेशों में जो लोग रहते हैं, खास कर अमरीका में जितने भी भारतीय रहते हैं, वे वहां पर यदि कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो तरह-तरह की मुश्किलें आती हैं। खास कर अमरीका में व्यापार और निवेश करना हो तो बाकी पूरे विश्व को देखा जाए तो लगभग 80 देश ऐसे हैं, जिनको इ-1 और इ-2 वीज़ा के तहत वहां पर मान्यताएं मिलती हैं, जिनमें चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ऐसे देश भी शामिल हैं। परंतु भारत जहां पर 125 करोड़ की आबादी का यह देश है और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय अमरीका में रहते हैं और जब उन्हें कोई व्यवसाय करना होता है, तो वह इ-1 और इ-2 वीज़ा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि हमारे भारत की और अमरीका की कोई ऐसी संधि हुई नहीं है। वर्तमान के अंदर यदि कोई करना चाहता है तो एल-1 और इबी-5 श्रेणी का वीज़ा उपलब्ध है। अब इन दोनों के वीज़ा के लिए यदि हम देखते हैं तो इ-1 और इ-2 श्रेणी की अपेक्षा नियमों में एल-1 और इबी-5 वीज़ा बहुत ज्यादा सख्त है। यदि कोई इसके अंदर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, इबी-5 श्रेणी का वीज़ा प्राप्त कर के यदि निवेश करता है तो कम से कम पांच लाख डॉलर या दस लाख डॉलर का निवेश हो, तब जा कर वह कर पाता है। बाकी ई-टू श्रेणी के अंदर तो केवल पचास हजार का निवेश करके वह कर सकता है, तो यह जो भेदभाव है, जिसकी वजह से भारतीय इंटरप्रिन्योर जितने भी विदेश में जाकर व्यवसाय करना चाहते हैं, इस भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। एल-वन वीजा के अंदर ऐसा है कि कम से कम एक वर्ष तक वहाँ पर व्यवसाय का अनुभव हो और कई तरह की ऐसी मुश्किलें वहाँ पर होती हैं। अब अमेरिका की टीवी चैनल्स पर भी इसकी बहुत बहस हुई है और बहस होने के बाद एक ऐसी मान्यता बनी है कि हाल ही में पूर्ण बहुमत से जीती हुई भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है, जिन्होंने विश्व भर के अंदर ऐसी उपलब्धियां पाई हैं और अच्छे रिश्ते हुए हैं, तो यही सरकार है, जो यह

सन्धि कर सकती है, जिससे लाखों भारतीयों को, वहाँ रहने वाले भारतीयों को व्यवसाय करने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि यह वार्ता आगे बढ़े और ऐसी सन्धि हो, जिससे लाखों भारतीय युवाओं को एक अच्छा मौका मिलेगा। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Manoj Rajoria, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Mahesh Girri.

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Thank you Sir. I want to draw your kind attention towards a burning, sensitive and continuous problem of my constituency Karimganj, which I have already mentioned during 'Zero Hour' on 15th May 2015. I wrote to the hon. Home Minister and the Minister of State (Home), who referred the matter to the Minister of State (Defence). In his reply to the Minister of State (Home), the Minister of State (Defence), said that he is looking into the matter for redevelopment of Army camp in the southern part of my constituency but till today redeployment of Army camp was not considered. Some Anti-social elements and extremists are again and again kidnapping innocent citizens. On 21st February 2016, one Abdul Kalam of Lamajuar was kidnapped from Jankibazar and taken away towards the southern part of Hailakandi district. On 23rd February 2016 from Rankol Basti of Ratabari, two more persons were kidnapped.

It may be mentioned here that 177 Field Regiment of Army was deployed in the year 2009 with their base camp in that area for countering insurgency operations but in the month of August 2013 this was withdrawn suddenly without any prior information and replacement by the Union Government.

Through this august House, I once again request the Union Government to provide Army camp at southern part of Ratabari, Patharkandi of Karimganj district and at Southern part of Katlicherra under Hailakandi district of Assam to protect the life and property of innocent citizens. Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। किसानों की 67 पर्सेंट आबादी देश के सभी राज्यों में रहती है। उस किसान की एक मात्र नगदी फसल गन्ना है। एक तरफ अभी कल हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि 21 हजार करोड़ रूपए गन्ना मूल्य किसानों का देश के मुख्तलिफ राज्यों में बाकी था। लेकिन मैं बधाई दूंगा कि हमारी केन्द्र में सरकार थी और प्रधानमंत्री ने स्वयं पहल की। प्रधानमंत्री की पहल से बैंकों को 6 हजार करोड़ रूपए उन राज्यों में मिले जिससे आज किसानों का भुगतान हुआ। इसके बावजूद भी अभी उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ना मूल्य नहीं मिल रहा है। मोदी नगर में कल वहाँ के हजारों किसानों ने धरना दिया। यहाँ तक मिल को बंद कर उस पर ताला लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम आज से डेढ़ करोड़ रोज का पेमेंट करेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) बिहार में भी यही स्थिति है, ऐसा हमारी बहन कह रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी किसान की नगदी फसल, कैश क्रॉप केवल गन्ना है। आज चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। एक तरफ उनका पेमेंट नहीं हुआ, दूसरी तरफ खेतों में गन्ना खड़ा है। आज बस्ती की चीनी मिल बंद है, मुंडेरवा चीनी मिल बंद है, संत कबीर नगर हमारे पड़ोसी शरद त्रिपाठी जी के क्षेत्र में खलीलाबाद चीनी मिल बंद है, देवरिया, भटनी बंद है और फरीदा बंद है। इस तरह से सारी चीनी मिलें बन्द होंगी। आखिर किसान के पास फिर कौन सी नकदी फसल होगी? गन्ने की पर्चियों के भुगतान से किसान अपने बेटे की फीस जमा करता है, बेटी जब सयानी हो जाती है तो उसके हाथ पीले करके उसे विदा करता है। अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए वह गोरखपुर मैडिकल कालेज और लखनऊ मैडिकल कालेज में जाता है। अगर उसके पास वह पर्चियाँ नहीं होती हैं तो वह मरीज़ अस्पताल के दरवाजे पर तिल तिल करके अपनी एड़ियाँ रगड़ता है। निश्चित तौर से यह विषय राज्य का है, लेकिन आज जो बंद हो रही चीनी मिलें हैं, बस्ती चीनी मिल जो सबसे अच्छी चीनी मिल कहलाती थी और मैनचैस्टर में वहाँ की चीनी जाती थी, सबसे बड़े दाने की चीनी बनती थी, गुजरात और महाराष्ट्र से भी अच्छी क्वालिटी की वह चीनी बनती थी। आज रिकवरी होने के बावजूद उसको बंद कर दिया है। तो कम से कम बस्ती चीनी मिल को चलाने की कार्रवाई हो, जिससे वहाँ के किसान अभी भी धरने पर हैं। पिछले दो वर्षों से वहाँ पर क्रमिक अनशन चल रहा है। किसान और मज़दूर मिल के समक्ष रोज़ धरना देते हैं। हम लोग इस संबंध में लगातार प्रदेश स्तर पर भी लिख चुके हैं और कह चुके हैं। अब हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि कम से कम केन्द्र सरकार इस बात को निर्देशित करे कि बस्ती चीनी मिल को तत्काल चलाया जाए, खलीलाबाद चीनी मिल को तत्काल चलाया जाए, मुनरवा मिल को चलाया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय रूरल डैवलपमैंट और पंचायती राज मंत्री भी यहाँ विराज रहे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। मैं इनके समक्ष अभी एक पूरे देश और मेरी स्टेट से संबंधित समस्या रखना चाह रहा हूँ। In fact, I was taking a meeting to review the Centrally-sponsored Schemes in the Nagaur District. रिव्यू करते समय मनरेगा जो कि एक बहुत अच्छी योजना है और जिसमें करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उससे संबंधित गाइडलाइन्स में दो-तीन बिन्दु ऐसे आए हैं जिसके कारण लोगों को काम कराने में प्राबलम आ रही है। The first one is regarding material and labour component, and the ratio of material and labour component is 40:60. इसमें 60 लेबर है और 40 मैटीरियल है। All public representatives wanted that this ratio should be 50:50. तो पहले मनरेगा में इसको 50:50 करने का निवेदन है।

The second major problem is this. All the public representatives requested for the tender system in that meeting, and they wanted that the tender system should not be there because a lot of contractors give very low rate in comparison to the BSR rates, that is, 35 per cent below the BSR rates. Due to this, we cannot expect good quality work. In MGNREGA, we want durable type of work. हम चाहते हैं कि अच्छे कार्य हों। अगर अच्छे कार्य करवाना चाहते हैं तो टैन्डर्स न रखकर टैन्डर की जगह गवर्नमैंट की और पी.डब्लू.डी. डिपार्टमैंट के जो डिस्ट्रिक्टवाइज़ रेट्स हैं, उन रेट्स पर पंचायतों को काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए। यह उनकी मेजर मांग थी। Hon. Chairperson, Sir, please give me half a minute more. The hon. Minister is here.

तीसरी मेजर डिमांड थी कि जो लेबर की पेमेन्ट वेजेज़ हैं, वे मनरेगा के अंदर काफी कम हैं। इस कारण से वे लोग उसमें जा रहे हैं। नाम तो जाब कार्ड पर कोई भी लिखा रखा है, लेकिन काम करीब करीब मशीनों और जेसीबी से हो रहे हैं because old persons and old ladies are going there. इस कारण से अच्छी क्वालिटी का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हरेक राज्य में जो एवरेज लेबर रेट आ रहा है, जो श्रमिकों के लिए 250 रुपये या 300 रुपये हो, जो भी उस राज्य के रेट्स हैं, उसकी तुलना में

यदि लेबर रेट मनरेगा में किया जाए तो अच्छे कार्यों की अपेक्षा की जाती है। इससे पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य में, हमारे राज्य में और हमारे क्षेत्र में क्वालिटी के वर्क्स होंगे। माननीय मंत्री जी यहाँ विराजे हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और पूरे देश और राज्य से संबंधित समस्या को यहाँ उपस्थित करने का अवसर दिया।

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri C.R.Chaudhary.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय विकास में ग्रामीण पर्यटन के योगदान और उससे जुड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश के जीडीपी में पर्यटन का योगदान 6 से 7 परसेंट के बीच में है जबकि विश्व स्तर के जीडीपी में पर्यटन का योगदान 11 प्रतिशत से काफी कम है। भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास की संभावनाओं में जैसे कि करोली, धौलपुर, जैसलमेर के रेतीले टीले, बस्तर के संथाल, असम में बोडो, मणिपुर के लोकटल झील, पुष्कर का मेला, पंजाब का दंगल आदि ऐसी जगहें हैं जहाँ कि ग्रामीण पर्यटन की कफी संभावनाएँ हैं। लेकिन यहां ग्रामीण पर्यटन से जुड़ी समस्याओं में नक्सलवाद की घटना, अपराध की घटना, पर्यटकों से बदसलूकी और कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी मुख्य है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2001 के अनुसार 'भारत मस्तिष्क एवं आत्मा की एक यात्रा है, भारत पांच ज्ञानेन्द्रियों की एक यात्रा है, भारत स्वयं को खोजने की एक यात्रा है, भारत आत्मसंतुष्टि की एक यात्रा है।' इस पंक्ति एवं अतिथि देवो भवः तथा अतुल्य भारत जैसे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है, जैसे पर्यटन पुलिस, दुकानदारों, स्थानीय नागरिकों को संवेदनशील और जागरूक बनाया जाए। सूचना, सुरक्षा तथा आवश्यक फोन नम्बर उपलब्ध कराए जाएं, पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जाये, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाये, गाइड एवं वस्तुओं के रेट्स निश्चित करके रेट बोर्ड लगाये जाएं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि ग्रामीण पर्टन की समस्याओं की तरफ ध्यान देकर हम अपने जी.डी.पी. में पर्यटन के योगदान को विश्व स्तर के काफी नज़दीक ला सकते हैं। इससे लोगों में भारत की सभ्यता एवं संस्कृति तथा दूर प्राकृतिक परिवेश में बसे गांवों से रूबरू होने का पर्यटकों को मौका मिलेगा तथा भारत के ग्रामीण पर्यटन के सम्भावित स्थानों को मंत्रालय की वैबसाइट पर अंकित किया जाये एवं जरूरी सम्पर्क फोन नम्बर उपलब्ध कराये जायें। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairo Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Manoj Rajoria.

Hon. Members, now, the list is exhausted. But other than the list, there are 14 Members yet to speak. So, I would request each of them to make their point within a minute.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, मैं एक बेहद संवेदनशील विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मणिपुर के चूड़चांदपुर जिले में आज 179 दिन से हमारे आदिवासी मंत्री बाहर जा रहे हैं, ट्राइबल्स की नौ लोगों की डैडबॉडी वहां 179 दिन से उनका फ्यूनरल नहीं हुआ। उनमें एक 11 वर्ष का बच्चा भी है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में मृत्यु के उपरान्त किसी के भी संस्कार का सम्मानजनक तरीका निकाला जाता है, लेकिन मणिपुर की सरकार इस बारे में संवेदनहीन है। क्रिसमस के पहले वे डैलीगेशन हमारे पास आया था, उन्होंने कहा कि हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। वहां पर चूंकि वे नौ के नौ लोग आदिवासी हैं, यहां पर आदिवासियों के विकास के लिए, उनके अच्छे काम के लिए मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि कहीं न कहीं इतना संवेदनशील मामला है कि हमें हस्तक्षेप करना होगा। राज्य और केन्द्र का विषय छोड़कर हम इस बात को छोड़ नहीं सकते। मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन 179 दिन से नौ डैडबॉडी रखी हैं और उनका फ्यूनरल नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता।

मणिपुर एक पूर्वांचल का राज्य है और वहां का प्रभारी होने के नाते मैं इस बात को एक बार सदन में उठा चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है, कांग्रेस के लोग इतना दावा करते हैं, इस अवसर पर मैं चाहता हूं कि ऐसे अत्याचार अगर हों और केन्द्र हस्तक्षेप न करे और उसको राजनैतिक मुद्दा अगर आप बनायें तो मुझे लगता है कि यह इस देश के लिए ठीक नहीं होगा। संसद् के माध्यम से चाहे हम निवेदन करें या मंत्री जी आग्रह करें, वहां की सरकार से या वहां के लोगों से, आन्दोलनकारियों से, लेकिन उनका फ्यूनरल होना चाहिए। यह देश की परम्परा के लिए ठीक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON.CHAIRPERSON: Dr. Manoj Rajoria, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Mahesh Giri, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Ramesh Bidhuri, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri P.P. Chaudhary and Shri Jitendra Chaudhury are permitted to associate with the issue raised by Shri Prahlad Singh Patel.

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : मैं भी इनके साथ एसोसिएट करता हूं, जो लोग फ्यूनरल की मांग कर रहे हैं, उसको भी स्वीकार करने के लिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट कदम उठाये।

HON. CHAIRPERSON: Please send the slip for association.

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि पंजाब में पठानकोट में करीब डेढ़ महीने पहले आतंकी हमला हुआ, उसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हुए हैं। उस पर केन्द्रीय बलों के द्‌वारा और भारत की सरकार द्वारा, भारतीय फौज द्वारा वहां पर एक्शन किया गया, उस पर कुछ खर्चा आया है और यह पंजाब की लड़ाई नहीं थी, यह देश की लड़ाई थी। सीमा की सुरक्षा, एयरबेस की सुरक्षा यह केन्द्र का काम था, परन्तु जो 12 करोड़ रुपये खर्चा आया है, इन सीमा बलों के ऊपर या रक्षा करने के ऊपर, वह खर्च पंजाब सरकार से मांगा जा रहा है और बाकायदा केन्द्र सरकार ने चिट्‌ठी लिखी है कि 12 करोड़ रुपया उस खर्चे का पंजाब सरकार केन्द्र सरकार को दे। यह हमारे प्रदेश के साथ सरासर अन्याय है। हम लोग देश की रक्षा के लिए वहां पठानकोट एयरबेस की रक्षा का नहीं, देश की रक्षा का सवाल था, देश की रक्षा के लिए पैसा खर्च हुआ, पंजाब सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और पंजाब सरकार का यह बुनियादी काम नहीं था कि वह एयरबेस की या सीमा की सुरक्षा में किसी न किसी रूप में संलिप्त हो।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पंजाब सरकार द्वारा मांगा जा रहा पैसा बन्द किया जाये और केन्द्र सरकार पूरा पैसा झेले और अपने पल्ले से खर्च करे। धन्यवाद।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति जी, आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, रिजनल रूरल बैंक्स एक्ट वर्ष 1976 में इनैक्ट हुआ। इसके 40 वर्ष हो गए हैं। उसके तहत उस समय ग्रामीण इलाकों में करीब 196 बैंक थे। उसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण इलाकों में आम नागरिकों को, गरीबों को, किसानों को बैंकिंग की सुविधा मिले। लेकिन, धीरे-धीरे मर्ज़र की थ्योरी पर चलते-चलते अभी मात्र 56 बैंक रह गए हैं। मेरा निवेदन है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जन-धन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना और अन्य विकास की जो योजनाएं हैं, उसका फायदा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले, तो हमें ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सिस्टम को सुदृढ़ करना पड़ेगा।

इसके लिए वित्त मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि इस संबंध में हमारा जो एम.पी.एल.ए.डी. का पैसा है, उसे अगर हमें रिजनल रूरल बैंकों में जमा कराने की परमिशन होगी, तो वे बैंक और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। यही नहीं, ग्रामीण विकास का जो पैसा डायरेक्टली जाता है, अगर वे भी रिजनल रूरल

बैंकों में रहें, तो वे बैंक और भी अच्छी तरह से सर्विसेज दे पाएंगे। आज की तारीख में कॉमर्शियल बैंकों में पैसा रहता है, परन्तु ज्यादातर कॉमर्शियल बैंक ग्रामीण इलाकों में ऑपरेट नहीं करते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस तरफ ध्यान दें और कार्रवाई करें।

HON. CHAIRPERSON : Dr. Manoj Rajoria, Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Prahlad Singh Patel are permitted to associate with the issue raised by Shri P.P. Chaudhary.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you hon. Chairman Sir for giving me this opportunity to speak about a very urgent and important issue of the sad plight of *gurukulams* in my constituency. My constituency is Araku which is the only tribal constituency in Andhra Pradesh and we have got four ITDAs operating in my constituency. In the four ITDAs, we have got seven *gurukulams* and 14 mini-*gurukulams*. These *gurukulams* are actually PTG *gurukulams* and the PTG *gurukulams* are in a very bad condition today. The buildings are condemned. Any day the building may collapse and the students may die in that particular *gurukulam*. All the schools are in that shape only. I have recently visited the school where 60 children are sleeping in a small room without any amenity. They are not given any bedsheet. They are not given any infrastructure. The children are left in a very bad shape. We are talking about Swachh Bharat but even toilets are not there. Six hundred students have to go for open defecation. It is very sad plight of the students. There is no drinking water. The students are completely in malnutrition. The hon. Tribal Welfare Minister was here all the time. I wanted to actually speak when the Minister was here. But I request the Tribal Minister, through you, that these *gurukulams* should be taken into consideration because these are the rural schools which are in reach of the tribal children. So, these *gurukulams* have to be immediately renovated and amenities have to be provided. Proper vigilance and monitoring system should also be created for these *gurukulams* in order to provide best education to students.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, लगभग चार वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार ने बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के थानों में पुलिस की कमी को देखते हुए तीन हजार रुपए के मानदेय पर हज़ारों की संख्या में विशेष पुलिस अधिकारियों की बहाली की थी। मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले के सैंकड़ों बेरोज़गार लोगों को एस.पी.ओ. के पद पर बहाल किया गया था, जिनसे वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की ड्यूटी ली जाती है, जैसे चुनाव ड्यूटी में, वी.आई.पी. ड्यूटी में, मेला ड्यूटी के साथ-साथ पुलिस थाने में भी ड्यूटी ली जाती है। जब भी मैं अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जाती हूं, तो समय-समय पर एस.पी.ओ. व उनके परिवारजन मिलकर अपनी तक़लीफ बताते हैं। चाहे मई-जून की चिलचिलाती गर्मी हो, या जुलाई-अगस्त का बरसात का मौसम हो, या नवम्बर-दिसम्बर के कड़ाके ठंढ के समय हो, ये एस.पी.ओ. कानून-व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस के साथ सहयोग करते हैं। वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, परंतु इसके एवज में उन्हें समुचित मानदेय नहीं मिलता है, क्योंकि आज की महंगाई के इस जमाने में तीन हजार रूपए में किसी का पेट नहीं भरेगा, परिवार का भरण पोषण नहीं होगा।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त एस.पी.ओ. के सिपाहियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी कर कम से कम 10 हजार रूपए प्रतिमाह किया जाए, जिससे कि वे लोग अपने कर्तव्य के साथ-साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन समुचित ढंग से कर पाएं।

HON. CHAIRPERSON :Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Rama Devi.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, I would like to raise a very important and very sensitive issue. Tripura is a State of 3.7 million people who belong to two major linguistic groups, Bengali and Kok-Borok. Hence, in all public functions organized by the State Government, announcement or any compering is conducted in both the official languages, Bengali and Kok-Borok, for reaching out and for the convenience of the people. But unfortunately, the same practice is not followed at Agartala Airport and railway stations in Tripura, which often creates some inconvenience to the passengers and the common people.

I would like to request, through you, Sir, the Central Government to direct both the Ministries of Civil Aviation and Railways to arrange announcement in Kok-Borok, one of the official languages in Tripura, besides Bengali, English and Hindi in all airports and railway stations in Tripura. This is very much required to ensure public convenience as well as to build a sense of pride and unity among the sections of the population in the State. Thank you, Sir.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे दिल्ली की एक बड़ी सेंसेटिव समस्या पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के अंदर गंदगी का ढेर लग रहा है। यह एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी है। राज्य की जो सरकार है, वह राजनीति के अलावा कुछ कर नहीं रही है। दिल्ली की 1,600 अनाधिकृत कालोनियाँ हैं। उनके अन्दर आज से एक-डेढ़ साल पहले कुछ प्लान बने थे, जो सीवर डालने के थे। उसको अब समाप्त करके जल बोर्ड ने कुछ दिनों पहले ही, मुख्यमंत्री साहब ने सीवेज मास्टर प्लान, 2031 का मसौदा तैयार किया है, जो देखने में केजरीवाल जी द्वारा डॉयरेक्ट किया हुआ ट्रायल जैसा ही लगता है। प्रपोजल में दिल्ली की बेसिक सीवर समस्या को दरकिनार करते हुए आँखों पर पट्टी बाँधकर कुछ ही प्लान किया है। पूरे मास्टर प्लान में केजरीवाल सरकार के हिसाब से नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी लगाना ही समस्या का निवारण है, जबकि दिल्ली का पुराना अनुभव है कि सिर्फ नए एसटीपी इस समस्या का निवारण नहीं है। दिल्ली में अभी 34 एसटीपी हैं, जो 21 लोकेशन पर हैं, जो अभी बस 57 प्रतिशत कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। यह मास्टर प्लान इस बात पर कुछ नहीं बताता कि मौजूदा एसटीपीज पूरी कैपेसिटी पर कैसे ऑपरेट होंगे?

दूसरी खामी यह है कि इस मास्टर प्लान में 75 नए एसटीपीज 38 लोकेशन पर शुरू करने का प्लान है, जो कि बस हवा-हवाई लगते हैं। दिल्ली राज्य में जो एसटीपी अभी मौजूद हैं, उन्हें पिछली सरकारों द्वारा ऐसी जगह लगाया गया, जहाँ उनकी जरूरत थी ही नहीं।

महोदय, दिल्ली में जगह की बहुत कमी है। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड का यह प्लान बचकाना प्रतीत होता है। दिल्ली में सीवेज की समस्या बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ भी है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सीवेज की समस्या से ग्रस्त स्थानों पर कॉलरा जैसी अन्य बीमारियाँ, डेंगू जैसी बीमारियां हमेशा फैलती हैं।

दिल्ली देश की राजधानी है और इस कारण हमारा दायित्व भी इसके लिए ज्यादा हो जाता है मगर आज देश की राजधानी के विकास को केजरीवाल जी द्वारा ट्रायल समझकर खिलवाड़ किया जा रहा है।

पिछले दिनों केजरीवाल साहब ने अखबारों में विज्ञापन देकर पैसा बर्बाद किया है, क्योंकि केन्द्र से 3,200 करोड़ रूपए लेना था कि वैंकेया नायडू जी ऐप्स के माध्यम से दिल्ली की सफाई करेंगे। एमसीडी का फोर्थ फाइनेंस कमीशन का जो पैसा था, वह सरकार ने एमसीडी को दिया ही नहीं। दिल्ली में हड़तालें हुईं। दिल्ली एनसीआर है और अगर केजरीवाल साहब के भरोसे, वे केवल राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली की दो करोड़ जनता को छोड़ा जाएगा तो दुनिया में दिल्ली का मैसेज गलत जाएगा। इसलिए केन्द्र को इंटरफेयरेंस करते हुए अगर राज्य सरकार सही तरीके से एमसीडी को फोर्थ पे कमीशन का पैसा न दे और सीवेज सिस्टम के पुराने प्लान को न करे तो केन्द्र सरकार को इंटरफेयरेंस करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को केवल उसको राज्य के आधार पर नहीं छोड़ना चाहिए। दिल्ली की जनता से जो भूल हुई है, उसके लिए वे आकर अपने आपको कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, तो उन्हें पीने का पानी और सीवर की व्यवस्था की जाए। संगम विहार, प्रहलादपुर, मीठापुर, रंगपुरी, पालम ऐसी कालोनियां हैं, जहां तीन-तीन फुट पानी भरा हुआ है। मैं आपको फोटो लाकर दिखा सकता हूं। वहां उस गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को, केंद्र का दिल्ली के अंदर हस्तक्षेप है, वह नौटंकी करके कह देता है कि केन्द्र मुझे काम नहीं करने देता है। केन्द्र कदम वापस खींच लेता है, वह काम करे। उनको एक साल मिल गया। अब सरकार को चाहिए कि वह हस्तक्षेप करके दिल्ली की जनता को उस गंदगी से निजात दिलाये। आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : S/ Shri Maheish Girri, Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Ramesh Bidhuri.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कुछ अखबारों में खबर छपी है कि आई.एस.आई.एस. को विस्फोटक बनाने का सामान सात भारतीय कंपनियों द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। यह अचंभित करने वाला खबर है। आज यह खबर 'दैनिक जागरण' में छपी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई.एस.आई.एस. को विस्फोटक बनाने का सामान बीस देशों से मिलता है। इन देशों में 51 कंपनियों से आतंकी संगठनों को सामान की आपूर्ति की जा रही है, जिनमें से सात कंपनियां भारत की हैं। मैं सदन से चाहता हूं कि वे सात कंपनियां कौन हैं, वे कौन-सा काम करती हैं, उसको पता लगा कर, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Kaushalendra Kumar.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर में एक तहसील कालपी है, जो हाथ कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कालपी बुन्देलखंड का अतिपिछड़ा क्षेत्र है। जहां पर हाथ कागज उद्योग इस क्षेत्र के व्यापारियों एवं मजदूरों के लिए जीवनदायक व्यवसाय है। जिसका इतिहास प्राचीनतम एवं विश्व प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के प्रतीक हैं, ठीक उसी प्रकार खादी महात्मा गांधी जी का प्रतीक है। महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा था कि खादी वस्त्र नहीं, विचार है और कालपी कागज उद्योग भी खादी का ही एक रूप है। एक ओर जहां केन्द्र सरकार खादी उद्योग को बढ़ाया दे रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रेड श्रेणी में श्रेणीबद्ध करके उसे बंद करना चाहती है। जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में यही उद्योग ग्रीन श्रेणी के उद्योगों में शामिल है। यह कुटीर उद्योगों के साथ किया जा रहा अन्याय है। जबकि कालपी का हाथ कागज उद्योगों की गुणवत्ता पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे कुटीर उद्योगों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण का आरोप लगा कर तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है, जिससे इस उद्योग से जुड़े हजारो मजदूर और व्यापारी बेरोजगार हो जायेंगे। जबकि यह उद्योग खादी कमीशन से संचालित होता है और इसे पर्यावरण मित्र का दर्जा प्राप्त है। यह निश्चित रूप से राज्य सरकार का अन्यायपूर्ण कदम है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि हाथ कागज उद्योग बचाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कालपी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने का कष्ट करें तथा हमारे हाथ कागज उद्योग को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ग्रीन कैटेगरी में निर्धारित कराने की कृपा करें, ताकि इस उद्योग के साथ उत्तर प्रदेश में भी अन्य प्रदेशों की तरह समानता का व्यवहार हो सके एवं इस व्यवसाय से संबंधित मजदूरों की कौशल विकास प्रतिभाओं के हनन को रोका जा सके। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhanu Pratap Singh Verma.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak about the very critical issue related to the University system – the higher education

system in India. Indian higher education system has to be competitive to catch up with the other countries of the world. Even JNU, which is being considered as a very premium institution in the country, does not find its name in the list of top 200 universities in the world. So, what have we to do in this regard? The quality of infrastructure and quality of research facilities in the human resource have to be enhanced so that the country meets the challenge of the new millennium.

In this digital era, our university and college students must have free access to internet and be able to use the best of softwares to covert knowledge into action and help accelerated growth and development of the country. The working of AICTE, UGC and NCTE have to be regularly supervised and monitored by the HRD Ministry as to find out whether they are acting as catalyst for change, growth and quality enhancement of the higher education institutions. The Government must have some control over the private institutions, especially to find whether they are maintaining the expected standards through a policy of accreditation. There should not be any compromise regarding the standards or performance of both the public and the private sector higher education institutions in the country. Hence, it is urged upon the hon. Minister for Human Resource Development to constitute a high-power committee to supervise the quality of higher education institutions in both the sectors in the country and take steps to raise their quality to international standards.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Prof. Richard Hay.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर जिसका मुख्यालय खलिलाबाद है, वहां से थोड़ी दूर स्थित एक लहुरा देवा नामक स्थान है जहां तकनीकी कृषि की सबसे बड़ी सभ्यता मिली, विश्व में तकनीकी कृषि की जितनी भी सभ्यताएं अब तक प्रमाणित हुई हैं, लहुरा देवा नामक स्थान पर पुरातत्व विभाग की खुदाई में कार्बन डाटा के आधार पर जिसका प्रमाणित रूप से सर्वे

किया गया, लगभग दस हजार वर्ष पुरानी कृषि की प्रमाणित सभ्यता मिली। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि इतनी प्राचीन सभ्यता भारत में पाई गई। वह कार्बन डाटा के आधार पर सत्यापित भी की जा चुकी है। लहुरा देवा नामक स्थान पर विश्व स्तर का संग्रहालय बनाकर उस कृषि सभ्यता को स्थापित किया जाए जिससे भारत की सभ्यता को पूरे विश्व के लोग जानें। खेती की तकनीकी पद्धति हमारे देश में पूरे विश्व से सबसे अधिक प्राचीन पद्धति है।...(व्यवधान)

मैं एक और अति महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are not allowed to raise second matter. You can raise only one matter.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: That will not go on record. You can raise only one matter.

… (*Interruptions*)… *

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Jagdambika Pal and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Sharad Tripathi.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में जी.आर. शर्मा द्वारा खुदाई की गई। वहां अनेक अवशेष मिले हैं जिसकी बहुत सारी सामग्री इलाहाबाद संग्रहालय में रखी हुई है और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी सामग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इधर-उधर पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से अनुरोध करता हूं कि कौशाम्बी जहां ये चीजें मिली हैं, वहां एक संग्रहालय बनाकर इन चीजों को रखा जाए जिससे वहां के लोग अपने इतिहास से परिचित हो सकें और इसी के माध्यम से कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Vinod Kumar Sonkar.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो बिल्कुल मध्य भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो मध्य प्रदेश से लगी हुई है, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले दो माह से पेयजल का इतना गंभीर संकट है कि

---

* Not recorded.

वहां सैंकड़ों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां दूसरे गांव से पानी लाना पड़ रहा है। वहां जानवरों के पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। पिछले 3-4 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के सम्पर्क में रहकर हमने प्रयास किया कि कम से कम पेयजल का इंतजाम हो सके, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। यहां ग्रामीण विकास मंत्री जी उपस्थित हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की कार्य योजना प्राप्त हो जाए तो हम पूरे संसदीय क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाते हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह इसमें हस्तक्षेप करके उत्तर प्रदेश सरकार से कार्य योजना मंगवाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने अपनी कार्य योजना भेजी है और भारत सरकार ने उसमें 90 प्रतिशत पैसा भेजा है। वहां पेयजल की व्यवस्था हो रही है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वहां से पेयजल की पूरी व्यवस्था बनकर आए ताकि हमारे वहां के जानवर और रहने वाले नागरिकों को आने वाली गर्मी से पहले पेयजल उपलब्ध हो सके।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

19.00 hours

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में चित्रकुट जनपद में दूरसंचार टॉवरों की बहुत कमी है। मैंने कई बार अधिकारों को इससे अवगत कराया, इसके लिए 37 एटीएस स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन उसमें अभी तक एक भी नहीं लगा है। कई स्थानों जैसे रसिन, सरैंया और मारकुंडी क्षेत्रों का सर्वे भी हो गया है लेकिन टॉवर नहीं लगाया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर रिटायर्ड अधिकारी तैनात हैं और वह वहीं के रहने वाले हैं, वहां वे अधिकारी बने हुए हैं, उनकी दो-तीन सालों की सर्विस रह गई है इसलिए वह कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और भ्रष्ट आचरण में मश्गुल हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्वीकृत एटीएस को यथाशीघ्र लगाया जाए और भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटाकर कड़ी कार्रवाई की जाए।

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again on Monday, 29th February, 2016 at 11 a.m.

19.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, February 29, 2016 / Phalguna 10, 1937 (Saka)